राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ६ वां दिवस [संख्या ६

सोमवार २४ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

कोटपुतली तहसील में विकास की धन-राशि का दुरुपयोग

१६२. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Minister-in-charge of Planning and Development be pleased to state:-

Is it correct that an enquiry by Additional District Magistrate, Jaipur, was conducted regarding the misuse of development funds advanced for development works in Kotputli Tehsil to individuals, institutions and Panchayats in the Tehsil? If so, a copy of the enquiry report may please be placed on the table of the House.

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): Yes. The facts, as intimated by the Additional District Magistrate, Jaipur, have been placed on the table of the House.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के चौधरी : What action has been taken against the persons who have misused these funds and did not complete the work ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फाइनेन्स का मिसयूज़ किया हो, यह साबित नहीं हुआ। उस समय काम नहीं हुआ था, जो काम होना चाहिए था, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसको देखा जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कब रकम दी गई और किस काम के लिए दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १३ काम ऐसे थे कि जो स्कूल के मकान बनाने के लिए १९५७-५८ में दिए गए और उसके लिए रकम १७,१३० रु० थे, ड्रिंकिंग वाटर वैल्स के १२ काम थे जिनके लिए ९१०० रुपया दिया गया था, टैंक्स और फ्लोड़ ठीक करने के लिए ४ काम थे जिनके लिए ६७२० रु०

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दिये गये थे और दूसरे खुले पार्क्स के लिए ३ काम थे जिनके लिए १६०० रुपये दिये गये थे ।

श्री मूलचन्द डागा : वे काम कितने अर्से में पूरे करने थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसी साल काम पूरे करने चाहिए थे ।

प्रश्न संख्या १६३

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६४

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६५

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६६

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६७

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

मंदिर श्री सीतारामजी, ग्राम रूपपुरा (उनियारा) की सेवापूजा एवं भोग

१६८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या मंत्री देवस्थान विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि मंदिर श्री सीतारामजी, ग्राम रूपपुरा(उनियारा) डिस्ट्रिक्ट टोंक की जमीन ७७ बीघा २ बिस्वा सरकार ने खालसा करली है ? अगर हां, तो कब से ?

(ख) क्या यह सही है कि उस मन्दिर के सेवापूजा व भोग का सरकार ने प्रबन्ध कर दिया है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त मंदिर की जमीन जो पुजारी खुदकाश्त करता था और जिसने खातेदारी हकूक ले लिये थे उससे सरकार हासिल वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री देवस्थान विभाग : (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं। मन्दिर के पुजारी की मातमी की कार्यवाही चल रही है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं समझा नहीं किस चीज़ की कार्यवाही चल रही है ?

श्री सम्पतराम : मातमी की कार्यवाही चल रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा सवाल यह है कि क्या उस पुजारी ने जो ठाकुरजी के मन्दिर की जमीन थी, उसकी खातेदारी की पर्ची ले ली ? मेरा तो यह सवाल है ।

Page No.3

श्री सम्पतराम : आपका सवाल है कि क्या यह सही है कि मन्दिर श्री सीतारामजी, ग्राम रूपपुरा (उनियारा), डिस्ट्रिक्ट टोंक की जमीन ७७ बीघा २ बिस्वा सरकार ने खालसा करली है ? मैंने कहा, जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरे (ग) भाग का क्या उत्तर है ?

श्री सम्पतराम : जवाब दिया है इसका जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस मन्दिर की जो जमीन थी ७७ बीघा २ बिस्वा उस जमीन को असल उसूली पटवारी ने कर ली और तहसीलदार ने लिख दिया कि खालसा की गई है तो किन आधारों पर की गई है यह खालसा ?

श्री सम्पतराम : यह तो आराजी खालसा कर ली गई है इसको टेम्प्रेरीली खालसाँ की गई है जब तक कि मातमी की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आराजी खालसा की गई है फिर ठाकुरजी ने क्या कसूर किया था ? कसूर तो पुजारी ने किया था। फिर पूजा वगैरह का क्या सरकार ने इन्तज़ाम किया है ?

श्री सम्पतराम : सवाल यह है कि मन्दिर की जमीन ७७ बीघा २ बिस्वा सरकार ने खालसा कर ली है मैंने कहा कि उसको खालसा नहीं की है। उसका कारण यह है कि मातमी के मुकदमे की तकवील चल रही थी और जो कार्यवाही करनी चाहिए थी वह पूरी नहीं की थी, इसलिए कानून के अनुसार टेम्प्रेरीली खुदकाश्त की है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करता हूं कि उसमें तहसीलदार ने यह ऑर्डर दिया है कि क्योंकि पुजारी का बाप मर गया है और उसकी मातमी नहीं कराई है और जब तक मातमी का सर्टिफिकेट लाये तब तक इस जमीन को खालसा की जाये।

श्री अध्यक्ष : सेवा-पूजा का बन्दोबस्त होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : (देवस्थान मंत्री): ऐसा कानून है कि अगर कोई मामले की मातमी तकवील नहीं कराये तो खालसा कर दी जाये। इसके बाद में अगर सेवा पूजा का इन्तजाम जब तक पुजारी होता है तो वह करता है वरना सरकार की तरफ से इन्तजाम किया जाता है और जमीन खालसा कर दी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवेदन करूं कि उसका पट्टा ठाकुरजी का है पुजारी तो उसका नोकर है। पुजारी एक अगर मातमी तकवील नहीं कराता है तो दूसरा पुजारी आ जाता है लेकिन इसके लिए क्यों तकलीफ दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, वह बतायें तो सही।

श्री अध्यक्ष : पूजा की व्यवस्था ठीक हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : पूजा तो वह कर रहे हैं और अगर वह नहीं कर रहे हैं तो उस पुजारी के खिलाफ शिकायतें करें तो उसकी जागीर रिज्यूम भी कर देंगे और पूजा का भी इन्तजाम हो जायेगा।

Page No.4

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं खुद वहां जाकर आया हूं उसने हासिल उसूली कर दी। उसने कहा कि मैं कहां से इन्तजाम करूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह दूँ कि वह तो मातमी के मुकदमे की तकसील क्या बताता है ?

एक माननीय सदस्य : उस जमीन का पट्टा पुजारी के नाम है या ठाकुरजी के नाम का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मुझे नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं कह सकता कि वह पट्टा ठाकुरजी के नाम है या पुजारी के नाम।

रावराजा श्री सरदारसिंह उस जमीन का पट्टा तो श्री सीताराम के मन्दिर के नाम का है पुजारी के नाम का नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी के भी नाम का होगा मुझे नहीं मालूम। अगर पुजारी मातमी तकवील करा लेता है तो वह उसके नाम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर तहसील में प्राथमिक पाठशालाएं

१६६. श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सीटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर तहसील में इस वर्ष कहां कहां प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई ?

(२) क्या खारा गांव में तथा भुट्टों के बास में जो हरिजन बस्ती है, उसमें प्राथमिक पाठशाला खोलने के बारे में सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र दिये गये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(३) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इन स्थानों में स्कूल की अत्यन्त आवश्यकता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) इस वर्ष (१९५८-५९) बीकानेर तहसील के निम्नलिखित गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गईं :

१. श्री रामसर	२. सुरधना बड़ा व छोटा
३. सूरतपुरा	४. जलालसर व खिचिया
५. हिमतासर व रायसर	६. छतरगढ़
७. कामनी	८. जामसर

शहरी क्षेत्र

१. रानी बाजार, बीकानेर
२. सीतला गेट, बीकानेर
३. गूजरों का मौहल्ला, बीकानेर
४. गंगाशहर (हरिजन बस्ती)
५. नापासर (सत्यनारायणजी के मन्दिर के पास)
६. देशनोक

(२) इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(३) किन्तु भुट्टों के बास में सरकार की तरफ से एक प्राथमिक पाठशाला चल रही है और आशा की जाती है कि जनसंख्या के आधार पर खारा गांव का भी नम्बर अगले वर्ष प्राथमिक शाला खोलने हेतु आ सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह भट्टों के बास हरिजन बस्ती में हरिजनों ने स्वयं ने कोई स्कूल अपनी ओर से चलाई है और अगर उन्होंने कोई खोली है तो उनके नहीं चला सकने के कारण उन्होंने सरकार को दरख्वास्त दी कि वहां दूसरी स्कूल खोली जाये किन्तु वहां कोई स्कूल नहीं खोली गई है, यह मैं वहां के हरिजनों की बस्ती के लिए कह रहा हूँ । वहां उन्होंने साल भर तक स्कूल चलाई पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए उसको उन्हें बन्द कर देना पड़ा और उसके लिए उन्होंने सरकार को एक प्रार्थनापत्र दिया था कि यहां दूसरी स्कूल सरकार की ओर से खोल दी जाये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बिल्कुल ही नया प्रश्न है जिसका इस समय उत्तर देना मुश्किल है ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न में है कि क्या भुट्टों के बास में जो हरिजन बस्ती है वहां से सरकार के पास कोई प्रार्थनापत्र दिये गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नई पाठशाला को खोलने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र नहीं आया है बल्कि वहां कोई पाठशाला चल रही थी उसी को टेक-ओवर करने के बारे में प्रार्थना-पत्र आया था, क्योंकि वह पाठशाला चला नहीं पा रहे थे । इसलिए जो यह टेक-ओवर करने का प्रश्न है इस स्थिति में कुछ नहीं कह सकता हूँ ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां की स्थिति के बारे में जानकारी कर लूं तभी कुछ कहा जा सकता है, अभी नहीं बता सकता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी निर्णय करती होगी ।

नेक्स्ट ।

औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की नीति

१७०. **श्री मुरलीधर व्यास** : (बीकानेर सीटी) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के पूर्व वहां किन किन बातों की आवश्यकताओं को देखा जाता है ?

(२) राजस्थान में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गिये हैं ?

(३) बीकानेर में सारी सुविधायें उपलब्ध होने पर भी उसे अब तक औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं घोषित किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) किसी स्थान पर औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के पूर्व वहां निम्न लिखित सुविधाओं का होना आवश्यक समझा जाता है :

१. यातायात की सुविधा ।

२. शहर से निकटता ।

Page No.6

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

३. विद्युत एवं जल का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना।

४. औद्योगिक पृष्ठ भूमि से पूर्ण होना।

५. कुशल श्रमिकों का उपलब्ध होना। इत्यादि।

(२) राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक संस्थान स्थापित करने की स्वीकृत भारत व राजस्थान सरकार ने प्रदान की है :

१. जयपुर २. भीलवाड़ा

३. मौखुपुरा (अजमेर) ४. कोटा

५. श्री गंगानगर और ६. जोधपुर

इनके अतिरिक्त भरतपुर में औद्योगिक संस्थान स्थापित करने हेतु स्कीम भेजी जा चुकी है, जो भारत सरकार के विचाराधीन है। तथा रायसिंहनगर, सुमेरपुर या रानी, अलवर, डूंगरपुर और उदयपुर इन स्थानों पर औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के विषय में विचार किया जा रहा है।

(३) औद्योगिक विकास के लिए प्रचुर मात्रा में विद्युत एवं जल उपलब्ध न होने तथा औद्योगिक पृष्ठ भूमि पूर्ण न होने के कारण बीकानेर अब तक औद्योगिक संस्थान स्थापित करने योग्य नहीं समझा गया।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह इन्डिस्ट्रियल एस्टेट भरतपुर में खोलने की स्कीम राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के पास जोधपुर आदि की मांग के पहले भेजी थी या बाद में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाद में।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या औद्योगिक संस्थान के लिए उस स्थान के आसपास जो कच्चा माल मिले उस बात के लिए कोई आवश्यक नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कच्चा माल विशेष प्रकार का मिले तो उसके लिए सोचा जा सकता है। लेकिन जो औद्योगिक संस्थान खोले जाते हैं उनमें कोई यह बात प्रमुख रूप से तो देखी नहीं जाती कि उस स्थान के आसपास कच्चा माल मिले। अब कच्चा माल मिल जाता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। वरना बिना औद्योगिक संस्थान के भी उद्योग शुरु किये जा सकते हैं, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। एक माननीय सदस्य ने भरतपुर के लिए पूछा था उसके लिए मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि शायद भरतपुर के लिए भारत सरकार से स्वीकृति आ भी चुकी है।

श्री मुरलीधर व्यास ; उद्योगों के लिए जिस प्रकार से कोयला है, जिप्सम है और खड़िया मिट्टी जो बहुत आवश्यक होती है अगर ऐसी चीजें किसी स्थान के आसपास मिलती हैं तो उन स्थानों को औद्योगिक संस्थान नहीं बनाया जा सकता क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम इस प्रयत्न में भी हैं कि कोलायत के पास जो मिट्टी मिलती है उससे पोटरीज़ इन्डस्ट्री डवेलप हो सकती है। इस विषय में हमने सर्वे, इन्वेस्टिगेशन के लिये दूसरी जगह सेम्पल्स वगैरह भेजे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई काम शुरु किया जा सके। कोयले से खुद से कोई काम शुरु करना मुश्किल है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रॉ-मेटीरियल पैदा हो सके ऐसी संभावना कम है। आपने कोलायत के पास मिलनेवाली मिट्टी के बारे में बताया उसका सर्वे हो रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपने कहा कि विचाराधीन है, इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि इसको कार्यान्वित करने की कब तक संभावना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : समय लग सकता है।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : आपने यह बतलाया कि भरतपुर के बारे में स्वीकृति आई है, यह काम कब तक शुरु हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगले वर्ष शायद कार्य शुरु किया जा सकेगा।

पेन्शन के मामलों का शीघ्र निपटारा

१७१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने राज्य सेवा से अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के पेन्शन के मामलों को शीघ्र निबटाने की कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

(२) उक्त व्यवस्था के अनुसार पेन्शनों के मामले अधिक कितने दिनों में तय हो जाते हैं ?

(३) क्या सरकार बतलायेगी कि राजस्थान में ऐसे कितने व्यक्ति अभी भी हैं जिनको ५ वर्ष से अधिक हो जाने पर भी पेन्शन नहीं दी गई ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा, वित्त मंत्री की ओर से) : (१) राज्य सरकार ने अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के पेन्शनों के मामले शीघ्रातिशीघ्र निपटाने हेतु फाइनेन्श डिपार्टमेंट (पेन्शन) के सर्क्युलर नं० एफ ३. बी। ७०: एल. ओ। ३३५, दिनांक २१ जनवरी, ५८ में कतिपय तरीकों का साफ तौर पर उल्लेख किया है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

(२) उपरोक्त सर्क्युलर के अनुसार कार्य करने पर पेन्शनों के मामलों को निपटाने में कोई विलम्ब की संभावना नहीं रहती है और जिस दिन से कर्मचारी राज्य सेवा से विमुक्त हो अपना पी. पी. ओ. जी. पी. ओ. प्राप्त कर सकता है।

(३) विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १. ७. ५८ को ऐसे कर्मचारियों की संख्या १४८ थी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पांच वर्ष से ज्यादा की संख्या १४८ है। इनको पेन्शन कब तक मिलेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी के कागज़ खो गये हैं और किसी के कुछ रगड़ा है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही देने की।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इन पांच वर्षों में कुछ तो मर गये होंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मर गये होते तो केस चलाने की जरूरत नहीं थी।

प्रश्न संख्या १७२

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

प्राइमरी स्कूलों का मिडिल स्कूलों में परिवर्तन

१७३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार चाकसू गर्ल्स प्राइमरी स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल, कोथून (तहसील चाकसू) को मिडिल स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो कब से ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अभी तक प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(२) यह बतलाना अभी संभव नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक प्राप्त होंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटीज़ के पास से यह सुझाव आयेंगे कि कहां पर कितनी स्कूलें खोली जांय-बजट पास होने के बाद उनकी जो सिफारिश आती है उसको ध्यान में रखा जाता है।

पिंडवाड़ा, आबू सड़क एवं शिवगंज तहसील को ट्राइबल क्षेत्र घोषित करना

१७४. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Social Welfare, be pleased to state :

Has the Government taken some steps to declare Pindwara, Abu Road and Sheoganj Tehsils as tribal areas? If so, at what stage the matter is ?

उपमंत्री समाज कल्याण विभाग (श्री सम्पतराम): The Government has recommended Abu Road area to be included in the Scheduled Area to the Government of India.

Pindwara and Sheoganj Tehsils could not be recommended to be included in the scheduled area as they do not satisfy the necessary condition of 50% scheduled tribes' population in those areas as required under the existing rules.

श्री मोहब्बतसिंह : ऐसे गांवों में जो आदिवासी या ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिये स्कूल बिल्डिंग्ज़ वगैरह बनाने के लिये, सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेन्ट से मदद मिलती है क्या ?

श्री सम्पतराम : ऐसे मकान बनाने के लिये या स्कूल बनाने के लिये छोटी छोटी योजना हैं, लेकिन कोई बड़ी योजना नहीं है जिससे कि अलग इन्स्टिट्यूसन्स खोले जाय। जो शिड्यूल्ड ट्राइब का एरिया होता है वहां पर होते हैं।

श्री मोहब्बतसिंह : पिंडवाड़ा, आबू-रोड और शिवगंज तहसीलों को ट्राइबल एरिया करार देने के बारे में कब भेजा गया है ?

Page No.9

श्री सम्पतराम : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है लेकिन वहां से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या गवर्नमेन्ट इसके लिये रिमाइन्डर इश्यु करेगी ?

श्री सम्पतराम : जी हां, एक से अधिक बार किया जा चुका है।

लालसोट व चाकसू तहसीलों की पाठशालाएं

१७५. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) लालसोट तथा चाकसू तहसील में कुल कितने प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं व हाई स्कूल एवं कन्या पाठशालायें हैं ?

(२) क्या इन दोनों तहसीलों की जनसंख्या के लिये वे पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो प्राथमिक, मिडिल व हायर सेकेन्डरी स्कूल कितने व कब तक खोले जायेंगे ?

(३) क्या मिडिल स्कूल मंडावरी या कोटखावदा को हायर सेकिन्डरी स्कूल में परिणित करने की योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) कन्या पाठशाला लालसोट को मिडिल स्कूल में क्यों परिणित नहीं किया जाता जब कि वहां छात्राओं की संख्या पर्याप्त है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) लालसोट में एक हाई स्कूल, तीन माध्यमिक स्कूल, ४५ प्राथमिक स्कूल तथा ३ कन्या पाठशालायें हैं। और चाकसू में एक हाई स्कूल, दो माध्यमिक, ३२ प्राथमिक पाठशालाएं व ८ प्राथमिक पाठशालाएं जिला बोर्ड की हैं तथा ३ कन्या पाठशालाएं राजकीय व एक कन्या पाठशाला ज़िला बोर्ड की है।

(२) जी नहीं। परन्तु यह बताना अभी सम्भव नही है कि कितने स्कूल और कब तक खोले जावेंगे।

(३) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथा वहां की इमारत भी हायर सेकिन्डरी स्कूल के लिये पर्याप्त नहीं है।

(४) यदि कन्या पाठशाला लालसोट सरकार की निर्धारित शर्तों को पूरा करती होगी और ज़िला विकास समिति द्वारा सिफारिश की जावेगी तो अन्य स्कूलों के साथ उपयुक्तानुसार इस पर भी विचार किया जावेगा।

भाखरा जॉन में खुद काश्त करने वाले भोमिये

१७६. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर सु०): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भाखरा जॉन में भाखरा जॉन के बाहर के ऐसे कितने खुद काश्त करने वाले भोमिये हैं जिनके पास पहले से खातेदारी भूमि काश्त शुदा कब्जे में है लेकिन फिर भी उन्होंने गलत ढंग से भाखरा में जमीन और अलॉट करवाली है ?

(२) क्या यह सही है कि पिछली साल

(श्री धर्मपाल पंवार)

गंगानगर जिले के कार्यकर्ताओं की ओर से राजस्व मंत्री को मेमोरेन्डम पेश किया गया था और उसमें काफी नाजायज़ अलॉटमेन्ट भूमि का जिक्र किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच कराई थी ?

(३) क्या सरकार इस तरह की गलत अलॉटेड भूमि की जांच कराने के लिये एक कमेटी बनाने को तैयार है ?

उपमंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१) इसकी जानकारी नहीं है। जमीन अलॉट उसको की जाती है जिसके पास खुद काश्त की जमीन नहीं होती है।

(२) जी हां, जांच की जा रही है।

(३) जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री धर्मपाल पंवार : जांच कब तक हो जायगी ?

श्री सम्पतराम : जांच हो रही है, निश्चित टाइम नहीं बता सकता कि कब तक समाप्त हो जायगी। कितने केसेज़ आयेंगे, उनमें क्या क्या कॉम्पलीकेशन्स होंगे, यह तो देखने पर ही पता चलेगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि सरकार जमीन उन जागीरदारों को देती है जिनके नाम पर खुद की जमीनें नहीं है ?

श्री सम्पतराम : यह तो सही बात है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि ऐसे जागीरदारों को जमीन दे दी गई है जो एक परिवार में पांच आदमी हैं और उनमें से सबने अपने अपने नाम से जमीन अलॉट कराली है ?

श्री सम्पतराम : इसके बारे में मैंने बताया कि जांच की जारही है।

श्री भीमसेन : कौनसी ऐजेन्सी से जांच की जारही है ?

श्री सम्पतराम : खुद काश्त कमिश्नर से।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जांच करने से पूर्व क्या सरकार को पता है कि जिनके पास जमीन है उनको अलॉट की गई है ?

श्री सम्पतराम : यदि इस प्रकार की जानकारी होती तो अलॉट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी शिकायत आई है इसलिये जांच की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : शिकायत आने से पहले भी आपको महसूस हुआ होगा और ऐसे केसेज होंगे जिनके आधार पर जांच करेंगे ?

श्री सम्पतराम : अभी तक निश्चित केसेज जानकारी में नहीं आये हैं। जब तक इन्क्वायरी पूरी नहीं हो जावे तब तक पता नहीं चल सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी इन्क्वायरी का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास शिकायतें आई हैं।

Page No.11

श्री धर्मपाल पंवार : सरकार को कमेटी नियुक्त करने में क्या आपत्ति है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): खुदकाश्त कानून के अन्तर्गत केवल खुदकाश्त कमिश्नर को ही अधिकार है कि रिवीजन वगैरह व रिव्यू कर सके इसलिये कमेटी की लीगल सैंक्टिटि नहीं हो सकती ।

श्री भीमसेन : कमेटी सलाह दे सकती है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कानूनी अधिकार कमेटी को नहीं दिये जा सकते खुदकाश्त कमिश्नर ही रिव्यू वगैरह कर सकता है ।

श्री धर्मपाल पंवार : कमेटी सहयोग दे सकती है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सहयोग तो हर कोई दे सकता है, सहादत पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यहां पर ऐसी भी जमीन है जो राजस्थान के बाहर के लोगों जैसे पंजाब के लोगों को भी अलॉट की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो जागीरदारों का सवाल है । पंजाब को कहां से ले आये बीच में ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो जनरल प्रश्न है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : रिव्यू करने का प्रोविज़न है, ऐसे केसेज़ बतायेंगे तो रिव्यू कर सकते हैं ।

संस्कृत के अध्यापकों का वेतन

१७७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान संस्कृत आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संस्कृत अध्यापकों को निर्धारित वेतन दिया गया या नहीं ? यदि हां, तो कब से और किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) सरकार द्वारा संस्कृत आध्यापकों को बराबर ग्रेड दिये जाने के रूक्यूलर का पालन किया गया या नहीं ? यदि हां, तो कब से ?

(३) क्या संस्कृत शिक्षा प्रसार व प्रचार हेतु सरकार की कोई योजना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१ व २) इस सम्बन्ध में विधानसभा के गत अधिवेशन में श्री जनार्दनराय नागर के अल्पकाल सूचना प्रश्न संख्या २६ एस. एन. क्यू के उत्तर में बताया जा चुका है । संस्कृत परीक्षाओं को अंग्रेजी परीक्षाओं के समान मानने के आदेश दिनांक १७. १२. ५७. को दे दिये गये । वेतन शृंखला के प्रश्न को कार्यान्वित करने में प्रत्येक अध्यापक के सर्विस रेकोर्ड इत्यादि की जांच आवश्यक होती है, उसकी पत्रावलियां इक्ट्ठी की जा रही हैं ।

(३) जी हां । संस्कृत समिति द्वारा प्रस्तुत की गई योजनायें ही सरकार की योजनाएें हैं, जिनको यथासंभव क्रियान्वित किया जावेगा ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) :

(श्री जनार्दनराय नागर)

क्या यह सही नहीं है कि अब तक सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पर निश्चित-रूप से विचार नहीं किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि १७. १२. ५७ को इस संबंध में सरकार द्वारा आदेश दिया जा चुका है और उस संबंध में जो रेकॉर्ड चाहिये वह एकत्रित किया जा रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर: मेरी निश्चित सूचना है कि कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने है और उस पर सांगोपांग अमल नहीं हो सका है इसलिये विचाराधीन है। मैं इसलिये जानना चाहता हूं कमेटी की रिपोर्ट पर आदेश व्यावहारिक रूप से कब दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी आप जो जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में आगे और जानकारी करूंगा फिर बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

गांवों में रास्तों की भूमि की मिल्कियत

१७८. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु.): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भाखरा जॉन में गांवों के रास्तों का रकबा सरकार ने किसानों के रकबे में से काटा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि गंग कैनाल एरिया में गांवों में रास्तों का रकबा किसानों का नहीं बल्कि सरकार का है ? यदि हां, तो एक ही ज़िले में रास्तों के बारे में दो नियम क्यों लागू किये जा रहे हैं ?

उप मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१) जी हां। ऐसा राजस्थान उपनिवेश (सामान्य उपनिवेश) प्रनियम १६५५ के नियम ८ (२) के प्रावधान के अनुसार किया गया है।

(२) जी हां, ऐसा इसलिए हुआ कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य ने जो भूमि वितरण प्रनियम बनाये थे उनमें ऊपर वर्णित प्रनियम के सामानान्तर कोई प्रावधान नहीं था।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह उपनिवेशन क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कॉलोनाइजेशन।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह उपनिवेशन क्या है ?

श्री अध्यक्ष : कॉलोनाइजेशन से मतलब है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह तो एशिया का सबसे बड़ा रोग है।

(हंसी)

श्री धर्मपाल पंवार : क्या सरकार महसूस करती है कि इतनी मंहगी कीमत लेकर जमीन में रास्ता अपने आप रखे, यह उचित है ?

श्री सम्पतराम : सरकार अपने खुद के फायदे के लिए नहीं बनाती। काश्तकारों के फायदे के लिए है, इसलिए उनको छोड़नी पड़ेगी।

Page No.13

श्री धर्मपाल पंवार : क्या सरकार को मालूम है कि रास्ते के लिए झगड़े होते हैं। एक दूसरे खेत से रास्ता निकालने नहीं देते हैं।

श्री सम्पतराम : इस दिक्कत को एन्टीसिपेट करके रास्ते को परमानेन्ट बनाने की व्यवस्था की गई है।

श्री धर्मपाल पंवार : परमानेन्ट रास्ता गवर्नमेंट की तरफ से कब तक मिल जायगा ?

श्री सम्पतराम : सब जगह नियमानुसार कार्यवाही हो रही है। जहां नहीं है, वहां हो जायगी।

कोपर रिजर्वस, खेतड़ी

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Industries and Mines be pleased to state:

(1) Is it correct that there are copper ore deposits in Khetri ?

(2) Is it correct that the ore reserve at Khetri is sufficient to feed a copper plant with an annual capacity of 10,000 tons ? If so, what plan the State Government has made for starting such a plant at Khetri ?

खनिज एवं उद्योग मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) Yes.

2. (a) Prospecting and exploration for copper ore deposits in Khetri copper belt area are being conducted by the Indian Bureau of Mines and and Geological Survey of India.

(b) The matter is being persued by the Government of Rajasthan before the Government of India.

श्री पी० के० चौधरी : what are your specific plans about starting the plant ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Pardon.

श्री पी० के० चौधरी : आपका स्पेसिफिक प्लान क्या है, प्लान्ट स्टार्ट करने के लिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले यह देखना है कि डिपोज़िट कितना है, किस पर्सेन्टेज़ का है, इस मामले में होल बोर किये जा रहे हैं। इसके बाद में कितने बड़े स्मेल्टर की जरूरत पड़ेगी, उसका निर्णय किया जा सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : इसका प्रोस्पेक्टिंग हो गया है। उन्होंने अन्दाजा लगाया है कि १०,००० की केपेसिटी का प्लान्ट लगाया जा सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रोस्पेक्टिंग फाइनल नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

जागीरदारों को खुद काश्त की भूमि

१८०. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सोजत सब डिविजन में १,०००) रु० या इससे ऊपर की जागीर के कितने जागीरदारों के पास व एक हज़ार से नीचे की जो भी जागीरें पुनर्ग्रहण की हैं उनमें से कितनों के पास खुद काश्त की जमीन नहीं है ?

Page No.14

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) जिन जागीरदारों के पास खुद काश्त की जमीनें नहीं हैं उनको खुदकाश्त की जमीन देने के लिए सरकार क्या कर रही है और उन्हें जमीन कब तक दे दी जावेगी ?

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : सरकार के पास ऐसे जागीरदारों की सूची नहीं रहती जिनके पास खुदकाश्त की भूमि नहीं है ।

सोजत सब डिविजन में जिन जागीरदारों ने खुदकाश्त भूमि प्राप्त करने के लिए दरख्वा-स्त पेश की है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जागीरदारों की तरफ से खुदकाश्त के लिए दरख्वास्तें पेश होने पर उनको खुदकाश्त की जमीन देने की कार्यवाही नियमा-नुसार की जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : मैंने प्रश्न (२) में निवेदन किया कि उन्हें जमीन कब तक दे दी जावेगी, इसका जवाब श्रीमान् ने नहीं दिया ।

श्री सम्पतराम : अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से कार्यवाही हो रही होगी । किसी की एप्लीकेशन आने पर सरकार जानकारी करेगी । अगर कोई गलत बात आ गई तो ज्यादा समय लग सकता है । मैं निश्-चत तौर से नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा । यह सम्भव नहीं है ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : हो रही होगी या हो रही है । अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने फर्माया कि हो रही होगी । हो रही है या हो रही होगी ।

श्री तेजाराम गहलोत : जो सूची पेश की है उसमें जिन जागीरदारों के नाम बताये हैं उनकी जागीरें १९५४-५५ में रिज़्यूम हो गई है । उनके लिए कुछ तय नहीं हुआ....

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लेम ?

श्री तेजाराम गहलोत : खुद-काश्त ।

श्री सम्पतराम : हो सकता है कि तकमील जो आवश्यक हो सकती है वह नहीं करा पाये होंगे ।

श्री तेजाराम गहलोत : वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वास्तविक स्थिति की बात यह है कि जिन्होंने दरख्वास्तें दे दी हैं उन पर तकमील पूरी तरह नहीं कराई होगी, इसलिए नहीं हो सका होगा यह वास्तविक स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत ।

राजस्थान में चमड़े का आयात व निर्यात

१८१. श्री बेनाराम गहलोत (लारची) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के किस किस जिले से कच्चा चमड़ा राजस्थान के बाहर निर्यात किया जाता है ?

(२) राजस्थान के किस किस जिले में पक्का चमड़ा बाहर से आयात होता है ?

(श्री बेनाराम गहलोत)

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान से कच्चा चमड़ा बाहर निर्यात होने से यहां के चर्म उद्योग धन्धों को काफी क्षति पहुँची है ?

(४) क्या यह भी सही है कि यहां के चर्म उद्योग धंधों के लिये उनको बाहर से पक्का चमड़ा आयात करने में बहुत खर्चा होता है ? क्या सरकार कच्चा चमड़ा बाहर जाने पर रोक लगा कर यहां के औद्योगिक धन्धों को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) राजस्थान के करीब करीब प्रत्येक जिले से कच्चा चमड़ा निर्यात किया जाता है परन्तु इस सम्बन्ध में इस कार्यालय में कोई आंकड़े नहीं हैं।

(२) राजस्थान के करीब करीब प्रत्येक जिले में पक्का चमड़ा आवश्यकतानुसार आयात किया जाता है, कितनी तादाद में आयात किया जाता है, इसके कोई आंकड़े नहीं हैं।

(३) वर्तमान में क्षति पहुँचने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभी तक राजस्थान में कच्चे चमड़े को पकाने व इसके अन्य उपयोग के साधन बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं हैं।

(४) राजस्थान में पक्का चमड़ा आयात करने से यहां के उद्योग धन्धों को अवश्य कुछ अधिक खर्च पड़ता है। कच्चे चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से यहां के औद्योगिक धन्धों को लाभ पहुँचने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। जैसा कि पैरा नं० ३ में वर्णन किया जा चुका है कि जब तक चमड़े के रंगने की पूर्ण क्षमता राजस्थान में उपलब्ध नहीं हो जाती प्रतिबन्ध से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री बेनाराम गहलोत : कच्चे चमड़े के रंगने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई जगह टेनरीज वगैरह शुरू की जा रही है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : चर्म उद्योग को पनपाने के लिए कितनी क्षमता की आवश्यकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्षमता दो तरह की आवश्यक है, एक तो चमड़े को रंगने की और दूसरे चमड़े की वस्तुएं तैयार करने की।

श्री रामचन्द्र : चमड़े को रंगने के लिए जिन छाल आदि की जरूरत है वह राजस्थान में नहीं है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह है। इसके होने के बाद भी जिस प्रकार के चमड़े की आवश्यकता होती है उस प्रकार के चमड़े को तैयार करने में रुकावटें हैं, इसलिए आयात करना पड़ता है। हमारे यहां कुल मिला कर जितनी स्किल है उसको देखते हुए भी चमड़े के निर्यात पर रोक लगा दी जायगी तो भी उसका उपयोग नहीं होने वाला है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सरकार बड़ी टेनरीज़ स्टार्ट करने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपका मतलब समझा नहीं, क्या राजस्थान सरकार चालू कर दे ?

Page No.16

डॉ० बहादुरसिंह : सरकार उद्योग-पतियों को कहे कि बड़ी टेनरीज़ लगा दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यदि कोई लगाना चाहे तो सरकार उसको प्रोत्साहन दे सकती है। राजस्थान सरकार स्वयं लगाने की बात ठीक नहीं समझती और इसे गृह उद्योग और लघु-उद्योग की तरह बढ़ाना चाहती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जो चमड़ा बाहर जाता है तो क्या उसके साथ धोकड़े की और बंबूल की छाल भी बाहर जाती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अलग से प्रश्न है कि किसकी छाल बाहर जाती है और किसकी नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे पूछिये, मैं बताऊं।

श्री रामचन्द्र : चर्मकारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए राजस्थान सरकार लघु-उद्योग और गृह-उद्योग में इसे शुमार करना मुनासिब नही समझती?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं वह है।

श्री रामचन्द्र : कहां कहां लघु-उद्योग खोले गये हैं अब तक?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भी अलग प्रश्न है कि कहां कहां खोले गये हैं अब तक।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या इस सम्बन्ध में यह बात सही है कि एक प्राइवेट एजेन्सी है जिसके थ्रू सहायता प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है? क्या यह बात सही है कि चर्म उद्योग के लिए एक कॉपरेटिव खोली गई है? यदि कोई सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एप्लाई करे तो जो प्राइवेट एजेन्सी नियुक्त कर रखी है उसके द्वारा ही सारे मामले निर्णित होते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्राइवेट एजेन्सी तो कोई नियुक्त नहीं की है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कच्चे चमड़े को पक्का चमड़ा बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने किसी प्रकार की योजना बना कर कोई जांच की है कि जिससे इस काम में सफलता मिल सके?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्यों जी जानकारी के लिए अर्ज कर दूँ कि कई जगह टेनरीज़ शुरू की जा रही हैं और ठीक ढंग से काम तेजी से चले उसके लिए मकान बनाये जाते हैं, लोगों को लोन दिये जाते हैं और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से इस मामले में काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ब्लॉक्स में भी कई जगह सेन्टर्स स्थापित किये गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से क्या किया जा रहा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पूंजी दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

श्री रामचन्द्र : मेरा एक प्रश्न रह गया, वह यह है कि चर्म उद्योग को लार्ज स्केल पर चलाने के लिए क्या सरकार ने

Page No.17

(श्री रामचन्द्र)

किसी कमेटी के द्वारा यह मालूम किया है कि राजस्थान में चर्म उद्योग लार्ज स्केल पर नहीं पनप सकता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं पनप सकने का प्रश्न नहीं है। जो व्यक्ति इस उद्योग को लगाने को तैयार है, उनके हाथ मजबूत बनाना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे यहां पर कौनसी दिक्कतें हैं, इस सम्बन्ध में।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को विदित करा देना चाहता हूँ कि राजस्थान में चर्म उद्योग को पनपाने के लिए काफी सुविधायें हैं। यहां पर लेबर काफी है, चमड़ा काफी है और रंगने के साधन काफी हैं। अगर सरकार किसी उद्योग को पनपाने की आवश्यकता समझती है तो कोई कमेटी मुकर्रर करके और सर्वे करा कर पता लगाये। वह फिर रिपोर्ट करे कि राजस्थान के चर्म उद्योग भली प्रकार पनप सकता है या नहीं। केवल कह देने से कोई काम नहीं निकलता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। वह जानकारी हमें भी है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं यह सूचित करना चाहूँगा कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड चर्म उद्योग के लिए पूंजी नहीं देता, वह औजार वगैरह के लिए सहायता करता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : और कर्जा भी देता है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि खादी बोर्ड पूंजी नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : औजार भी तो पूंजी ही है।

श्री जनार्दनराय नागर : नहीं साहब सहायता में और पूंजी में बहुत फर्क है।

श्री रामचन्द्र : मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि नागरजी ने जो बात कही है वह सही है। झालावाड़ में खादी बोर्ड की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस मामले में मैं जानकारी करूंगा कि इस प्रकार के उद्योगों को सहयोग दिया जाता है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह शुरू में बता देते तो इतनी बहस नहीं होती।

श्री तेजाराम गहलोत।

सोजत सब-डिविज़न में जागीरदारों को मुआवज़ा

१८२. श्री तेजाराम गेहलोत (सोजत): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सोजत सब डिविज़न में निम्न जागीरें कब पुनर्ग्रहण की ?

(क) ५०००) पांच हजार व उससे ऊपर की जागीरें।

(श्री तेजाराय गेहलोत)

(ख) १०००) एक हजार व उनसे ऊपर की जागीरें।

(ग) १०००) से नीचे की जागीरें।

(२) उक्त जागीरों में से १०००) (एक हजार) से ऊपर की किन-किन जागीरों के मुआवज़े के फर्म अभी तक नहीं भरे गये हैं ?

(३) जिन जागीरदारों ने अपनी जागीर के मुआवजे के फार्म अभी तक नहीं भरे हैं सरकार ने उन्हें मुआवजा देने के बारे में क्या सक्रिय कदम उठाये हैं ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : केवल बन्दोबस्त शुदा जागीरें निम्न लिखित तारीख से पुनर्ग्रहीत की गई हैं।

(क) तारीख १५-८-१९५४ से।

(ख) २०००) रु० से ५०००) तक की आयवाली तारीख २९-१०-५४ से। और १०००) रु० से २०००) तक की आय वाली तारीख १-१-१९५५ से।

(ग) ५००) रु० से १०००) रु० तक की आयवाली जागीरें ता० १५-९ ५७ से ५००) रु० से कम आयवाली जागीरें तारीख १-७-५८ से। इनमें धार्मिक जागीरें शामिल नहीं हैं।

(२) तहसील खारची में :

(१) कंटालिया, (२) घूंघला (३) खेड़िया (४) नवागांव (५) मैलाप (६) कंटालिया (छुटभाई)

तहसील सोजत में :

(७) रूपावास (८) आलावास (९) मोड़ावास (१०) अजीतपुरा (११) रेमड़ावास (१२) खारिया फादरी (१३) अन्नतबासणी (१४) नापावास।

(३) विभागीय तौर पर मिसल बन्दोबस्त के आधार पर मुआवजे के फार्म भरे जाते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या जिन जागीरदारों ने फार्म नहीं भरे हैं उनको सरकार मिसल बन्दोबस्त के आधार पर मुआवज़ा देने का फैसला करेगी ?

श्री सम्पतराम : वह तो कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बेनाराम गेहलोत

पाली जिले के निर्माण कार्य

१८३. **श्री बेनाराम गेहलोत** (खारची) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

पाली जिले के निर्माण कार्यों के लिये सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ के बजट में जो धनराशि स्वीकृत थी उसमें से कितने कार्यों पर कितना-कितना रुपया व्यय किया जा चुका है और कितने कार्य अभी अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : पाली ज़िले के निर्माण कार्यों के लिये सन् १९५७-५८ और ५८-५९ के बजट में जो धनराशि स्वीकृत हुई थी उसमें

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से जिन–जिन कार्यों पर व्यय हुआ है तथा जो कार्य अभी अधूरे हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री बेनाराम गेहलोत : सूची मिली नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सूची पहले ही मेज दी जाती है। मुझे पता नहीं, क्यों नहीं मिली ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

तहसील लालसोट को सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलाना

१८४ श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या 'तहसील लालसोट, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या लालसोट में सब–डिविज़नल ऑफिस बनाने की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ?

उपमंत्री राजस्व विभाग : (श्री सम्पत राम) : जिलों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में नियुक्त समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। अभी विस्तृत सूचना देना लोक हित से अनुकूल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

सीकर हाई स्कूल में टाइप की व्यवस्था

१८५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) हाई स्कूल सीकर में वाणिज्य विभाग में टाइपिंग विषय के कितने विद्यार्थी हैं ?

(२) इस स्कूल में टाइप की कितनी मशीनें चालू हालत में हैं ?

(३) क्या यह सही है कि अधिकांश विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन भी टाइप करने का अवसर नहीं मिलता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) कक्षा १० में ४८ और कक्षा ९ में ८०।

(२) १४ हैं।

(३) जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या सरकार को मालूम है कि वहां कामर्स में अधिकांश विद्यार्थी असफल रहे थे और इसका कारण यह था कि वहां टाइपिंग के लिये प्रबन्ध नहीं था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप कहते हैं न कि वहां टाइप की १४ मशीनें ही हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : असफल रहने के और भी कई कारण हो सकते हैं।

Page No.20

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पर वे तो टाइपिंग विभाग में ही फैल हुए हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं खास तौर से जानकारी हासिल करूंगा कि क्या वज़ह है।

श्री अर्जुनदास : (अजमेर पश्चिम) : (अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ कमी है उसकी पूर्ति के लिये प्रयत्न किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

धौलपुर में गल्ले का वितरण

१८६. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर उप–जिले में कितना गल्ला वितरण कराया गया है और किस–किस महीने में ?

(२) वितरण की क्या व्यवस्था की गई थी ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न गलत एड्रेस हो गया था इस लिये इसका उत्तर सीविल सप्लाई मिनिस्टर अपनी टर्न पर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर में रविदासपुर नामक बस्ती

१८७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मन्त्री समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भरतपुर जिले के अन्तर्गत रविदासपुर नाम की कोई नई बस्ती बसाई गई थी ?

(ख) यदि हां, तो वहां पर बसने वालों के लिये सरकार ने क्या–क्या सुविधाएं देने की व्यवस्था की थी ?

(ग) क्या सरकार ने उन सभी सुविधाओं को प्रदान कर दिया है ?

(घ) क्या गत वर्ष उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायता कोटा के अनुसूचित वर्ग के लोगों को दे दी गई थी ?

(ङ) यदि हां, तो पुनः रविदासपुर वालों के लिये वह क्यों नहीं दी गई ?

(च) क्या उस स्थान को अब कोई सुविधा देने का विचार है ?

(छ) यदि हां, तो क्या, क्या और कब ?

उपमन्त्री समाज कल्याण विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) केवल १६ परिवारों को ३५० रु० प्रति परिवार के हिसाब से ५६०० रु० भवन निर्माण सहायतार्थ देने की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) इस वर्ष नये भवन बनाने के लिए बजट में प्रावधान नहीं है।

Page No.21

(श्री सम्पतराम)

(छ) इस प्रश्न पर अगले वर्ष विचार किया जायगा ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूँ मन्त्री महोदय ने जो कहा कि प्रति परिवार ३५० रु० देने की व्यवस्था की गई, तो इसके बाद में ७५० रु० देने का प्रावधान रखा गया था । इस सम्बन्ध में पिछली बार पूछा गया था तो कहा गया कि कोटा के लिये दे दिया गया था, एडिशनल फंड में से दे दिया जागया । पर वह रुपया इस साल भी नहीं दिया गया है ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, एडिशनल फंड्स तो उस समय दिये जाते हैं जब कि कहीं से बच जाय । विभाग ने एन्टीसिपेट किया था इसलिये कामेट किया था पर निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अमॉउन्ट कहीं से बच जायगा ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने जो ७५० रुपया देने का आश्वासन दिया था क्या उसकी पूर्ति करेंगे ? जब आप पूर्ति नहीं कर सकते तो आश्वासन ही क्यों देते हैं कि यथा संभव प्रयत्न किया जायगा ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सरकार कोई आश्वासन देती है तो यह माना जाता है कि उसकी पूर्ति होगी, पर उपमंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है. उससे ऐसा मालूम होता है कि दिया हुआ आश्वासन पूरा नहीं भी होगा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अलग बस्तियों में हरिजनों को क्यों बसाया जाता है, उसी मौहल्ले में जिसमें वे लोग रहते हैं, क्यों नहीं रखा जाता ?

श्री सम्पतराम : यथा संभव अलग बसाने की योजना नहीं है । अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बस्ती बसाता है तो कोई भी ले सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : सिटी प्लान में उनको जिस स्थान पर वे हैं, वहीं आबाद क्यों नहीं किया जाता ।

श्री सम्पतराम : सरकार यही करती है ।

श्री मलचन्द डागा : तो क्या यह मान कर चलें कि व्यक्तिगत रूप से हरिजनों को सरकार कर्ज देती है ।

श्री सम्पतराम : जी हां ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सही है कि व्यक्तिगत रूप से कर्ज देने का दो वर्ष पहले सरकार ने रवैया बन्द कर दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी बात तो गलत है कि हरिजनों को व्यक्तिगत रूप से कर्ज मिल ही नहीं पाये । मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अत्यन्त नम्रता से मुख्य मंत्री महोदय को अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने कई अर्जियां दिलवाई हैं कि वह तो बस्तियों के लिये दिया गया है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कोटा में फ्लड से इफेक्ट हुए थे, उनके लिये डायवर्ट कर दिया था पर अभी तक जवाब नहीं दिया है ।

Page No.22

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पूरी जानकारी की जायगी कि फंड्स इस हैड में अवेलेबल हैं भी कि नहीं।

श्री अध्यक्ष : अगले साल तक दे सकेंगे।

श्री रामचन्द्र (डग सु.) : भारत सरकार ने मिक्स्ड बस्तियां बसाने की घोषणा की है तो इसके लिये राजस्थान सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई जगह प्लाट्स मिलते हैं, ऑक्शन होता है, दूसरे लोग लेते हैं उस तरह से हरिजन भी लें।

श्री रामचन्द्र : ऑक्शन में तो कम्पीटिशन होता है पर भारत सरकार के आदेश हैं कि नई बस्तियां बसाई जाय उनमें १।३ बस्ती हरिजनों की होनी चाहिये। भारत सरकार के इस आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारी जानकारी में भारत सरकार का ऐसा आदेश नहीं है।

श्री रामचन्द्र : अनुसूचित जातियों की रिपोर्ट निकली हैं उसमें बतलाया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रिपोर्ट और भारत सरकार के आदेश अलग-अलग बातें हैं।

गिलगिलया एवं बरहान पट्टियों के निवासियों के प्रार्थना-पत्र

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Revenue Minister be pleased to state :-

(1) Was a representation made by the residents of Gilgilya patti and Barahan patti of Ucchhain Town in Rupbas Tehsil for their rehabilitation at other place in the same town to save them from annual floods ?

(2) If so, what steps has the Government taken to rehabilitate them and to acquire the Land which is approved by the Block Development Officer and Collector ?

उप-मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : 1. Yes Sir, Representtation was made.

2. The proposals of the Collector in this connection are under the consideration of the Government.

श्री श्रीभानसिंह : When will the Government take some specific steps either before the floods or after the next floods ?

श्री सम्पतराम : कलेक्टर ने अपने proposal भेजे। उनको वापिस कुछ क्वेरीज़ के साथ लौटाये हैं। जब आवेंगे तब देखा जावेगा।

श्री श्रीभानसिंह : Who has made the objection ? It is from the P. W. D. or the Governmet, who has made objection ?

श्री सम्पतराम : Revenue Department.

श्री श्रीभानसिंह : Did the B. D. O. submit any report regarding relief due or the map and their plan ?

श्री सम्पतराम : This is not in my knowledge.

श्री श्रीभानसिंह : Then on what grounds, the Revenue Department made an objection regarding compensation or the relief ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): The proposal has been received from the Collector. As soon as the consent in writing is recei ved, acqusition proceedings will be taken up, under the Act.

श्री श्रीभानसिंह : Is it necessary under Act to obtain the consent of the man ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, to expedite acquisition.

श्री श्रीभानसिंह : In the event of the man refusing to comply with the Government Orders, what procedure will be taken ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The man is prepared to give the consent in writing.

श्री श्रीभानसिंह : The information is incorrect. The man has refused to give it.

श्री दामोदरलाल व्यास : Now you are giving this information. I haven't got is so for.

श्री श्रीभानसिंह : Did the residents of place deposit Rs. 3000 for the land ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No. This is not within my knowledge.

श्री श्रीभानसिंह : Did the B. D. O. report that people are prepared to deposit Rs. 3,000 for rehabilitation....

श्री दामोदरलाल व्यास : The owner is prepared to take another land in exchange.

श्री श्रीभानसिंह : In case if he is not prepared to give the consent, what action will the Government take ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Government will start the acquisition proceedings to get land.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Collector report that the consent is required for the acquisition of land or for allotting seperate...

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that the consent is required to expedite the acquisition proceedings. We will acquire the land and pay the compensation.

श्री श्रीभानसिंह : But in this I may inform the Hon'ble Minister that the consent has delayed the matter rather than expediting it.

फागी व दूदू में हाई स्कूल

१८६. रावल श्री नरेन्द्र सिंह (दूदू) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.24

(रावल श्री नेरन्द्रसिंह)

(क) क्या सरकार को विदित है कि तहसील फागी व दूदू के हैड क्वार्टर्स में हाई स्कूल नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों जगह पर तुरन्त हाई स्कूल खोलने के प्रश्न पर तुरन्त विचार किया जावेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जी हां।

(ख) अन्य हायर सेकेन्डरी स्कूलों के साथ सरकार की निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए इन स्थानों पर भी उपयुक्ततानुसार विचार किया जावेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि ऐसे जरूरी मामले होते हैं उसमें तो···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न पूंछ रहे है या कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह एक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। यों ही मैं तो सदन का समय बहुत कम लिया करता हूँ यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी है वहां की दोनों तहसीलों में दूदू और फागी में हाई स्कूल····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बजट आ रहा है, उस पर आप करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने तो बहुत कम कहा है। मेरा निवेदन यह है कि दूदू और

(हंसी)

फागी में हाई स्कूल नहीं है आप कब तक विचार कर रहे हैं। नया बजट आ रहा है इसलिये कहा है। वहां पर गरीब प्रजा होने से ऐसा हो रहा है। रेवेन्यु मिनिस्टर साहब मेरे साथ आवें तो मैं सारे इलाके में जाकर उन्हें बताऊं। अगर रुपयों की कमी हो तो शहर उसके लिए करे। सेठों में टाउन्स में बन्दोबस्त होता है मगर यहां पर काश्तकार गरीब हैं इसलिये यहां पर जरूर प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का लिहाज़ हमारे दिल में काफी है। प्रश्न यह है कि आपने वहां के प्रतिनिधि होने के नाते प्रयत्न किया है मगर मैंने भी कई बार प्रयत्न किया है। मैंने आपके वोटरों वगैरा से काफी कहा कि अगर आप यह करें तो काफी कार्य होगा। गरीब तो सभी जगह के लोग हैं। मगर फिर भी आपका सहयोग रहा तो जल्दी हो सकता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वहां जो कमी है वह हाई स्कूल की है। आस पास में कोई हाई स्कूल नहीं है। फागी के नज़दीक···वहां पर प्रबन्ध हो सकता है। जैसे शहरों में बिना किसी प्रकार की वसूली किये प्रबन्ध होता है उसी तरह हैड क्वार्टर पर भी आवश्यक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आपने मेरे वोटरों से भी कहा। मेरा कहना तो ठीक नहीं है परन्तु जब यह प्रश्न आया इसलिये कहना पड़ता है कि मैं दूसरी पार्टी से खड़ा होने के सबब से आज तक वहां पर कृपा नहीं दिखाई गई है।

Page No.25

श्री अध्यक्ष : नही ऐसी बात तो नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा तो आप नहीं फरमावें। मैं दूसरी पार्टी की बात का ज्यादा ख्याल रखता हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : चारों जगह बगरू, सांगानेर, दूदू और फागी में अभी तक आपकी कोई भी कृपा नही हुई।

श्री अध्यक्ष : इन चार जगहों के अलावा और भी कई तहसीलें हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तहसील मालपुरा से जोबनेर तक एक भी हाई स्कूल नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी ४२ तहसीलें ऐसी हैं जहां पर हाई स्कूल नहीं हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप नोट तो कर लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम देवली, तहसील खारची में गोचर भूमि

१६०. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम देवली तहसील खारची में जागीर सेटिलमेंन्ट विभाग द्वारा ४५.० बीघा गोचर कायम किया जा चुका है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त गोचर भूमि में काश्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की शिकायतें ग्राम की जनता ने तहसीलदार व कलेक्टर को की थी ? यदि हां, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि जनता की शिकायत पर तहसीलदार व कलेक्टर मौका देखने गये ? यदि हां, तो कब और उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

(५) क्या यह भी सही है कि अब उस ग्राम में गोचर भूमि बिल्कुल नहीं है ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है।

श्री बेनाराम गहलोत : अगली टर्न पर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

हिन्डौन घौलेटा, सड़क के लिये काश्तकारों की ज़मीन अवाप्त

१६३ **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिन्डोन से घौलेटा जाने वाली सड़क के लिये कितने काश्तकारों की जमीन अवाप्त की गई ?

(ख) उपरोक्त काश्तकारों में से अभी तक कितनों को मुआवज़ा दिया गया है ?

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(ग) क्या यह सही है कि अवाप्त की गई भूमि का लगान अब भी तहसीलदार टोडाभीम वसूल कर रहे हैं ?

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) ३२६ कृषकों की भूमि अवाप्त की गई ।

(ख) अभी तक किसी भी कृषक को मुआवज़ा नहीं दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन लोगों की जमीन अवाप्त की गई उसके सम्बन्ध में शिकायतें भी सरकार के सामने पेश की गई है कि लगान अब भी वसूल कर रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : अब आदेश दे दिये गये हैं कि लगान वसूल नहीं किया जाए ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कितने वर्ष तक यह लगान वसूल किया जाता रहा ?

श्री सम्पतराम : यह अलग से प्रश्न है । अगर वे चाहें तो रिफन्ड की कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि अवाप्त की गई भूमि का लगान अब भी तहसीलदार टोडाभीम वसूल कर रहे हैं ? यह लगान दो तीन वर्षों से लगातार वसूल हो रहा है । आपने ऑर्डर अब दिये हैं ।

श्री सम्पतराम : पहले लोगों से वसूल हुए होंगे यह मेरी जानकारी में नहीं है । अब निश्चित रूप से ऑर्डर दे दिये गये हैं कि उनसे लगान वसूल नहीं किये जावें ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या सरकार स्वयं उनके लगान को रिफन्ड कर देगी या उनको कोई कार्यवाही करनी होगी ?

श्री सम्पतराम : जो रकम रिफन्ड करने के लायक होगी वह कर दी जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : यह प्राय देखा गया है कि निर्माण आदि कार्य में एग्रिकल्चरिस्ट की भूमि एक्वायर की जाती है और उससे लगान वसूल किया जाता है । उनको एक्वायर की हुई भूमि का मुआवजा नहीं मिलता । सरकार को ज्यादा सजग होकर मुआवजे की कार्यवाही करनी चाहिये और लगान वसूल किया गया हो वह जितना निकलता है उसको वापिस दे दिया जाना चाहिये । पहले भी इस सम्बन्ध में सदन में प्रश्न आ चुका है ।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की शिकायत आई है कि उसका कब्जा सरकार ने ले लिया है तो उसका लगान वसूल करना बन्द कर दिया जावे । कोई वसूल करते हैं तो उनके एकॉउन्ट में उसको एडजस्ट कर लेते हैं । माननीय सदस्य बतावें तो उस पर अवश्य कार्यवाही होगी जैसा मैंने निवेदन किया ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं स्पष्ट कहता हूँ कि अभी–अभी वसूल हुआ है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यदि लिया गया है तो रिफन्ड किया जावेगा ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : यह आदेश कब दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत पहले।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बहुत पहले कब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछें।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : शिकायत आने पर ही आपको मालूम हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायत आने पर ही मालूम हुआ।

१२ म० प०

श्री दामोदरलाल व्यास : मुआवज़ा दिया जाता है उसकी प्रोसिडिंग्स चल रही हैं, अभी फाइनेलाइज़ नहीं हुई है। They are quite judicial proceedings. किस स्टेज़ पर है यह मैं नहीं कह सकता हूं। यदि आप किसी स्पेशल केस के लिये पूछें तो मैं जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं किसी खास केस की यहां वकालत करने नहीं आया हूं, मैं तो जनरल केस के बारे में ही पूछ रहा हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : स्पेसिफिक केस के लिए फरमाते हैं तो मैं कहता हूँ कि कांमा-गुडा को क्यों नहीं मिला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इस सवाल से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बत सिंह :

कालन्द्री उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के अध्यापक

१६५. **श्री मोहब्बतसिंह** : (सिरोही) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) सिरोही जिले की कालन्द्री उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में सीनियर टीचर्स (Senior Teachers) की संख्या कितनी है ?

(२) क्या सरकार सम्बन्धित संस्था में, ऐसे अध्यापकों की संख्या बढ़ाने की कार्यवाही करने को उद्यत है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) २।

(२) जी 'हां'।

श्रीमोहब्बतसिंह : एक हायर सैकेन्डरी स्कूल में सीनियर टीचर की मिनिमम स्ट्रेंग्थ कितनी होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है।

श्री मोहब्बतसिंह : जहां जहां हायर सैकेन्डरी स्कूल्स हैं तो वहां कम से कम सीनियर टीचर्स की मिनिमम स्ट्रेन्गथ तो कोई होनी ही चाहिये क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां शुरू करने है वहां दो सीनियर अध्यापक रखते हैं और ११ की क्लास हो जाती है तो फिर ६ सीनियर टीचर और रखे जाते है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह।

गर्ल्स हाई स्कूल सिरोही में अध्यापिकाओं की कमी

१६७ **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) सिरोही गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिकाओं की क्या संख्या है और किस किस योग्यता की है ?

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि उच्च योग्यता वाली अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि इस संस्था के लिए करना आवश्यक है ?

शिक्षा मंत्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (क) मुख्याध्यापिका ट्रेन्ड ग्रेजुएट १, सहायक अध्यापिका अन ट्रेन्ड ग्रेजुएट २, सहायक अध्यापिका मैट्रिक २, सहायक अध्यापिका मिडिल व विद्याविनोदिनी ७ कुल १२ ।

(२) अगले साल दसवीं कक्षा चालू होने पर एक ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापिका और बढ़ा दीजावेगी ।

श्रीमोहब्बतसिंह ; क्या यह सही है कि सरकार यह महसूस करती है कि सीनियर लेडी टीचर की यहां भी कमी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। वहां पर संगीत, ज़नरल साइन्स, गणित के लिए दूसरा उपलब्ध नहीं हो सकता था इस लिए पार्ट टाइम पढ़ाने के लिए हाई स्कूल से इन्तजाम किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

१२.३ म. प.

राजस्थान भू-धारण (छठा संशोधन) विधेयक १६५६

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)

श्री उपाध्यक्ष (श्री निरंजन नाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को २५ अप्रेल,१६५६ तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री अर्जुनदास : (अजमेर–पश्चिम) दो मिनिट का इन्टरवल कर दिया जाय, भौंपू के बजने के कारण सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अवधि बढ़ाई गई ।

१२. ३ म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १६५८-५६ (द्वितीय खंड) की प्रस्तुति ।

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १६५८–५६ (द्वितीय खण्ड) को प्रस्तुत करता हूं ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : अब स्पेसिफिक डिमान्ड मूव कर दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करता हूँ, 'कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ८०,मुख्य शीर्षक ५७—विविध, के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २४,२०,०००) की राशि प्रदान की जाय।'

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि इन पर बहस ४॥ बजे तक चलेगी। उसके बाद गिलोटीन लगाया जायगा एवं उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल को पास करने की कार्यवाही, जो होती है, वह की जावेगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में बोलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकें।

(विराम)

Cut motions. श्री पी. के. चौधरी।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८०-विविध

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे २ कटमोशन्स हैं। दूसरा कट-मोशन है, वह है डिमान्ड नं० ८०, मैजर हैड ५७—मिसलेनियस पर, जिसको मैं मूव करता हूँ :

"That the supplementary demand may be reduced by Re. 1/—(to discuss the drawbacks of the Government Advertisement Policy)" मैं फर्स्ट कट मोशन को आज मूव नहीं करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो कट मोशन है उसको मूव करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की जो विज्ञापन नीति है उसकी मैं समालोचना करना चाहता हूं क्योंकि मैं उस को दोषपूर्ण मानता हूँ। आज की सरकार की जो विज्ञापन नीति है वह पक्षपातपूर्ण है और उससे कम से कम इस प्रान्त में जो स्वतन्त्र पत्र कारिता है उसके विकास में बाधक सिद्ध होती है। आज तक यह देखा गया है कि सरकार की तरफ से सरकार के अधिकारी लोग ऐसे अखबारों को, ऐसे पत्रों को विज्ञापन देते हैं, उन अखबारों को पैट्रोनाइज करते हैं, जिनका या तो कोई सरक्युलेशन नहीं होता है, या जो मंत्रियों के फोटो छापते हैं, या उनके गुणगान करते हैं। ऐसे अखबारों में विज्ञापन देते है लेकिन जिन अखबारों का सर्कूलेशन ज्यादा है, जिसका रिपोर्टिंग आब्जेक्टिव है, ऐसे अखबारों में उनके विज्ञापन कम जाते हैं। इसलिए जो विज्ञापन देने की नीति सरकार की होनी चाहिये वह एक विरोधी जैसी है। विज्ञापन देने की जो नीति होती है उसका कोई आधार होता है कि विज्ञापन की अमुक नीति है और उसका यह आधार होना चाहिये। यह देखा जाता है कि पेपर का सक्युलेशन क्या है? विज्ञापन देते हैं तो उसको किस लिये देते हैं? उसकी रीडरशिप कितनी है, किस क्लास की रीडरशिप के लिए विज्ञापन देना चाहते हैं? इन पर ही सरकार की नीति निर्धारित होनी चाहिये? सरकारी नीति में यह भी होना चाहिये कि मनमाने ढंग से प्राइवेट इन्डीविजुअल की तरह से विज्ञापन न दे दिये जाय। एक बिजनैसमैन मनमाने ढंग से विज्ञापन दे सकता है, लेकिन सरकार के लिए तो निर्धारित नीति ही होनी चाहिये और

Page No.30

(श्री के. पी. चौधरी)

रहनी चाहिये, सरकार किसी को और विट्रेरिली विज्ञापन नहीं दे सकती, क्योंकि आखिर सरकारी विज्ञापनों के जरिये जो पब्लिक के फन्ड्स हैं उनको खर्च करते हैं और उसका खर्चा, उसका एक्सपेन्डीचर ज्यूडिशियस होना चाहिये और जो खर्चा करते हैं विज्ञापनों पर उसका मेक्सिमम रिटर्न, मेक्सिमम फायदा मिलना चाहिये और मेक्सिमम फायदा विज्ञापन देने से तब ही मिल सकता है, एडवरटाइज़मेन्ट देने से तब ही मिल सकता है जब जिस अखबार में देते हैं उसका सक्युलेशन वाइडेस्ट हो, पापूलर हो, और तब जाकर जो पब्लिक फन्ड्स इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न मिलता है ।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो प्रेस कमीशन था उसने भी इस विषय पर काफ़ी सोच विचार किया है कि देश में स्वतन्त्र पत्रकारिता के विकास के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया रहना चाहिये, सरकार की क्या विज्ञापन की नीति रहनी चाहिये, विज्ञापन नीति में उसका क्या स्टेन्डर्ड रहना चाहिये, इसके लिए सरकार के लिए एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया जाय कि इस क्राइटेरिया, इस स्टेन्डर्ड, इस उसूल को मान कर सरकार विज्ञापन दे । वह क्राइटेरिया क्या है, इसको मैं प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसके पैरेग्राफ को पढ़ कर बता देना चाहता हूं । रिपोर्ट के ५०४ पेज़ पर सरकार की विज्ञापन नीति के बारे में इस तरह कहा गया है :—

"That absolute freedom to choose their media cannot be conceded to Government which is trustee of the public funds and therefore bound to utilise them without discrimination to the best advantage of public. Govt. should place advertisements having regard to the following considerations.

Circulation of the paper and rates charged by that paper, design and readership desired to be reached for the purpose of the particular advertisement.

Advertisements should not be confined to a single paper and should be distributed to as many suitable papers as satisfy the above."

अध्यक्ष महोदय, आप यहां की सरकारी विज्ञापन की नीति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ अखबार ऐसे हैं जिनको आप विज्ञापन देते हैं उनका सक्युलेशन बहुत कम है । मैं आपके सामने पिछले साल के फिगर्स रखना चाहूंगा कि जिससे यह मालूम हो जायगा कि सरकार ने दैनिक अखबारों को कितना-कितना विज्ञापन दिया है ।

नवयुग, दैनिक को २६ हज़ार रुपये का

राष्ट्रदूत, दैनिक को, १४ हज़ार रुपये का

लोकवाणी, दैनिक को १२ हज़ार रुपये का

राष्ट्रदूत और नवयुग के सक्युलेशन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रदूत का सक्युलेशन नवयुग से दस गुना ज्यादा है । नवयुग के लिये एक समय ऐसा भी था जब उसको बेचनेवाले जयपुर के चौराहे पर खड़े होकर नहीं बेच सकते थे । नवयुग और राष्ट्रदूत के सक्युलेशन के बारे में आप किसी भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का मेम्बर हो गवर्न-

(श्री पी. के. चौधरी)

मेन्ट ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, कि जयपुर और राजस्थान में किस पेपर का सक्युलेशन ज्यादा है सब से ज्यादा पॉपूलर अखबार कौन सा है तो उसका एक ही उत्तर होगा 'राष्ट्रदूत'। इसी प्रकार आप स्कूल के लड़कों से पूछ सकते हैं। मैंने स्कूल के छात्रों से पूछा है तो उन्होंने भी राष्ट्रदूत को ही बताया है और दूसरी तरफ आप सरकारी विज्ञापनों का हाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो पेपर ज्यादा पॉपूलर नहीं है उसको सबसे ज्यादा विज्ञापन दिये जाते हैं। जिसका सक्युलेशन सब से कम है और जिसका जिन्दा रहना ही सरकारी विज्ञापन पर निर्भर है, उसको ज्यादा विज्ञापन दिये जाते हैं। सरकार की इस बारे में क्या नीति होनी चाहिये इसके लिये प्रेस कमीशन ने एक और जगह उल्लेख किया है, जो विशेषतया राजस्थान से सम्बन्धित है। नवयुग को जो ज्यादा विज्ञापन दिये गये हैं। उसी का जिक्र किया गया है। प्रेस कमीशन कहता है :—

"It is not merely by the process of denying advertisement that patronage has been exercised. We have come across instances in Hyderabad and in many other States too of newspapers with very small circulation which have been favoured with Government advertisements. An extreme case would be the instance quoted from Rajasthan where a paper appeared with the whole page of Government advertisement in one of its earliest issues."

यह नवयुग को रेफर करता है। जिस पेपर का सक्युलेशन कम है उसको तो ज्यादा विज्ञापन दिये जाते हैं और जिसका ज्यादा है उसको कम विज्ञापन दिये जाते हैं। प्रेस कमीशन ने कहा है जिन अखबारों को विज्ञापन दिया जाता है उसमें यह देखना चाहिये कि अखबारों का सक्युलेशन क्या है? आज जो अखबार वाले हैं वे क्या करते हैं कि फाल्स सक्युलेशन फीगर्स दे देते हैं। न्यूज़ पेपर एजेन्सी या ऑडिट्ब्यूरो के मेम्बर हो जाते हैं वहां पर फर्जीमेम्बर का रिटर्न दिखा देते हैं। दूसरा गवर्नमेन्ट का जो सक्युलेशन का फेक्ट फिगर्स है उस पर एडवर्टिज़मेन्ट मिलता है। इसलिये प्रेस कमीशन ने कहा है सक्युलेशन का क्राइटेरिया यह है कि सरकार को चाहिये कि पीरियोडिकली इस बात की इन्क्वायरी करें, किस पेपर का कितना सक्युलेशन है। और यह भी देखे कि कौन से पेपर को ज्यादा प्राइवेट एडवरटाइज़मेन्ट मिलते हैं। सरकार जो विज्ञापन देती है।

It must be a fraction of the advetisement revenue that the paper receives from outside.

इस पॉलिसी पर हम देखेंगे तो ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो सिर्फ सरकारी पैसे से या सरकारी एडवर्टिइज़मेन्ट के जरिये से जो पैसा मिलता है उसका सारा का सारा खर्चा चले ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में ऐसे बहुत से साप्ताहिक हैं जिनका सिर्फ सरकारी विज्ञापन पर ही खर्चा निकलता है जिसका नम्बर वेरी करता है गवर्नमेन्ट एडवर्टिजमेन्ट की क्वान्टिटी पर। कुछ पेपर्स का नाम मैं बता सकता हूं नवजीवन, लोकजीवन ये साप्ताहिक हैं जिनका एडवर्टिज़मेन्ट की क्वान्टीटी पर साइज़ वेरी करता है। इसी प्रकार के और भी अखबार हैं जैसे नवयुग,

(श्री पी. के. चौधरी)

राजस्थान पत्रिका, नवज्योति, अमरज्योति, जनवाणी, नवजीवन, ज्वाला, सेनानी, आयोजन यह भी एक ऐसा अखबार था मासिक पत्र था जो अब बन्द हो गया है। जब-जब एडवर्टिज़मेन्ट मिलता था तब-तब उसका प्रकाशन होता था।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह जो सरकार की दोषपूर्ण विज्ञापन नीति है उसमें दो चीजें होती हैं। मैं समझता हूं इससे स्वतन्त्र पत्रकारिता के लिये एक खतरा पैदा हो गया है। आज हम देखते हैं कि पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में सबसे बाधक जो चीज़ है वह है वेस्टेड इन्टरेस्ट है। आज जितने भी बड़े पेपर्स हैं जो दिल्ली कलकत्ता मद्रास आदि शहरों में जिनका सर्क्युलेशन जितना ज्यादा है, वे सब या तो बिड़ला के है या गोयनका के है या डालमिया के हाथों में है। वे ऑब्जेक्टिव न्यूज़ देते नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है कि मिलिट्री ट्रक्स के बारे में कुछ अखबारों ने डील किया था लेकिन इन अखबारों ने उसका विरोध किया था। इसके बारे में दूसरे अखबारों ने जो लीपटस्ट व्यूज़ के थे उन्होंने डिफेन्स डिपार्टमेन्ट को क्रिटीसाइज़ किया था। इस तरह से पूंजीपतियों ने अखबारों पर कब्जा कर लिया है और जब गवर्नमेन्ट इसमें शरीक हो जाती है तो एक तरफ तो केपीटेलिस्टों के अधीन न्यूज़ पेपर चलते हैं दूसरी तरफ जो एक दो अखबार रहते हैं जो स्वतन्त्र पत्रकारिता चलाना चाहते हैं जो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करना चाहते हैं इसको जाकर खराब करते हैं। जो अखबार गवर्नमेंन्ट के व्यूज़ के खिलाफ़ व्यूज देते हैं उन अखबारों को सरकारी विज्ञापन नहीं मिलता है। आज राजस्थान में आपको एक भी वीकली ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हमारे किसी न किसी मन्त्री का फोटो न निकलता हो। उनकी तारीफ नहीं निकलती हो इसीलिये उनको विज्ञापन मिलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक्सपेरिमेन्टल तौर पर ही यह करके देख लें कि इन वीकलीज़ को ६ महीने तक सरकारी विज्ञापन न दें वह अखबार निकल सकता है या नहीं। एक टेस्ट केस है। ६ महीने के लिये बन्द कर दें और इसके बाद देखिये कि अखबार निकलता है या नहीं।

दूसरी बात, जो चन्द रोज पहले राजस्थान केनाल का एडवर्टिज़मेन्ट हुआ। उस बारे में मेरे एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि उद्घाटन के उपलक्ष्य में ३० हज़ार रुपया खर्च हुआ। इसमें से if I remember correctly हजार २८ रु० एडवर्टिज़मेन्ट में खर्च किया गया, प्रचार में खर्च किया गया है। इसमें से जयपुर के एक अखबार को सिर्फ नवयुग को दो हज़ार दिया, बाकी २६ हजार दिल्ली और बम्बई के अखबारों को दिया गया। जब कि प्रेस कमीशन का निर्देश है कि आप जब एडवर्टिज़मेन्ट देते हैं तो ऐसे पेपरों को देना चाहिये जिससे आपका मकसद पूरा होता हो, विज्ञापन देने का और उसका प्रॉपर यूटीलाइज़ेशन हो सके। राजस्थान नहर के उद्घाटन का सम्बन्ध राजस्थान की जनता से है न कि बम्बई या दिल्ली की जनता से। आप राजस्थान नहर में कितनी जमीन काश्त कर सकेंगे, कितनी में पानी देंगे और कब तक दे देंगे, इसकी जानकारी देते हैं और इसकी जरूरत पंजाब दिल्ली कलकत्ता और बम्बई के लोगों को नहीं, बल्कि राजस्थान के लोगों को है।

(श्री पी. के. चौधरी)

आप कहेंगे कि राजस्थान में भी तो ये अखबार आते हैं; टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन आते हैं। पर मैं कहता हूं कि जिन काश्तकारों को आप वहां बसाना चाहते हैं और जिस वजह से आप विज्ञापन करते हैं उनको आकर्षित करने के लिये कि वे वहां आवें और खेती करें और वहां नहर एरिया में बसें, उनमें कोई आपके ये पेपर नहीं पढ़ते। जो जानकारी आप उन किसानों को देना चाहते हैं वह जानकारी ये पेपर नहीं दे सकते। इसकी जानकारी देना है, तो यहां के लोकल अखबारों को आपको एद्वर्टाइज़मेन्ट देना चाहिये। यह मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं। २८ हज़ार रुपया आपने वेस्ट किया और इतना हीं नहीं जिनको आपने विज्ञापन में इतना रुपया दिया उन्होंने सप्लीमेन्टरी भी निकाला और मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उनकी थाउजेन्ड ऑफ़ कॉपीज़ सरकारी डिपार्टमेन्टों ने खरीदी हैं। इस तरह आपने इन अखबारों को डबल पेट्रोनाइज़ किया। एक तो एड्वर्टिइज़मेन्ट दिया और दूसरा सप्लीमेन्ट्री निकला तो उसकी हज़ारों कॉपीयाँ खरीदीं। प्रेस कमीशन ने साफ कहा है कि जैसे आपको टेन्डर निकालना है, खुर्रा बनाने के लिये या कुआं बनाने के लिये तो आपका मकसद है उसकी जानकारी उस काम के करने वालों को अधिक से अधिक मिले और यह काम आपको कराना है बसवा में, बसवा तहसील के किन्हीं गांवों में। तो इसके लिये बसवा में जो पेपर जाता है वहां जिस पेपर का अधिक सर्क्युलेशन है उनको टेन्डर नोटिस छापने के लिये देना चाहिये न कि आपको दिल्ली के टाइम्स ऑफ इन्डिया या स्टेटमैन में देना चाहिये। जिन कन्ट्रैक्टर्स के लिये इन अखबारों की ज़रूरत होती है वे बड़े बड़े होते हैं, वे आपके इन छोटे कामों के लिये बसवा में नहीं आवेंगे, इन अखबारों के एड्वर्टिज़मेन्ट ये बड़े-बड़े कन्ट्रैक्टर ही पढ़ते हैं। इसके लिये तो उसी पेपर या पेपरों को आपको विज्ञापन देना चाहिये जिसका वाइडेस्ट सर्क्युलेशन उस एरिया में हो।

तो इस क्राइटेरिया से भी राजस्थान नहर का विज्ञापन आपको यहां के पेपरों में करना चाहिये था। आप इस विज्ञापन से एक मकसद पूरा करना चाहते हैं और वह मकसद आपका यही हो सकता है, दूसरा नहीं कि राजस्थान के काश्तकार को आप जानकारी दें इसके बारे में। आप बताना चाहते हैं यहां के काश्तकारों को हम २५।२६ लाख एकड़ में सिंचाई का बन्दोबस्त कर रहे हैं। आप चाहें तो वहां बस सकते हैं। यही मकसद हो सकता है। इसका विज्ञापन देने का और दूसरा मकसद नहीं हो सकता। तो इसका विज्ञापन आपको अगर देना ही है तो उन पेपरों को दीजिये जो इन किसानों तक पहुँच सकते हों। आपको राजस्थान के, जयपुर के या जोधपुर के पेपरों को देना चाहिये था। उनको तो नहीं दिया, दिया भी तो एक जयपुर में के को दिया जो सरकार की विशेष महरबानी का पत्र है, दूसरों को नहीं दिया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : Please be brief as I have requested earlier, so that we can dispose of more demands. Five minutes more.

पी० के० चौधरी (जारी) : इसकी दूसरी एग्ज़ाम्पिल दूंगा और बाद में इस

(श्री पी. के. चौधरी)

सम्बन्ध में भाषण खत्म कर दूँगा। ब्लिट्ज़ में देखा, राजस्थान की न्यूज़ निकली पिछले दिसम्बर में यानी कुछ सरकार के खिलाफ़ बातें इस में निकलीं। किस विषय में निकलीं, वह नहीं कहना चाहूँगा। पर निकली जरूर। उनको एडवर्टिइज़मेन्ट मिल गया। इसके बाद दो-तीन महीने सरकार के खिलाफ़ न्यूज निकलनीं बन्द हो गई। तो it is a direct bribe किसी तरह से ब्राइब किया गया। क्रूड लैंगवेज़ में कहें तो पैट्रोनाइज़ करने के लिये विज्ञापन दिया जाता है वह इनको ब्राइब करने के बराबर होता है। it is a sort of bribe.

दूसरी बात, इसकी कई मिसालें हैं, जिस पेपर पर मेहरबानी करना चाहते हैं, फायदा पहुँचाना चाहते हैं उसको विज्ञापन ही नहीं देते और भी नाजायज़ तौर से फायदा पहुंचाते हैं। ऐसी भी मिसालें नज़र आई कि टेक्स्ट बुक की लिस्ट है, वह दी गई प्रेस कम्युनिक के जरिये से। वह सारे अखबारों में, जिनको भेजा गया, छूट जाती हैं और इसको भी एडवर्टिज़मेन्ट मानकर इस हैसियत से पेमेन्ट दिया गया। समाज कल्याण विभाग के प्रेस कम्युनिक को एडवर्टिज़मेंट जानकर अखबारों को दिया जाता है।

दूसरी बात, ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जो टेन्डर नोटिस हैं उनको सबमिट करने का टाइम पास हो जाने के बाद भी वह छपता है और ऐसे अखबारों में छपता है जहां कोई टेन्डर देने वाला नहीं और उनको भी पेमेन्ट मिल जाता है। यह सारी विज्ञापन नीति आपकी दोषपूर्ण है यह मैं बताना चाहता हूं और हम तो अपील सरकार से इस बात की करना चाहते हैं कि प्रेस कमीशन ने एक क्राइटेरिया मुकर्र किया है उसको लेकर आप चलिये। या फिर आप कहिये कि आपका निजी क्राइटेरिया क्या है। उसूल, प्रिन्सिपल आपका इसमें क्या है जिससे आप गाइड होते हैं। इसके बिना तो गवर्नमेंट आर बिटरेरिली एडवर्टिज़मेन्ट नहीं दे सकती है।

They cannot refuse advertisement because they do not like a paper, because a paper temporarily criticises them. That cannot be a criteria for refusing advertisement. इस तरह से तो प्राइवेट इन्डिविजुअल कर सकते हैं। पर वह प्राइवेट बिज़नेस मैन भी ऐसा नहीं करता। वह भी चाहे, किसी पेपर से कैसी भी दुश्मनी उसकी क्यों न हो पर जब उसको किसी बात का विज्ञापन कराना है तो वह सबसे पहले यही देखेगा कि वाइडेस्ट सर्क्युलेशन किस पेपर का है, फिर वह वाइडेस्ट सर्क्युलेशन किसी भी पेपर का हो, वह उसी को अपना विज्ञापन देगा तो आपको भी अगर राजस्थान नहर के बारे में विज्ञापन देने हैं और वे भी राजस्थान के किसान को जानकारी देने के लिये तो आप उन्हीं पेपरों को दीजिये जो उनके पास जाते हो और जो राजस्थान के हों।

दूसरी बात, सर्क्युलेशन भी अखबार वाले गलत देते हैं। तो Government advertisement must be a fraction of the normal advertisement which a paper receives from other sources. Government advertisement should be 20 to 25% of the total advertisement revenue. बिज़नेसमैन गवर्नमेन्ट की तरह बेवकूफ नहीं होता। किसी से उसकी दुश्मनी है फिर भी जिसका सर्क्युलेशन ज़्यादा होगा उसी को देता है। इसी तरह से सरकार को

(श्री पी. के. चौधरी)

भी टोटल रेवेन्यु उस पेपर को थ्रू अदर सोर्सेज़ क्या मिलती है उसके एक फ्रिक्शन में देना चाहिये। न कि गवर्नमेंट ८० पर्सेन्ट और १०० पर्सेन्ट ऑफ दी रेवेन्यू ऑफ देट पेपर दे। It should be 20 or 25 percent of that total revenue of the paper through other sources इससे ज़्यादा रेवेन्यु सरकारी विज्ञापन की नहीं होनी चाहिये उस पेपर को। इतना ही मेरा कहना है और इसीलिये यह कट मोशन रक्खा है। क्योंकि सरकार की एवडर्टइज़मेन्ट पॉलिसी की, और सरकार के पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेन्ट की काफ़ी क्रिटिसिज़्म होती है।

इसमें एक सुझाव यह भी है कि आज पब्लि रिलेशन्स डिपार्टमेन्ट एडवर्टिज़मेन्ट और न्यूज़ का डिस्ट्रिब्यूशन का काम करता है। यह डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स ही अखबारों को सरकारी न्यूज पब्लिश करने को भेजता है। किन्तु अगर किसी अखबार वाले ने किसी भी कारण से जैसा डाइरेक्टर चाहता है उस तरह से उसको इम्पोर्टेन्स नहीं दी, जैसी स्पेस या डिस्प्ले वह उस न्यूज़ को देना चाहता था, वैसा उस अखबार वाले ने नहीं दिया तो वह उस अखबार से नाराज़ होता है और इस नाराज़ी से एडवर्टिइज़मेन्ट कम कर देता है। इस एडवर्टिज़मेन्ट के लिये डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स उनको दबाता है। उसे अपने न्यूज़ को पब्लिश करने के लिये अखबारों की खुशामदें करनी पड़ती हैं। पर उसे जब आप एडवर्टिजमेन्ट देने का अधिकार भी दे देते हैं तो they blockmilitt hat adver-tisement must be given. जो अनइम्पोटेन्ट न्यूज़ है उसको भी वह चाहता है कि अच्छा स्पेस ले। इस न्यूज़ को ज़्यादा फ्लैश कर दे, अब फ्लैश नहीं करेगा तो वह एडवर्टिज़मेन्ट नहीं देगा। तो इसलिये इस चीज़ में आप करप्शन को दूर करने या ऑफ़िशियल पेट्रोनाइज़ेशन को दूर करना है तो कम से कम एडवर्टिइज़मेन्ट देने का हिसाब डाइरेक्टर आफ पब्लिक रिलेशन्स के हाथ में नहीं रहना चाहिये। It may be given to the individual department. चाहे इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट हो या पी. डब्ल्यू. डी. हो या कोई और डिपार्टमेन्ट हो। अगर उसको एडवर्टिज़मेन्ट देना है, तो डाइरेक्टली दे सकता है उसको डी०पी०आर० के पास नहीं जाना चाहिए। तो मेरा यह सुझाव है कि डिपार्टमेन्टली एडवर्टिइज़मेन्ट दिये जायें। मेरा मतलब है कि जो डिपार्ट-मेन्टल एडवर्टिज़मेन्ट हों उनको तो खुद डिपार्टमेन्ट दे सकता है और गवर्नमेन्ट के जो ओवलऑल एडवर्टिज़मेन्ट हों वह डी. पी. आर. को न देकर दूसरे डिपार्टमेन्टस के ज़रिये से या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट के ज़रिये से एडवर्टिज़मेन्ट देने का डिस्ट्रिब्यू-शन होना चाहिए, यह मेरा इस संबंध में सुझाव है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, "Politics without morality is like a corpse to be buried." महात्मा गांधी ने एक जगह कहा था कि अगर किसी राजनीति में नैतिकता न हो और कोई राजनीति नैतिकविहीन राजनीति हो तो उसे मुर्दे की तरह समझना चाहिए और उसे जला देना चाहिए। अगर किसी राजनीति में नैतिकता नहीं है, और यदि उसका पतन हो चुका है। तो वह राजनीति अपने आपको खत्म कर देती है। मेरी समझ में नहीं आया मैंने अपने से भी पहले माननीय सदस्य का

Page No.36

(श्री मूलचन्द डागा)

भाषण सुना। मुझे मालूम हुआ और मैं इस तरह समझ सका हूं कि अजमेर की एडीटर्स की कान्फ्रेंन्स में एक प्रस्ताव पास हुआ कि राजस्थान की विज्ञापन नीति दोषपूर्ण नीति है और उस नीति का उन्होंने विरोध किया। आखिर में हम क्या चाहते है? हमारा एक खास आब्जेक्ट है कि हम किसी विधान को लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि कोई समाचार पत्र सरकार की तारीफ़ के ढोल नहीं पीटता है या तारीफ़ के पुलन्दे नहीं बांधता है या उस पर आपकी खामख्वां भौंहें तनी हैं। तो आप इससे अपने आपका खून नहीं करते हैं बल्कि हिन्दुस्तान के विधान का खून करते हैं। अगर हिन्दुस्तान में कोई गांधीजी की नीति है तो वह नीति यह थी कि Politics with morality.

लेकिन अब मोरेलिटी का सवाल नहीं है। अब तो राजनीति का मतलब है अनैतिकता। जो अखबार हमारी सरकार को पोपुलर कर सके उसे ही केवल एडवर्टिज़मेन्ट्स देना चाहिए। एक तरफ़ आप कहते हैं कि जो अखबार पोपुलर हैं, जो गलियों गलियों में बंटते हैं, बच्चे लोग इम्तिहानों में भी राष्ट्रदूत का उत्तर देते हैं। सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि गवर्नमेन्ट जिस अखबार को समझती है कि यह हमें पोपुलर करता है तो उसे ही यह एडवर्टिज़मेन्ट का काम दिया जाता है। एक बात बिलकुल साफ़ है, जहां हम सिद्धांत की बातें करते हैं वहां तो यह है कि बोलने और लिखने की स्वतंत्रता प्रत्येक को संविधान द्वारा प्राप्त है, अगर अखबारों में भी यही नीति होती तो अच्छा रहता। मैं यहां सदन में कई दफ़ा क्वेश्चन आवर में देखता हूं क्योंकि क्वेश्चन आवर ऐसा होता है कि the Government is on its trial. सारी गवर्नमेन्ट चौकन्ना हो जाती है और जब यहां सवालों की झड़ियां लग जाती हैं तो जो सरकार की ओर से उत्तर आता है वह उत्तर बताता है कि जन सम्पर्क विभाग में कुछ कमियां हैं जिनके कारण जो संबंधित अधिकारी हैं और जो संबंधित प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं वह अपनी आवाज़ को साफ़ नहीं रख सकते। आपको मालूम होगा कि जब ख्रुश्चेव और बुल्गानिन यहां आये उसके लिए कुछ एडवर्टिज़मेन्ट के लिए मसाला निकाला गया वह यूनाइटेड प्रेस दिल्ली से निकाला। वहां पर २५०० प्रतियों के लिए ऑर्डर था लेकिन उनका आज तक पता नहीं है कि उनका क्या हुआ और उनके पेमेंट का भुगतान पहले ही कर दिया गया। कोई यहां पर मिस्टर आहूजा करके हैं उन्होंने जन सम्पर्क विभाग की जांच की छानबीन की, उस रिपोर्ट का भी मालूम नहीं। यह विज्ञापन का जो महकमा है और जो इससे संबंधित अधिकारीगण हैं वह इसके बारे में सोचें। मैंने तो यहां तक देखा है कि २००० रुपये का खर्च कर जन सम्पर्क विभाग के अधिकारी दिल्ली जाते हैं वह भी पिछले लेटर्स और सर्क्यूलर्स देने के लिए। इसके लिए २००० रुपये का खर्चा होता है उन लैटर्स को देने के लिए जो कि पांच-सात रुपये में पत्र पहुंचाये जा सकते थे। लेकिन यह जो खर्चा हुआ इसके बारे में पता नहीं कौन जवाब देगा। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी देगी या और कोई, २००० रुपये दिल्ली जाने के लिए खर्च हुए। अच्छा होता कि किसी मंजे हुए क्लर्क को इस काम के लिए भेज देते और वह थोड़े ही दिनों में काम करके आ जाता और मुश्किल से सौ डेढ़ सौ रुपये में काम हो जाता। लेकिन २००० रुपया खर्च हुआ। जिस डिपार्टमेन्ट का

Page No.37

(मूलचन्द डागा)

फिज़िकल वैरीफिकेशन नहीं, जिस डिपार्टमेन्ट की कोई जांच नहीं...,

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : Is it dealing with advertisement policy or other policies ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विज्ञापन नीति का संबंध जिस विभाग से है उसी के बारे में मैं कह रहा हूं। आपको मालूम होगा कि एवीडेन्स एंक्ट की धारा ८....

श्री रामकिशोर व्यास : आप यहां इस समय एवीडेन्स एक्ट को डील नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, डिपार्टमेन्ट के कई काम होते हैं, उसके कई पहलू होते हैं परन्तु अभी जो बहस हो रही है वह एडवर्टिज़मेन्ट की देने की नीति पर हो रही है इसलिए अभी इस समय किसी डिपार्टमेन्ट की सारी अनियमितताओं के बारे में न कहें।

श्री मूलचन्द डागा : विज्ञापन के लिए ही मैं कह रहा हूं कि जिस समय खुश्चेव और बुल्गानिन आये उस समय विज्ञापन के लिए जो मसाला इकट्ठा किया गया था उसके विज्ञापन से ऐसा मतलब है आपका कि केवल अखबारों के विज्ञापन के बारे में विचार करें...

श्री अध्यक्ष : अभी तो यही मतलब है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह मानता हूँ कि जब अखबारों के बाबत में मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता महोदय ने यह बात साफ़ कही थी कि अखबारों की नीति के अन्दर क्या यह सरकार जांच करेगी कि वह किस नीति और किस रीति को सपोर्ट करती है और नीति और रीति के आधार पर एडवर्टिज़मेन्ट दिये जायें तो मैं समझता हूँ कि हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का एक प्रकार से विरोध ही है। हम यह चाहते हैं कि जिस अखबार के द्वारा किसी बात का प्रचार हो सके, किसी बात का प्रसार हो सके, किसी बात का फैलाव हो सके उस अखबार को ही हमें अपना एड्वर्टिजमेन्ट देना चाहिए और जैसा उत्तर आया है और यहां सदन में जो माननीय सदस्य सवाल रखते हैं।, उनसे मालूम हुआ कि हमारे यहां राजस्थान में कुछ ऐसे पत्र हैं जो गवर्नमेन्ट को और भी पापुलर बनाते हैं और उन्हीं को एडवर्टिइज़मेन्ट्स मिलते हैं। आखिर हमारे यहां राजस्थान में ऐसे पत्र भी बहुत हैं कि जिनकी जिन्दगी चाटुकारिता पर आधारित है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कोई बुरा नहीं होगा कि सारे के सारे अखबारों को जो स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी स्वतंत्र राय प्रकट करने की जो भावना होनी चाहिए उसको कुचले जाने का काम यदि राज्य सरकार करेगी और कांग्रेस की सरकार करेगी तो मैं आपसे कहूंगा कि हिन्दुस्तान में गांधीजी का बनाया हुआ और गांधी जी ने जो नैतिकता का सिद्धांत रखा था, वह गलत साबित होता है। अगर ऐसा करते हैं, तो हम उस पत्र को खरीदने के लिए अपना मौरल बिगाड़ते हैं, राष्ट्र की नीति बिगाड़ते हैं और उस पत्र वाले की नीति भी बिगाड़ते हैं। जैसे रिश्वत के बारे में एक कहावत है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों गुनाहगार हैं उसी तरह से जो विज्ञापन देने की नीति है, वह है।'विज्ञापन देने की नीति प्रेस कॉन्फ्रेंस के रेज़ोल्यूशन में जैसा बताया और अभी पहले वक्ता बोल

(श्री मूलचन्द डागा)

गए हैं, उन्होंने अखबारों का सक्युलर बताया, कौन-कौन अखबार किस प्रकार पनपते है, जीवन का आधार किस प्रकार से पहुँच सकता है। यह जो रीति नीति सरकार की है वह दोषपूर्ण है। इसका उत्तर आप चाहे किसी भी जबान में दें लेकिन मुझे यह पक्का विश्वास हो चुका है कि जो प्रश्न का उत्तर है और जो हम देख रहे है उससे मालूम होता है कि हमारे यहां अखबारों का शाब्दिक या साहित्यिक जीवन पनप नहीं सकता क्योंकि वे अपने जीवन को किसी के सहारे पर व्यवस्थित करना चाहते हैं और जीवन को कलुषित करने का दोषारोपण किया जा सकता है वह सरकार की नीति के कारण किया जा सकता है। उसकी नीति यह है कि सरकार की कोई तारीफ करे, उसकी प्रशंसा के गीत गाव ऐसे अखबार हों उनको एडवर्टिज़मेन्ट दिया जावे। यह नीति दोषपूर्ण है, यही मेरा कहना है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, जो मोशन मूव किया गया है उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्रीमती सतवंतकौर (करनपुर): आवाज़ नहीं आ रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी तीन-चार दिन पहले जब मैंने एक प्रश्न पूछा था तब उसके उत्तर में गृह मंत्रीजी ने जवाब दिया था और साथ-साथ राजस्थान में कितने मान्यता प्राप्त पत्र हैं और उनको किस-किस प्रकार का एडवर्टिज़मेन्ट गत वर्ष में दिया गया था उसकी लिस्ट भी दी गई थी। मैं उस लिस्ट की गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैंने देखा और साधारणत: जो पत्र देखने में आते हैं और साथ ही किस-किस प्रकार का उनका रास्ता है और किस प्रकार का वे काम करते हैं और कहां तक जनता को जो चीज़ पहुंचनी चाहिये उसे पहुँचाने में कहां तक वे सफल होते हैं, इन सारी बातों को देखने पर पता चलता है कि बहुत से पत्र तो ऐसे हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, बौद्धिक दृष्टि-कोण से जनता को जो भोजन मिलना चाहिये उसको कहां तक पूरा करते हैं, यह गहराई से देखने की चीज़ है। मैंने कई पत्रों को देखा। जिनका एक मात्र काम यह है कि विज्ञापन प्राप्त करने के लिये निकालना और साथ ही साथ पत्र निकालने के लिये जो दूसरा रास्ता मिलता है कागज प्राप्त करने का और उसे ब्लेक करने का, कागज़ प्राप्त करना और विज्ञापन प्राप्त करना इन दोनों उद्देश्यों को लेकर ही पत्र चलाने की उनकी नीति है। आप चाहे माने या न माने लेकिन अधिकांश पत्रकार इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। प्रश्न यह पूछा गया कि आखिर इस बारे में निश्चित नीति होनी चाहिये। लेकिन मुझे दुःख है कि गृह मंत्रीजी ने कोई निश्चित नीति नहीं बतलाई उन्होंने यह ज़रूर कहा कि यह मैं मान्य करता हूं कि जो पत्र सक्युलेशन में ज़्यादा हों, जनता के पास ज़्यादा संख्या में पहुँचते हों उनको विज्ञापन ज़्यादा मिलना चाहिये, यह उन्होंने माना था। लेकिन जो बातें चल रही हैं उनका उदाहरण मैं अपके सामने देना चहता हूं। जनतंत्र में पत्र बड़े महत्व का काम करते हैं और यदि सरकार इन पत्रों के बारे में इस बात को मद्देनज़र रखे कि ये पत्र जनता के विकास में कहां तक सफलतापूर्वक सहयोग दे रहे हैं और जनता की आवश्यक चीजों को कहां तक पूरा कर रहे हैं, यदि सरकार इस तरीके से विज्ञापन

(श्री मुरलीधर व्यास)

दे तो उससे बहुत कुछ विकास हो सकता है । लेकिन यदि यह दृष्टिकोण न हो और यह दृष्टिकोण हो कि कहां तक हमारी बातें छपती है और सरकार की नीति का प्रचार कहां तक होता है यदि सरकार ऐसे पत्रों को विज्ञापन दे तो यह उचित नहीं है । यदि सरकार अपनी नीति को सही तरीके से प्रकाशित कराने के लिये कोई पत्र चलाती है, तो मान सकते हैं कि ठीक है आखिर सब को तो विज्ञापन नहीं दे सकते, कुछ को देंगे जो सरकारी नीति का प्रतिपादन करते हैं । लेकिन जो पत्र नीति और दूसरे तरीके पर नहीं चलते हैं और एक मात्र उद्देश्य को लेकर चलते हैं उनको यदि सरकार इसलिये विज्ञापन नहीं देती है कि ये पत्र हमारे खिलाफ़ बातें छापते हैं हम जो कुछ कहते हैं वह छप जाता है । इसलिये उन को विज्ञापन नहीं देने चाहिये तो यह नीति की बात नहीं है । विनोबाजी ने एक बार डेमोक्रेसी के संबंध में उदाहरण दिये थे और उनके भाषण में आया था कि डेमोक्रेसी या जनतंत्र की सफलता के लिये दो चीज़ों की आवश्यकता है, उन्होंने उदाहरण दिया था कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया उसके साथ-साथ एक टीकाकार भी उन्होंने बनाया । सबसे पहले, सृष्टि का निर्माण करने से पहले उन्होंने यह सोचा कि सृष्टि अच्छी बनेगी या बुरी, इसमें कहां तक सफ़ल हो सकेंगे । इस बात को बताने के लिये सृष्टि के निर्माण से पहले उन्होंने टीकाकार बनाया और इसलिये बनाया कि टीकाकार अच्छा रहेगा तो सृष्टि का निर्माण अच्छा होगा । यह उदाहरण पेश किया था । जनतंत्र में यदि आज हम लोग जिस योजना को सफल बनाना चाहते हैं, निर्माण कार्य करना चाहते हैं, यदि इसको सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिये सरकार का दृष्टिकोण ज़्यादा से ज्यादा यह होना चाहिये कि जो पत्र सरकार की ज्यादा आलोचना करेगा, टीका करेगा, गलतियें बतायेगा उसको ज्यादा से ज्यादा सहयोग दिया जायगा तो सरकार में जो सबसे बड़ी कमजोरी है, खराबी है, जो कलंक लगा है और जो सारे समाज को घुन की तरह खाये जा रहा है, भ्रष्टाचार, वह इसी हालत में दूर हो सकेगा । लेकिन यह दृष्टिकोण नहीं होता है और उसके बदले में दृष्टिकोण यह होता है कि जो हमारी बुराई करेगा उसको हम एडवर्टिज़मेन्ट नहीं देंगे, तो यह मानकर चलिये कि हर हालत में भ्रष्टाचार पनपेगा और सच्चे समाज का निर्माण नहीं होगा और योजना से विकास नहीं होगा । यह बुनियादी नीति है इसको सरकार को मान्य करना चाहिये । हमारे यहां पर जो डेली पत्र निकलते हैं, जो साप्ताहिक पत्र निकलते हैं उनका उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं । यह एक पत्र है जिसका नाम है जनवाणी । इसमें सबसे ऊपर लिखा है राजस्थान सरकार अनाज की कीमतों को नीचा लायगी, सरकार भ्रष्टाचार को भी बिल्कुल रोकेगी, उसके नीचे मुख्य मंत्री, श्री सुखाड़िया की फोटो है इसके सिवाय इस पत्र में कोई चीज़ नहीं है चारों पेजेज में सिवाय एडवर्टिजमेन्ट के । एक फोटो मुख्य मंत्री जी का है, दूसरा फोटो धारीवालजी का है इसके अतिरिक्त विज्ञापन है और उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । फोटो देकर कोई बात लिखी हो तो फिर भी मानते लेकिन कुछ नहीं, बात इतनी है कि सरकार अनाज की कीमत को नीचे ला सकती है या सरकार भ्रष्टाचार को रोकेगी और मुख्य मंत्रीजी का फोटो है शायद इस नीयत से कि मुख्य मंत्रीजी का फोटो है इसलिये उनके पास पहुँच जाय और

Page No.40

(श्री मुरलीधर व्यास)

उनको मालूम हो जाय कि जनवाणी में फोटो छपा है इसलिये उसको विज्ञापन मिल जाय। यह दृष्टिकोण उस पत्रकार का होगा। मैं यह नहीं कहता कि मुख्य मंत्रीजी का भी यह दृष्टिकोण होगा कि उनका फोटो अखबार में छप जाय। ऐसे पत्र को ५००० रु. का साल भर में एडवर्टिज़मेन्ट मिले और दूसरे पत्र जो अच्छी तरह से चलते हैं और जो सरकार की कमियें बताते हैं, योजना में सरकार की कमी को बताते हैं या भ्रष्टाचार के बारे में बताते हैं उनको किसी प्रकार का एडवर्टिज़मेन्ट नहीं मिलता। मैं तो यहां तक कहूं कि ऐसे पत्रों को विज्ञापन देना तो दूर रहा बीकानेर में क्या हुआ कि कलेक्टर के खिलाफ़ किसी पत्र ने लिखा और यहां तक लिखा कि किस प्रकार का रवैया कलेक्टर का है और किस प्रकार से सामन्तवादी तरीके से, ब्यूरोक्रेसी के तरीके से वे व्यवहार करते हैं हर आदमी के साथ और न जाने क्या क्या बातें लिखो। इसका नतीजा यह हुआ कि उस पत्र का प्रकाशन ही रद्द कर दिया और पत्र बंद हो गया। जो पत्र बुराई प्रकट करने के लिये बात बतावे और जो बात सही हो, उसके साथ में ऐसा व्यवहार होता है। मैं यह देखता हूँ कि हमारे यहां के कलेक्टर का जो तरीका है उससे हैरान होकर उन्होंने कुछ लिख दिया और इसलिये लिखा कि जनतंत्र में जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वे कुर्सी पर ही न बैठे रहकर जनता के बीच आकर वस्तुस्थिति को देखें और जनता की मदद करें, न कि वे कमरे में ही बैठे रहें इस प्रकार की स्थिति का विरोध किया था लेकिन वह पत्र बिल्कुल बंद कर दिया गया। इस प्रकार के रवैये से मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का विकास हो सकता है। मैं इस जनवाणी का दूसरा पत्र भी साथ में लाया हूँ, कोई यह नहीं कह दे कि एक ही पत्र में छपा है, इसलिये मैं साथ में दूसरा भी लाया हूँ। इसमें भी एक बड़ा फोटो मुख्य मंत्री जी का छपा है उसके अतिरिक्त पूरा पेज विज्ञापन से भरा है...

श्री मूलचन्द डागा : उनके पास एक ही ब्लाक होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : उनका फोटो लगाने से ही लोगों को मानसिक भोजन मिल जाता हो या उनके दर्शन हो जाने से राजस्थान का विकास हो जायगा, योजना सफल हो जायगी यदि ऐसा दृष्टिकोण हो तो मानलें कि इससे कुछ काम हो जायगा, लेकिन फोटो लगाने से हमारी योजना सफल हो जायगी या हमारी चीज़ जो हम चाहते हैं उसमें सफलता मिल जायगी, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। मैं मानता हूँ कि आज के युग में जो सबसे बड़ी चीज़ इस जनतन्त्र के विकास में बाधक है, वह यह है कि सरकारी पक्ष जो भी जहां पर है, वह जनतन्त्रात्मक तरीके से सारे मामलों के अन्दर नहीं देखेगा और उसके विकास में सही तरीके का दृष्टिकोण अपना कर सहयोग प्रदान नहीं करेगा तो किसी प्रकार भी, हम जो चाहते हैं, वह चीज़ नहीं हो सकेगी। मैं यहां पर इतना और कहना चाहूंगा कि जो नीति की बात है वह सारे राज्यों में अलग–अलग हो सकती है, भिन्न–भिन्न हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि बम्बई प्रान्त में सरकार की विज्ञापन के बारे में एक नीति है। उन्होंने एक अलग से सर्क्युलर निकाला है कि हमारे राज्य में कोई अधिकारी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है, तो उस भ्रष्टाचार के मामले को ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित किया

Page No.41

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाय और ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने की मांग की जाय। एक राज्य अपने राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपनी नीति ऐसी बनाता है और इस प्रकार से आदेश देता है कि सारे राज्य के अधिकारियों को कि जो व्यक्ति या जो पत्र हमारे राज्य के भ्रष्टाचार को आम जनता के बीच में लाने के लिए और उसको रोकने के लिए उसकी निन्दा करता है। तो ऐसे पत्र को ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दिया जाय। तो आखिर एक आदमी के अन्दर इतनी हिम्मत होगी, जिस राज्य के अन्दर इतनी ताकत होगी, कि नहीं, जो बुराई है, एक बार नहीं, सौ बार भी उसे कहा जाय और इसके साथ ही उसका प्रकाशन किया जाय तो बुराई दूर हो सकती है। ऐसा विचार रखने वाला राज्य, इस प्रकार से काम करने वाला राज्य ही भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है। अगर यह नीति न हो और छिपाने की नीति हो, तो छिपाने से गन्दगी फैलेगी। अगर राज्य की नीति यह बन जाय कि जो भ्रष्टाचार होता है, जो गड़बड़ी होती है, जो चोरियां होती हैं, जो गबन होता है, उसको दबाया जाय और उसका विज्ञापन नहीं करा जाय तो इस नीति के अनुसार जब तक दबा रहेगा तब तक ठीक रहेगा। लेकिन याद रखिये कि आखिर पानी जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करे, एक न एक दिन खराब हो जाता है। आप किसी प्रकार की गन्दगी को थोड़ा दबाकर रखेंगे तो नतीजा यह होगा कि वह एक दो दिन दबी रहेगी लेकिन आखिर सामने आयेगी और वह छिप नहीं सकती। इस प्रकार की नीति सरकार को नहीं अपनानी चाहिए।

जो कट मोशन श्री पी० के० चौधरी ने मूव किया है विज्ञापन की नीति को डिस्कस करने के लिए मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जन हित के दृष्टिकोण से, जनतन्त्र के हित के दृष्टिकोण से विज्ञापन देगी। इस बात को कह कर मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कट मोशन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : एक पी० के० चौधरी का कट मोशन सदन के सामने है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उनका है।

श्री उपाध्यक्ष : एक विषय पर ही है। वे उनके समर्थन में बोले हैं।

एक माननीय सदस्य : श्री पी० के० चौधरी का ही समर्थन कर दीजिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हमारे प्रान्त में जो विज्ञापन की नीति रही है और पत्रकारिता का विकास हुआ है, इन दोनों को साथ मिला कर देखें, तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे प्रान्त में पत्रकारिता का विकास हुआ है वह इस प्रकार गलत धारणा के साथ हुआ है, जिसका परिणाम आज तक भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान विधान सभा के प्रत्येक सत्र में, आज से नहीं, जब से विधान सभा बनी है, इस बात की आलोचना होती है कि जो पत्रों को विज्ञापन दिया जाता है, उसमें पक्षपात होता हैं। यह नीति, जब से हमारे प्रथम मुख्य मन्त्री राजस्थान के बने थे, तब से दिखाई देती है और इसकी आलोचना चली आ रही है। जब से राजस्थान बना, तब से लेकर

Page No.42

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

आज तक जो भी मुख्य मन्त्री आते हैं, उनके साथ यह शिकायत रहती है कि आपके राज्य काल में पत्रों को विज्ञापन देने की नीति में पक्षपात दिखाई देता है। इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पत्र मोर्चे पर आये और जितने भी मुख्य मंत्री आये, उनके द्वारा किसी पत्र को अपने साथ लेने की नीति से उनके राज्य काल में एक एक पत्र का विकास हुआ। इस प्रकार की जो पत्रों को विज्ञापन देने की नीति रही, उससे कुछ पत्रों का विकास हुआ। मैं नहीं कहता कि नवयुग को विज्ञापन दिये जाते हैं, राष्ट्रदूत को विज्ञापन दिये जाते हैं, या कभी राष्ट्रदूत को ज्यादा विज्ञापन दिये जाते थे, लोकवाणी को कम दिये जाते थे, या कभी लोकवाणी को ज्यादा विज्ञापन दिये जाते थे और राष्ट्रदूत को कम विज्ञापन दिये जाते थे, इस प्रकार पत्रों की आलोचना की जाय। इसे मैं उचित नहीं समझता हूँ। यह उचित नहीं होगा। हम सम्पूर्ण बात को लेकर बैठें तो हमें दिखाई देगा, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री मूलचन्द डागा ने कहा था कि राजनैतिक क्षेत्र में इस प्रकार की नीति होने से यह परिणाम हुआ कि हमारा सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय उससे बचा नहीं रहा क्योंकि उसके द्वारा विज्ञापन दिये जाते हैं। इसलिये इस कार्यालय को एक राजनैतिक कार्यालय बना दिया गया है। इस कार्यालय का काम यह था कि राज्य की सरकार की नीति का प्रसार करे कि सरकार ने ये निर्णय लिये हैं, इन निर्णयों को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। सरकार के कामों के प्रचार व प्रसार के लिए यह कार्यालय था। जो भी मुख्य मन्त्री आये, प्रत्येक ने यह निर्णय किया कि यह विभाग ऐसा है जिसके द्वारा मैं जन सम्पर्क कायम करूं और जन सम्पर्क कायम करके अपनी गद्दी सुरक्षित रहे, यह प्रयत्न करूं इसका परिणाम यह हुआ कि प्रान्त में निकलने वाले पत्र, जो जिला केन्द्रों से निकलते हैं, डिविजनल केन्द्रों से निकलते हैं, जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया, यह एक उदाहरण है। किसी जिले से निकलने वाले पत्र को देख लीजिये, जो वर्तमान शासन की बड़ाई करता है, जो वर्तमान शासकों की फोटो छापता है, उसमें अधिक विज्ञापन निकलते हैं। इस प्रकार की नीति हो सरकार की, यह उद्देश्य हो कि प्रान्त में पत्रकारिता का विकास करना है, विकास के लिए विज्ञापन देना है। अगर कोई पत्र बढ़े इस ख्याल से विज्ञापन दे दें और योग दान के रूप में कुछ धन राशि दे दें तो कोई बात है लेकिन केवल मंत्रियों की फोटो छापने वालों को दे दिया जाय तो ठीक नहीं है। कोई पत्र अभी निकला है, उसको कुछ धनराशि दे दी जाती है तो उसका विरोध नहीं है। दूसरे बाहर के अखबारों की भी आलोचना की गई है, मैं इसको गलत मानता हूँ। यह बात जरूर है कि हमें राजस्थान के पत्रों का विकास करना है, इसलिए राजस्थान के पत्रों को विज्ञापन मिलना चाहिए आज भी राजस्थान प्रान्त की अवस्था ऐसी है कि बाहर के अखबार राजस्थान में आने की संख्या राजस्थान में निकलने वाले पत्रों की संख्या से ज्यादा है। हिन्दुस्तान अखबार है, आज किसी भी स्थान पर देखिये, उसकी प्रतियां इतनी खपती हैं कि राजस्थान के सब अखबारों का मिलाकर जो प्रतियां आयेंगी, उनसे हिन्दुस्तान की प्रतियां अधिक मिलेंगी। इसी प्रकार नव भारत मिलेगा, वीर अर्जुन मिलेगा। राजस्थान के गांव–गांव के अन्दर

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अखबार जाता है, विशेष तौर से हिन्दी के अखबार ऐसे अखबार हैं जो राजस्थान सरकार के कार्यों का प्रचार व प्रसार करने वाले हैं, उनको विज्ञापन देना होगा और उनको ही देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे यहां के पत्रों को विज्ञापन न दें। जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है और इसकी जो नीति है, उसके सम्बन्ध में मैं कहूँगा कि वह एक नीति पक्षपात की है, उसमें ज़रा परिवर्तन करें।

दूसरा निवेदन यह है कि एक बोर्ड बनाया जाय, जो बोर्ड निष्पक्ष रूप से यह देख कर कि किस पत्र की कितनी प्रतियां निकलती हैं, इसका निर्णय करे कि इस पत्र को इतना एडवर्टिज़मेन्ट देना चाहिए। यह पत्र इस श्रेणी में आता हैं, इस क्षेत्र में आता है, इसे इतना विज्ञापन मिलना चाहिए। केवल इसे जो जन सम्पर्क विभाग का डाइरेक्टर है, उनके हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे कई जगह इन्जीनियर्स वगैरह हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के, वे स्वतन्त्र रूप से विज्ञापन देते हैं। उन पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए। वह सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे एक क्षेत्र की चीज़ है, एक क्षेत्र में कोई काम होने वाला है, उस क्षेत्र में विज्ञापन दे। यह नहीं, जयपुर में काम होने वाला है, उसके लिए टेन्डर नोटिस दिया जाय भरतपुर, बीकानेर के पत्रों में। जयपुर क्षेत्र में कौनसा पेपर निकलता है, किसको दिया जाय, इसका बोर्ड निर्णय करे तो इसमें निष्पक्षता आयेगी। इसके अलावा बोर्ड समय समय पर इन पत्रों के निकलने वाले प्रकाशनों की जांच करें कि किस पत्र का कितना प्रकाशन है। जैसा व्यास जी ने कहा कि कुछ पत्र ऐसे हैं कि जब विज्ञापन मिलते हैं तब पत्र निकाल देते हैं। उसके जो इश्यु निकलते हैं, वे नियमित रूप से नहीं निकलते हैं या निकलते हैं, इसकी जांच करें। यह सब काम एक विभाग के पास नहीं रहे तो इसमें निष्पक्षता आयेगी। विशेष रूप से हिन्दी के पत्रों के लिये हो क्योंकि हिन्दी पढ़े लिखे ज्यादा हैं। लेकिन मेरा यह आशय नहीं है कि अंग्रेजी के पत्रों को विज्ञापन न दिया जाय लेकिन हिन्दी के पत्र जनता के सम्पर्क में अधिक आते हैं, इसलिए इनको विज्ञापन ज्यादा दिया जाय। इस सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति निश्चित करे और एक बोर्ड का निर्माण करे, जिसे सारा काम सौंप दिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय अभी सार्वजनिक कार्यालय के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदान की मांग पर कट मोशन रखा गया, उसमें दो बातें मुख्य रूप से आई। एक तो यह कि सरकार के विज्ञापन देने के संबंध में सिद्धान्त नहीं हैं, कोई नीति नहीं है, नियम नहीं हैं, कायदा नहीं है और दूसरे अगर कोई नीति है तो बड़ी दोषपूर्ण है, बहुत खराब है। चापलूसी का प्रयोग किया जाता है, जो पत्र विरोधी होते हैं उनको दबाया जाता है, इस प्रकार की नीति राजस्थान सरकार ने अपनाई है। इन दोनों पर पहली बात कि क्या कोई इस प्रकार के राजस्थान सरकार के सामने नियम, सिद्धान्त, उसूल-कायदे हैं कि नहीं, मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि जो विज्ञापन राजस्थान सरकार की ओर से दिये जाते हैं, एक सिद्धान्त पर दिये जाते हैं। कायदे के बतौर बाकायदा नियम नहीं बनाये हैं, इसकी

(श्री रामकिशोर व्यास)

वजह यह है कि प्रेस कमीशन की रिपोर्ट आई, उसका कन्सीडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया कर रही है, वह भी इस सम्बन्ध में नियम बनाना चाहती है। केन्द्रीय सरकार ही नहीं बल्कि प्रान्तीय सरकारें भी नियम बनाने का सोच रही है। हमारा यह विचार था कि नियम ऐसे बनायें जो कि केन्द्रीय नीति के अनुकूल हों, दूसरी प्रान्तीय सरकारों से भी हमें मार्ग-दर्शन मिल सके, इसलिये नियम नहीं बनायें। पर जो मोटे मोटे उसूल जो प्रेस कमीशन ने बताये हैं और आपने यहां रखे हैं, उन्हीं के अनुसार विज्ञापन दिये जाते हैं। उनके उसूल, सिद्धान्त मुख्यतः यह हैं कि पत्रों की स्टेन्डिंग रीति-नीति, सक्युलेशन, न्यूज और व्यूज़ देने का क्या तरीका है, डवेलपमेंट का कितना प्रचार करते हैं...

श्री मूलचन्द डागा : (पाली) वह रीति और नीति बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अभी एक्सप्लेन किया है।

श्री मूलचन्द डागा : वह रीति-नीति क्या है, यह नहीं बताया।

श्री रामकिशोर व्यास : प्रेस रिपोर्ट पढ़िये।

मैंने मोटे-मोटे तरीके से बातें बताईं जिनके आधार पर विज्ञापन दिये जाते हैं। प्रेस कमीशन ने करीब करीब वही सिफारिशें की हैं, उन्हीं के आधार पर विज्ञापन दिये जाते हैं। क्या यह नीति दोषपूर्ण है। कोई दोषपूर्ण नहीं, मैंने नियम बताये उन्हीं के अनुसार विज्ञापन दिये जाते हैं। आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन करते हैं, उन नियमों का प्रयोग करते हैं, तब गड़बड़ी कर देते हैं। एक बात कही गई कि उन्हीं पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं जो पत्र गवर्नमेंट की चापलूसी करते हैं, शायद चाटुकारिता शब्द का प्रयोग किया गया। जो पत्र विरोध करते हैं उनको विज्ञापन नहीं दिये जाते। हमारी बड़ी मुश्किल है, अगर विरोधी को विज्ञापन देते हैं तो कहा जाता है कि रिश्वत दी जाती है पहले गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता था अब विज्ञापन देने से माफिक लिखने लग गया है। और जो पत्र मुआफिक हैं उनको विज्ञापन देते हैं तो कहा जाता है कि चापलूसी करते हैं, गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं, चाटुकारिता करते हैं इस लिये इनको विज्ञापन दिये जाते हैं। मुआफिक को दें तो विरोध किया जाता है और विरोधी पत्र हैं उनको विज्ञापन दे दें तो भी इस प्रकार कहा जाता है तो अब मुआफिक और विरोधी के अलावा कौनसा और दर्जा निकाला जाय।

श्री पी. के. चौधरी : (फुलेरा) You deny the fact ?

श्री रामकिशोर व्यास : बात दरअसल यह है कि ये दोनों ही बातें हमारे सामने नहीं हैं, न जो मुआफिक है उसको देते समय इस चीज़ का कन्सीडरेशन करते हैं और न विरोधी को देने से इन्कार करते हैं, इस बिना पर कि वह विरोध करता है। गवर्नमेंट इसकी इन्तज़ार में तो बैठी नहीं है कि कोई अखबार उसकी तारीफ लिखे, तारीफ लिखने से गवर्नमेंट का काम चलता हो यह बात तो नहीं है। जब से गवर्नमेंट बनी है, कई अखबार तारीफ भी लिखते हैं तो कई अखबार बुराई भी लिखते है, तो इसका तो गवर्नमेंट पर कोई असर पड़ता नहीं। कौन अखबार कितना गवर्नमेंट के पक्ष में प्रचार करता है, इस चीज को तो विज्ञापन देते समय कन्सीडर

(श्री रामकिशोर व्यास)

नहीं किया जाता। नॉर्मल कोर्स में जो सिद्धान्त हैं, तथ्य हैं, उनके आधार पर गवर्नमेंट अखबारों को विज्ञापन देती है। ८०, ८४ पत्रों को, जिनको कि गवर्नमेंट एड्वर्टाइज़मेंट देती है, उनको देखा जाय तो कोई दो चार ही गवर्नमेंट के पक्ष में लिखते होंगे, बाकी सब गवर्नमेंट के अपोज़िशन में हैं। गवर्नमेंट के माफिक कोई बात कही जाय, इसको तो आजकल लोग-बाग पसंद नहीं करते। जो गाली दे वह ठीक बन जाता है, that is right. ८४ पत्र जिनको कि एड्वर्टाइज़मेंट दिया जाता है, उनका विश्लेषण कर लीजिये कि कितने प्रो गवर्नमेंट हैं और कितने अगेन्स्ट दी गवर्मेंट हैं, तो थम्पिंग मैजोरिटी आपको अखबारों की मिलेगी जो गवर्नमेंट के विरोध में हैं। पर गवर्नमेंट की यह पॉलिसी नहीं है कि जो खिलाफ लिखते हैं उनको विज्ञापन नहीं दिये जांय।

श्री मदनसिंह : (दांता रामगढ़) : नवयुग से लिये तो कल आपने फरमाया था और उसी में आपके ज्यादा फोटो आते रहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे तो आते ही रहते है बदकिस्मती से।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (सीकर) क्या बात है।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : कोई विशेषता होगी।

एक बात आपने कही। ठीक चीज़ है। आजकल राजस्थान में कितने पत्र निकलते हैं, व्यासजी ने कहा, उनमें से कोई बौद्धिक भोजन नहीं देते, दो तीन पन्ने होते हैं, उनमें विज्ञापन होते हैं। यह बात सही है, ८४ पेपर निकलते हैं, वे जिस स्टेन्डर्ड के होने चाहिये उस स्टेन्डर्ड के नहीं हैं। पत्रकारिता की दृष्टि से, आर्टिकल के लिहाज़ से जो स्टेन्डर्ड उनका होना चाहिये वह उनमें नहीं है। पर गवर्नमेंट की पॉलिसी अब तक रही है कि राजस्थान में पत्रकारिता को प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : विज्ञापन भोजन जिन पत्रों से मिलता है—उनको बताइये।

श्री रामकिशोर व्यास : पत्रकारिता के सम्बन्ध में पत्रकारिता को प्रोत्साहन देने में हमारी पॉलिसी रही है, जितने पत्रों को मिल सके, अच्छा है। अगर यह पॉलिसी रखें कि जो पत्र अच्छे स्टेन्डर्ड के हैं, जो बौद्धिक भोजन देते हैं उन्हीं को विज्ञापन दिये जांय तो मैं समझता हूं शायद ऐसे पत्र दो चार ही रह जायेंगे।

श्री पी. के चौधरी : Then these papers are surviving on your advertisement, this you admit ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पत्रकारिता का कार्य है उसको प्रोत्साहन दिया जाय। यही पॉलिसी गवर्नमेंट की डेफिनेटली है। आप भी चाहेंगे कि पत्रकारों को मदद मिलनी चाहिये। अब आप फरमाते हैं तो आपके सवाल को और एग्ज़ामिन कर लेता हूं कि किन किन पत्रों को रखना चाहिये और किन किन को नहीं रखना चाहिये। मैं तो इसलिये इस दृष्टिकोण को रखे हुए था कि अगर इस दृष्टि से

(श्री रामकिशोर व्यास)

प्रोत्साहन दिया जाय कि कौनसा पत्र किस स्टेन्डर्ड का है तो इससे हमारे यहां की पत्रकारिता को बड़ा धक्का पहुंचता। पर अब आपके कहने से इस बात की जांच करूंगा, एग्ज़ामिन करूंगा कि ८४ पत्रों में से कितने बौद्धिक भोजन देते हैं जिनको कि प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : प्रेस कमीशन की रिपोर्ट यह थी कि इस प्रकार के नियम जनसम्पर्क विभाग से अलग तय कर दिये जाने चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने अर्ज किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में प्रेस कमीशन की रिपोर्ट है, उसको गवर्नमेंट कन्सीडर कर रही है, वह जो नियम बनायेगी उसी के आधार पर अपने यहां भी बना लेंगे। कोई अलग अलग तो होगा नहीं कि केन्द्रीय सरकार की पॉलिसी और हो और यहां की सरकार की पॉलिसी और हो।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : गृह मंत्रालय में इस विभाग को क्यों रखा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : और मैं क्यों जाता !

(हंसी)

श्री मदनसिंह : दा साहब को दे दो साहब।

श्री रामकिशोर व्यास : बखुशी !

एक बात राजस्थान कैनाल के बारे में कही गई कि राजस्थान कैनाल की एड्वटाइज़मेंट का २० हज़ार रुपया बाहर के अखबारों को दिया गया केवल २००० रुपया यहां वालों को दिया गया। यह कहा गया कि बसवा में यदि काम कन्ट्रैक्टर से करवाना है तो बसवा के आस पास ही विज्ञापन होना चाहिये। यह बात ठीक नहीं है क्योंकि विज्ञापन का बाहर देना और काम का ठेकेदार से नहीं कराया जाना कि मिसालें सही नहीं है। आप जानते हैं कि राजस्थान कैनाल का इनऑग्युरेशन हो रहा था। यह हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि इसके लिये एडवर्टिइज़मेंट हिन्दुस्तान के बाहर भी होना चाहिये था और पानी का झगड़ा चल रहा है इस पर कई कमेन्ट भी आये हैं। इसलिये इन्टर्नेशनल इम्पोर्टेन्स के लिहाज़ से इसका बाहर के सभी पेपरों में एडवर्टिइज़मेंट होना जरूरी था। इसका एडवर्टिइज़मेंट ऑल इंडिया बेसिस पर ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वर्ल्ड बेसिस पर होना चाहिये था। इसके अलावा यहां के एक पेपर ने कहा कि वह विशेषांक निकालना चाहता है इसलिये उसको भी एडवर्टिज़मेंट दे दिया।

श्री पी. के. चौधरी : कोई भी निकालना चाहे, उसको देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : आप भी निकालना चाहे तो आपको भी देंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा एक बात और कही गई। मगर उसमें दो भिन्न भिन्न रायें सामने आई : एक तो यह कि अलग-अलग महकमों से विज्ञापन दिया जाता है वह नहीं दिया जाना चाहिये और दूसरी यह आई कि अलग अलग महकमों से विज्ञापन दिये जाने चाहिये। जैसे

Page No.47

(श्री रामकिशोर व्यास)

इंजीनियरिंग का महकमा है। वहां से वे एडवर्टिज़मेंट सीधा दे दें। वैसे तो सही बात यह है कि एक ही जगह से दिया जाना चाहिये। क्योंकि आप जब अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि कितने रुपये दिये गये तो हमारे पास हिसाब नहीं होता क्योंकि एक जगह से नहीं दिये जाते है जिससे कि हम आपको उसका प्रोपर उत्तर दे सकें।

श्री पी. के. चौधरी : इससे सारा सेन्ट्रलाइजेशन हो जावेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे तो आपने लिखा और हमने एडवर्टिज़मेंट भेज दिया। आप कहते हैं कि एडवर्टिज़मेंट डिफेक्टिव रहा। इससे यह होगा कि हम सेन्ट्रेलाइजेशन करके उस पर पूरा कन्ट्रोल कर सकेंगे और आपको भी अच्छी तरह से जांचने का मौका मिलेगा और इसी लिये सेन्ट्रेलाइजेशन की तय की गई है। इसके अलावा कुछ बातें मेरे पाली से आने वाले माननीय दोस्त ने कही। मुझे इस बात का अफ़सोस है कि उन्होंने पूरी जानकारी करके उन बातों को नहीं कहा। उनको पूरी जानकारी करनी चाहिये थी। जिस समय कल मैंने सदन में कहा उस समय वे उपस्थित नहीं थे। उन्होंने बुल्गेनिन वाली बात कही कि उस समय १००० पुस्तकें छपवाई कई थीं उनमें से कुछ समय पर आई और बहुत उसी बाद में आई। उसके लिये प्रश्न के जबाव में भी मैंने कहा और कल भी कहा कि वह तो परमानेन्ट वेल्यू की चीज़ है। जयपुर के बारे में दर्शनिक स्थानों के सम्बन्ध में है। बुल्गेनिन के मौके पर जितनी किताबों की आवश्यकता थी, आ गई। कोई चीज़ हजम हो गई हो या इससे कोई नुकसान हुआ हो, यह बात नहीं है। ये तो परमानेन्ट वेल्यू की चीजें हैं। अभी अफगानिस्तान के प्रीमियर आये थे, उनको भी वे दी गई। वह तो जयपुर के बारे में हिस्टोरिकल चीज़ थी। अगर वे इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी फरमाते तो ज्यादा अच्छा रहता। बस यही बातें थी। इसलिये, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कट मोशन है उनको वापिस लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी। Are you going to withdraw it ?

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने मांग संख्या ८० मुख्य शीर्षक ५७ विविध पर रखा था उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८० स्वीकार की जाए।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८० स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या ६५।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६५ सिंचन नौचालन इत्यादि।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मैं प्रस्ताव करता हूँ, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक १७ सिंचन, नौचालन, तट–बन्धन तथा जल–विकास निर्माण कार्य (वाणिज्य व्यय) एवं १८ साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्धित अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००,०००) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय" ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move, "that the supplementary demand No. LXV Major Head 18-other Revenue Expenditure, be reduced to Rs. 1/- (to discuss the Government's failure to utilise the full irrigation potential of the completed dams.)" अध्यक्ष महोदय, आज कल जो मेजर, मीडियम या स्माल इर्रिगेशन वर्क्स हुए हैं उनकी प्रोडक्शन पोटेन्शियेलिटी है, वह कहीं पर ५० प्रतिशत और कहीं पर ३० प्रतिशत और कहीं ४० प्रतिशत होती है और गवर्नमेंन्ट उनके मेन्टीनेन्स के लिये सरकार जो रुपया खर्च करती है उसकी फुल यूटीलिटी नहीं मिलती। इसके लिये गवर्नमेन्ट को एलर्ट रहना है कि किस तरह से पोटेन्शियेलिटी को बढ़ाया जावे । राज्यपाल महोदय अपने भाषण में कहते हैं कि बांध या डेम बन जाने या नहर बन जाने से हमारी पोटेन्शियेलिटी इतने लाख टन बढ़ जावेगी और यह बात केवल नहर बना कर ही कह देते हैं कि हमने नहर बनादी है इसलिये इतनी पोटेन्शियेलिटी बढ़ जाएगी और फलां नहर के बनने से २० हज़ार एकड़ हमारा कमान्डेड एरिया हो गया और २० हज़ार एरिया से कितनी प्रोडक्शन बढ़ जाती है उस स्टेटमेंट के लिहाज़ से प्रोडक्शन हमारे सामने रखते हैं । लेकिन ऑल रेडी हमने नहर बनाई और हमारा एक लाख एकड़ कमान्डेड एरिया है मगर कितने एरिया में लोग उसके पानी को यूज़ करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिये सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं होती । सरकार यह चाहती है कि नहर को प्रोवाइड करने के बाद काश्तकार खुद व खुद पानी का यूज़ करेंगे । मगर उस पानी को एग्रीकल्चरिस्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं । इसके दो तीन कारण हैं । एक तो यह कि जितने मीडियम प्रोजेक्ट्स या स्माल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पिछले दो-तीन सालों में यह देखा गया है कि हर मानसून में वे ब्रेक हो जाते हैं । इसलिये कोई भी काश्तकार यह उचित नहीं समझता कि वह अपने वैल इर्रिगेशन को छोड़ कर इस इर्रिगेशन से पानी लेकर खेती करे क्योंकि इसमें सर्टेन्टी नहीं रहती है । उनको यह भी यकीन नहीं है कि उनको पानी मिलता रहेगा । एक तो यह बात अनसर्टेन्टी की आती हैं, uncertainty about the supply of water. दूसरी बात जो आती है वह यह कि लोग यह देखते हैं कि पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन पर चार्ज कम लिया जाता है और नये, प्रोजेक्ट्स हैं उनके वाटर रेट चार्जेज़ में काफी फर्क हैं । नये वाटर रेट पुराने प्रोजेक्ट्स के वाटर रेट्स दो–तीन गुना कम चार्ज करते हैं । पुराने में कम चार्ज लिया जाता है । जब दोनों में डिस्पेरिटी रहती है तो लोग यही सोचते रहते हैं कि फलां को इस रेट से पानी मिलता है तो हम फिर यह रेट क्यों दें, यह भी एक प्रश्न पैदा होता है । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसको पुल कर लें और

(श्री पी. के. चौधरी)

युनिफॉर्मिटी रेट में लावें ।

तीसरी बात यह है कि शुरू शुरू में लोगों को, आपको पानी लेने के लिये इन्ड्यूस करना चाहिये । आपको चाहिये कि आप उनको इन्ड्यूस करें कि वे इर्रिगेशन के लिये इस वाटर को यूज़ करें । शुरू में सरकार को चार्ज वेरी लो करना चाहिये । जब एक दफा वे लोग इर्रिगेशन के लिये इस वाटर का प्रयोग करेंगे और अभ्यस्त हो जावेंगे तो उसके बाद आप चार्ज बढ़ा भी सकते हैं । तो लोग जो उससे खेती करने के आदी हो जावेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे । आप शुरू में ही उन पर इतना बोझ डाल देते हैं कि उनके दिल में कुछ हिम्मत नहीं रहती । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि शुरूआत में जो रकम आज चार्ज की जाती है उसका चौथाई भाग रखें । बाद में once he gets used to it you may increase it. यह नहीं होना चाहिये कि आपने नहर प्रोवाइड कर दी । आप यह देखते हैं कि जब लोग उससे पानी नहीं लेते हैं तो आपको चाहिये कि सरकार इस पर विचार करे कि आया हमारे फर्स्ट केल्कुलेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए, प्रोडक्टिव और अन-प्रोडक्टिव के बेसिस पर यह रखा है, रेम्युनेरेटिव वह रहेगा, इस ख्याल से आज यह पानी वेस्ट होता है क्योंकि आप कम चार्जेज़ नहीं लेना चाहते । 70 percent of your water is going waste. इस हालत में सरकार को बुद्धिमानी से काम लेना चाहिये । They must be foresighted, they must be business-like. एक बिजनेस-मैन करता है । मुझे मालूम है कि जब नये नये सिगरेट निकलते थे, टेटलर्स सिगरेट निकलती थी तो शुरू शुरू में लोग मुफ्त देते थे । इसी तरह से चाय के लिये भी कलकत्ते में ब्रुक-बॉन्ड मुफ्त पिलाते हैं और एक सेम्पल घर ले जाने के लिए भी देते हैं । जब उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर १), १।) खर्च करके बुक बॉन्ड का पैकेट घर ले आते हैं । इसलिए गवर्नमेन्ट must also develop some business instinct. मास साइकोलोज़ी को अन्डरस्टेन्ड करने की कोशिश करनी चाहिये । आज अनइमेजिनेटिव तरीके से इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट काम कर रहा है, पानी वेस्ट (waste) जा रहा है इसलिये सरकार को इनीशियेटिव लोस बर्दाश्त कर लेना चाहिये । 50 to 70 percent of the water is going waste. They must induce the peasants. २५ पर्सेन्ट रिडयूस कर दें । पांच साल बाद No body is going to prevent you from increasing the rates. एक दफा जब एग्रीकल्चरिस्ट्स अकस्टम्ड हो जावेंगे तो सरकार को भी फायदा हो जावेगा । एग्रीकल्चरिस्ट जब फायदा उठाने लगेंगे तो सरकार भी फायदा उठा सकती है । क्योंकि जहां वे एक क्रॉप कर सकते थे वहां डबल और ट्रिबल करने लग जावेंगे तो पैसा उनको मिलेगा और जब पैसा उनको मिलेगा तो सरकार को ज्यादा रेट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और वे देंगे । मैंने इस सम्बन्ध में कई जगह पर लोगों को पूछा कि इर्रिगेशन लिफ्ट करते हैं तो उसके लिए क्या खर्चा होगा । लिफ्ट करेंगे उसके भी वही चार्जेज़ होंगे जो बिना लिफ्ट किये ही पानी दिया जाता है उसके जो चार्जेज़ होंगे । लिफ्ट का खर्चा अलग आता है । इसलिये चार्जेज़ को इक्वीलाइज़ कर दिया जाय और

(१.२३ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री पी. के. चौधरी)

मेरा सुझाव है कि पहले पहले चार्जेज वन फोर्थ कर दिये जायं । पांच साल अनप्रोडक्टिव पड़ा रहने दीजिये, फिर उसके बाद हराभरा हो जावेगा । यह भी हो जाता है कि इर्रिगेशन का पानी मिलने के साथ साथ क्रॉप पेटर्न ही चेन्ज हो जाता है । जो जवार पैदा करते हैं वे आगे जाकर अच्छा राइस और वीट पैदा करने लग जाते हैं । एक दफा क्रॉप में कल्टीवेशन कर देते हैं तो इर्रिगेशन-वाटर को छोड़ नहीं सकते । यदि उनको इस वक्त छूट देंगे और आगे जाकर उनसे सिक्स्थ टाइम्स भी लेंगे तो वे देने के लिए तैयार होंगे, इसलिए रेट्स कम करनी चाहिये । पोटेन्शियलिटी आगे जाकर होगी । वैसे पांच साल बाद पिक्चर क्या होगी, न तो आप ही कह सकते हैं और न मैं ही कह सकता हूँ । आप की जो कॉस्ट है वह आप १५ साल में वसूल नहीं कर सकते । पांच साल बाद वसूल क्यों नहीं करते, जैसे तकावी देते हैं वह भी तो बाद में ही वसूल करते हैं तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इर्रिगेशन चार्जेज़ बाद में वसूल क्यों नहीं करते ? इसलिए मेरा सुझाव है कि वन-फोर्थ तो कर ही दिया जाय ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी, श्री पी० के० चौधरी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट की पांच लाख की मांग प्रस्तुत की गई है । पांच लाख के बनिस्बत यदि डिपार्टमेन्टल काम कराया जाता तो ३, ३॥ लाख रुपये में ही काम हो सकता था । इर्रिगेशन के काम में जो सरकार खर्चा करती है वह डिपार्टमेन्टल न करवा कर ठेकेदारों से करवाती है और जिसके कारण राजस्थान में बांधों की क्या स्थिति हो रही है । उनसे बनवाने के कारण ज्यादा वर्षा होने पर थोड़े-घणे बांध टूट ही जाते हैं जिससे कि सरकार को काफी नुकसान होता है । राजस्थान में हर तरह से टैक्स वसूल करके जो रुपया लिया जाता है उसका इस तरह से दुरुपयोग होता है । इस दुरुपयोग को रोकने के लिए मैंने राजस्थान सरकार को एक सुझाव दिया, प्रार्थना की कि इन बांधों के लिए जितना रुपया सैंक्शन करें उस योजना को डिपार्टमेन्टली पूरा करें तो बांधों की जो आज यह स्थिति हो रही है वह न रहे । क्योंकि असिस्टेन्ट इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, ओवरसीयर्स आदि की उनके लिए जिम्मेदारी है और अगर टूट जावेंगे तो उन पर यह जिम्मेदारी आवेगी । उन पर यह जिम्मेदारी आने से बांधों की आज जो स्थिति है वह नहीं रहेगी । पैसे का भी सदुपयोग होगा । परन्तु राजस्थान सरकार के नीचे के अफसर इस बात को नहीं चाहते हैं कि बांध को डिपार्टमेन्टली बनाये जायं ।

श्री रामकिशोर व्यास : (सिंचाई मंत्री) माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पर ही सीमित रहें तो ठीक है, ठेकेदार पर कहने से....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत दिनों से नहीं बोले हैं । सीमित रहेंगे । अफसरों के विरुद्ध काफी बोल जाते हैं । मिनिस्टरी के विरुद्ध बोला जावे तो अच्छा होगा, बनिस्बत ऑफिसर्स के ऊपर बोला जावे ।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने यही कहा कि मिनिस्टरी को डिपार्टमेन्टल काम कराने के लिए तैयार होना चाहिये, यह मेरा खयाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : आगे कुछ खयाल बना रहे हैं।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की जो पानी की रेट्स हैं वे काश्तकारों के लिए बहुत ही ज्यादा पड़ती हैं क्योंकि कहीं ६ पर्सेन्ट हैं, कहीं ४॥, ५ पर्सेन्ट है। पुराने जमाने में, राजाओं के जमाने में और बड़े बड़े ठिकानेदारों के जमाने में उतनी रेट्स नहीं थी जितनी कि आज राजस्थान सरकार नये बांधों से जो रेट्स वसूल कर रही है। इससे काश्तकार पानी नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि आस पास का पानी इकट्ठा होकर बांध में चला जाता है जिससे उनके लिये कुँओं का पानी बढ़ जाता है और वे बांध का पानी इसीलिए भी नहीं देते कि बैल से और अरठ से जो रेट पड़ती है वह सरकार की रेट से कम पड़ती है। सरकार के द्वारा ज्यादा रेट रखने के कारण एग्रीकल्चर के नाम पर जो करोड़ रुपयों का खर्चा किया गया है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। राजस्थान सरकार तीन रुपया सैकड़ा के हिसाब से बैंक से लोन लेती है। फिर ४॥), ५) और ६) क्यों वसूल करती है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलाल मोदी, निर्माण के ऊपर डिमान्ड है और रेट्स पर चले जा रहे हैं। माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस प्रश्न में इधर उधर न जावें। श्री मुक्तिलाल मोदी आप फिर बात-चीत कर रहे हैं। आपने जो कट मोशन निर्माण कार्य के लिये दिया है उसी पर बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष जी, रेट्स भी महत्वपूर्ण सवाल है उस पर तो मुझे आप कुछ जरूर कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आपका कट मोशन तो सिर्फ निर्माण कार्य के लिये है। फिर अब आप जैसा उचित समझें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे रेट्स के बारे में और निर्माण कार्यों के बारे में दोनों तरफ ध्यान दें। तभी जाकर सही रूप में राजस्थान के किसानों को फायदा मिल सकता है। और इसके अलावा जो बांध बनाये जावें उनके बारे में मेरा यह निवेदन है कि उन बांधों का पहले पूरी तरह से सर्वे किया जाय। उपाध्यक्षजी, मेरी बैराठ तहसील में सात लाख रुपये लगा कर एक बांध बनाया गया है लेकिन जिस जगह वह बांध बनना चाहिये उस जगह वह बान्ध नहीं बनाया गया है, वह बांध असली नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या वह बांध नकली है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं अपने इलाके की बात कह रहा हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन यह था कि वह नकली बांध कैसे है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस जगह वह बांध बनाया जाना चाहिये था उस जगह नहीं बनाया गया है और उसमें नदियों का पानी नहीं आता है बल्कि जो छोटे छोटे नाले हैं उनको बांधकर वह बांध बांधा गया है उससे पानी मिलने

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

की संभावना नहीं है। रुपये तो सात लाख खर्च हो गये लेकिन उसका फायदा किसानों को पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि बांध बनाने से पहले पूरी तरह से सर्वे होनी चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि इसमें कितना पानी आ सकेगा, इससे कितने लोगों को फायदा हो सकेगा, कितनी काश्त हो सकेगी। यह बान्ध ऐसी जगह बनाया है जिससे थोड़े से काश्तकारों को फायदा पहुँचा है। उस बांध में नदियां नहीं पड़ रही हैं बल्कि केवल नाले ही बांधे गये हैं। और फिर बाद में यह कहे कि इर्रिगेशन डिपार्टमेन्टवालों से गलती हो गई, स्कीम तो बहुत बड़ी थी जिससे कई तहसीलों को फायदा होने वाला था। माननीय मन्त्री महोदय से कहना है कि कोई भी स्कीम आप बनावें सारे राजस्थान की हालत को सोच समझ कर बनावें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सम्मति तो ली जाती रही है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपका मतलब है बांध बनाने का काम सीखने के लिये रूस भेजा जावे।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरी बात यह है कि जो बांधों की सैंक्शन करते हैं जैसे डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, मिनिस्टर आदि वे ऐसे व्यक्ति हों जो बांधों की स्कीम को पूरी तरह से कैरी-आउट किये हुये हों। मेरी माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि वे खास तोर से जानकारी रख करके पूरी तरह से जानते हुए ऐसी स्कीमों को सैंक्शन करें। तभी राजस्थान में सही काम हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसके बारे में रूस से कुछ नियम लाये होंगे, वे बता दीजिये। रूस में क्या नियम हैं ?

श्री मदनसिंह : वहां तो बर्फ की डोली लगती है।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्षजी, हमें रूस के अन्दर बताया गया था, हमने वहां एक नहर देखी थी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : केवल एक ही नहर देखी क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मुक्तिलाल मोदी से) आप उनसे बातें नहीं करेंगे, आपके सामने आसन है।

श्री मुक्तिलाल मोदी: उपाध्यक्षजी वहां जो बांधों की मन्जूरी देने वाले हैं, जैसे डिपार्टमेन्ट के हैड्स वगैरह वे सब मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेन्टल हैड्स जो होते हैं वे टैकनिकल होते हैं। वे सारी जानकारी करके मन्जूरी देते हैं। वहां ठेकेदारों के ज़रिये काम नहीं होता है। वहां सब काम डिपार्टमेन्टल होता है इसलिये वहां इस प्रकार की चीजें नहीं हो पाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आशय यह था आप यदि रूस से इस बारे में कुछ नियम लाये हों तो वे लागू कर दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा निवेदन है डिपार्टमेन्ट के जरिये काम होना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिये करता हूँ कि राजस्थान में नहरों की क्या स्थिति है। यहां नहरें बने हुए काफी अर्सा होगया और नवीन निर्माण भी हो रहा है। नवीन नहरें या तो नाम मात्र की रह गई हैं या उनके चिन्ह भी मौजूद नहीं हैं। आज आप यदि पार्वती क्षेत्र में जायें तो आपको पता चलेगा कि वहां के लोग जो यह आशा लगाये बैठे थे यहां पर नहरों का निर्माण होगा और शीघ्र पानी आवेगा लेकिन जो नहरें हैं उनकी हालत यह है कि उनसे सिंचाई का पानी भी उपलब्ध नहीं है और जो उनसे फिजूल पानी जा रहा है।

इसके अलावा उर्मिला सागर धौलपुर शहर के निकट है। हम यह देखते हैं पानी जो सागर में भरा हुआ है उसको खेती के काम के लिये लेने के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि नहरों की जो व्यवस्था है उसके लिए हम उस स्थान पर इमीजियेट ऑफिसर की नियुक्ति करें जो पानी के फिजूल खर्ची के बारे में ध्यान रखे और उस पर तत्काल एक्शन ले या नहरों का काम ग्राम-पंचायतों को सौंप दिया जाय। उनकी मरम्मत या जो कुछ भी खराबी देखे उसको तत्काल ठीक करने का काम पंचायतों को सुपुर्द कर देते हैं तो व्यवस्था ठीक हो सकती है। जितने समय में वहां रहने वाला हैड ऑफिस को सूचना देता है उतने समय तो पानी की बर्बादी हो जाती है। ऐसी हालत में एक और चीज़ है जिसकी ओर भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धौलपुर के अन्दर आज भी वे ही रेट्स चल रहे हैं जो पहले थे। उसके लिये पहले भी यह आश्वासन दिया गया था कि हम रेट्स के बारे में एकीकरण करने जा रहे हैं वहां आज करीब करीब भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो रेट्स लागू हैं जैसे भरतपुर में मेरे खयाल से पांच रुपया है तो धौलपुर में ७॥, प्रति बीघा देना पड़ता है, वहां की रेट्स में बड़ा भारी फर्क है। पिछले दिनों यह बतलाया गया था कि हम शीघ्र ही कार्यवाही कर रहे हैं परन्तु कभी उस शीघ्रता का अन्त भी आयगा या नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मंत्री): इसके बारे में नोटिफिकेशन भी निकल चुका है।

डॉ० बहादुरसिंह : यदि यह है तो धन्यवाद। अब मैं उर्मिला सागर के बारे में बतलाना चाहता हूं। उसमें से जो नहरें निकलती हैं वे पहले ही बहुत छोटी हैं। अब उनमें ज्यादा पानी भरने लग गया है उसका जो वेस्ट वेयर है वह बहुत बड़े इलाके की बर्बादी कर देता है। अगर उस इलाके में सिंचाई की नहरें बढ़ा देते हैं तो हम वहां के रहने वालों को काफी सान्त्वना दे सकते हैं। इसमें विशेष खर्चा भी लगने वाला नहीं है। लोग वहां के श्रमदान करने के लिये भी तैयार है सिर्फ आपकी आज्ञा की और सहयोग की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देंगे और इस पर जरूर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ में कटोती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटोती का प्रस्ताव यह है कि इर्रिगेशन की पोटेन्शियलटी जो इस अर्से

Page No.54

(श्री रामकिशोर व्यास)

में नयी बनी है उसका पूरा पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं इस मांग के सम्बन्ध में जो पांच लाख की मांग की गई है वह इस वजह से की गई है कि अभी भरतपुर और अलवर के इलाके में जो बाढ़ आगई थी उसकी मेन्टीनेन्स पर ज्यादा खर्चा हो गया उसके लिये यह पांच लाख रुपये की सप्लीमेन्टरी मांग रखी गई है। इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखते हुए जो बातें कही कई हैं उनके लिये निवेदन करूं कि आम तौर पर जो नये बांध बनाये जाते हैं उनसे जो फल मिलने वाला है उसमें दस साल का समय निर्धारित है उसके बाद पूरा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आम तौर पर चार पांच साल तो थोड़े बहुत काम में लग ही जाते हैं। काश्तकार अपने आपको उसके लिये एडजस्ट कर सकें, लोगों को जानकारी मिले, इसमें भी समय लग जाता है, इसकी वज़ह से जितना जल्दी लाभ उठाना चाहते हैं वह उठा नहीं पाते। अपने यहां की विशेष परिस्थिति है। यहां नदियां हैं नहीं। इसलिये कन्जूम्ड एरिया से जो पानी आता है उसी पानी को बान्धते हैं। और उसकी केपेसिटी जितनी होती है उतनी ही खेती का काम होता है। जैसे जवाई की बात कहूं। केपेसिटी काफी है पर वर्षा कम होने से पूरा भराव नहीं होता है। इससे पानी कम दिया गया और इस कारण खेती कम हुई। तो ऐसी परिस्थिति यहां भी है। जैसे भाखरा का बांध है। वहां पर नॉम पैरीनियल वाटर है। अभी सारा बन्ध बन नहीं पाया है। वर्षा का पानी आता है जो जुलाई से अक्टूबर तक दे दिया जाता है। उससे दो फसलें भी नहीं हो पातीं। जितना बरसात का आता है दो-तीन महीनों में दे देते हैं, जितना आता है उसका पूरा पूरा उपयोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं उपयोग करते। कभी ऐसा भी होता है कि उधर बरसात देर से होती है तो पानी भी देर से आता है. तो उसका उपयोग इधर भी देर से हुआ और फसल पूरी अच्छी भी नहीं हुई।"

इसके बाद रेट के बारे में कहा गया। हमारी पॉलिसी यह है कि रेटें युनिफार्म रहें। पर पहले वाले बन्धों में और अब में अन्तर है। वह दूर करने में दिक्कतें हैं। इस बारे में एक नोटिफिकेशन निकाला है उसका आप मुलाहिजा कर लें।

दूसरी बात कही गई कि जैसे चाय और काफी का फ्री एडवर्टाइज़मेंट करते हैं वैसे पानी भी फ्री देकर उसका एडवर्टाइज़मेंट किया जावे। पर आपके इस हुक्म की तामील होनी मुमकिन नहीं है। बांध बनाने में खर्चा काफी पड़ता है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आप नोमिनल करिये।

श्री रामकिशोर व्यास : पर इसके लिए तरीके और तरह के अपनाये जाने चाहिये। यह हम मानते हैं कि इस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जावे। इसके बारे में कई बातें फैलाई जाती हैं जैसे जयपुर में कहा गया कि पानी खराब है, इससे फसल खराब हो जावेगी। हमें इसका कैमिकल एग्ज़ामिन कराना पड़ा। तो इस तरह कई बातें फैलाते हैं। इसमें समझाने बुझाने की बात तो ठीक है। इसमें हम प्रयत्न करेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कई जगह की शिकायत आई है कि पानी समय पर नहीं मिलता और उससे नुकसान हुआ तथा फिर भी चार्ज पूरा कर लिया गया; जैसे जोधपुर और डेगाना की तरफ।

श्री रामकिशोर व्यास : पानी नहीं मिला यह तो ठीक हो सकता है। पर पानी होते हुए न दिया गया हो तो तहकीकात के काबील बात है। न मिला इसमें तो मजबूरी हो सकती है फिर एक ही पानी मिला हो और पूरा चार्ज कर लिया गया हो तो भी बतावें हम एक्शन लेंगे। इर्रिगेशन में इसके रूल्स साफ हैं। आप ऐसी बात हो तो नोटिस में लाइये। हम ठीक करेंगे।

तो रेट्स के लिये मैंने अर्ज किया ...

श्री पी० के० चौधरी : रेट्स आप निकालते हैं कितने साल में कॉस्ट रियलाइज़ करने के अन्दाज़ से निकालते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी डिटेल तो इस समय अर्ज नहीं कर सकता पर शायद १० साल का होगा।

अब मैं निर्मला सागर की बात कहता हूं। १५, २० साल का उसका रेकॉर्ड है कि उसमें पानी जितना आज है उतना ही काफी है। अधिक पानी नहीं आता। इसलिये ऐसे एक्सटेन्ड करने में फायदा नहीं। आपने कहा कि अब पानी ज्यादा आने लगा है तो एक दो साल अगर ज्यादा आ गया हो तो इसके ऊपर से उसे एक्सटेन्ड करने का फैसला लेना मुनासिब नहीं होगा। अगर स्थायी रूप से पानी ज्यादा आने की सम्भावना हो तो विचार किया जा सकता था इसमें दिक्कत की बात नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आजकल तो पानी बहुत है।

श्री रामकिशोर व्यास : इस एक दो साल के अधिक पानी के बेसिस पर एक्सटेन्शन का खर्चा नहीं उठाया जा सकता। हां, अगर स्थायी रूप से पानी टहर सकता हो तो ऐतराज नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : पानी तो हर साल बढ़ रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : अब एक सवाल यह भी आया कि अमानि में काम कराया जावे, ठेकेदारों से नहीं। इसका मैं पहले भी जबाब दे चुका हूं आम तौर पर अमानि पर काम कराना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत काम हो सकता है छोटा-मोटा। एक-आध किया भी है। जैसे चम्बल का काम। वहां किसी का टेन्डर नहीं आया तो सरकार स्वयं ही कर रही है। पर आम तौर पर इतने बड़े-बड़े काम डिपार्टमेंटल लेवल पर कराना मुझे तो सम्भव नहीं दिखाई पड़ता। जनरल पॉलिसी के तौर पर इसे एडोप्ट करना मुश्किल ही मालूम पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी : चम्बल में डिपार्टमेंटल काम कितका सक्सेसफुली हो रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है। पर बड़े बेसिस पर उसे लुक-आफ्टर करना सम्भव नहीं लगता।

श्रीमुकिलाल मोदी (बैराट) : डिपार्टमेन्टली करेंगे तो रुपया बचेगा जैसे पी०

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

डब्ल्यु० डी० वालों ने तीस लाख का काम थोड़े में कर दिया ।

श्री रामकिशोर व्यास : मुक्तिलालजी यह तो ज़माने का दौर है । पहले लोग कहते थे डिपार्टमेंटली काम ठीक नहीं होता, अफसर रिश्वतें खा जाते हैं, पैसा खराब कर देते हैं । इस पर कॉन्ट्राक्टर सिस्टम हुआ ।

श्री मदनसिंह : डिपार्टमेंटली का मतलब यह थोड़े ही है कि इन्जीनियर खुद फावड़े चलावें, निगरानी होनी चाहिये बस । बाकी काम तो करने वाले ही करेंगे ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो ठीक है आपका कहना । इन्जीनियर फावड़ा नहीं चलावेंगे । पर मैं कह रहा था समय का दौर चलता है यह तो । उस वक्त डिपार्टमेंटल वर्क था अब आज ठेकेदार का समय है ।

श्री मदनसिंह : आपने शिकायत की वजह से ही अगर ठेकेदार को दिया है तो अब फिर हम शिकायत करते हैं आप डिपार्टमेंटली कर दीजिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : हर सिस्टम में कुछ न कुछ एडवान्टेज़ और डिसएडवान्टेज़ तो होते ही हैं । पर प्रक्टिक्ली इस वक्त कॉन्ट्राक्टर सिस्टम है ।

एक बात यह कही गई कि ७०' पर्सेन्ट पानी फालतू जाता है । यह समझ में नहीं आया । जहां तक मेरी जानकारी है मैं कह सकता हूं कि ८, ६ जगह ऐसी हो सकती हैं सारे राजस्थान में जहां के पानी का पूरा फायदा नहीं उठाया गया हो । कुछ जगह पर ऐसा हुआ है, यह सही है । मैं मानता हूँ पर ७० पर्सेन्ट की बात तो एकदम गलत है । जहां पानी नहीं उपयोग में आ सका उसके भी कई कारण हैं । कहीं रेट्स वाला पॉइन्ट आया, बहम फैलाना भी कारण था और हमें इसके लिये पानी का केमिकल एग्ज़ामिन कराना पड़ा और कहीं समय पर अलॉटमेंट नहीं हुआ ।

श्री पी० के० चौधरी : कहीं रेलवे लाइन की वजह से नहर ही नहीं निकली ।

श्री रामकिशोर व्यास : हां, यह भी है । पर बहुत कम पर्सेन्टेज़ है कि वहां उपयोग नहीं हुआ हो बाकी सब जगह उपयोग किया गया है ।

श्री पी० के० चौधरी : प्रोडक्शन पोटेन्शियेलिटी के लिये सर्वे करने को तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां । I am also keen about it. How much advantage we are getting from the money spent there on...पार्वती सागर के बांध की बात आई । वहां नहरें मिट्टी से भर गई । पहले उसमें स्कीम्स थी नहरें बनाने की, वे बनाई गई, डैम बन रहा है । जब वह बन जावेगा तब उसमें पानी आवेगा । आखिर एक चीज तो करनी ही थी या तो इसमें नहर बनाते या डैम बनाते । तो इसमें नहरें बनाई हैं पहले । डैम के लिये टेन्डर फिर दिये हैं क्योंकि इसमें पहले का कॉन्ट्राक्टर मर गया था । अब तो काम जारी हो गया है । शायद इस साल पानी का भरांव हो जावेगा ।

श्री मदनसिंह : अगर पानी नहीं आया और नहरें बन गईं तो खर्चा इसका ही ही गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो दोनों ही एक बात है, चाहे नहर पहले बना दें और बांध बाद में या बांध पहले और नहर बाद में। क्योंकि दोनों का इस्तेमाल तो एक ही साथ होगा जब कि दोनों ही बन जायेंगे। मगर जब निर्माण का काम होता है तो कभी नहर पहले बनती है और कभी बांध।

डॉ० बहादुरसिंह : जो नहर आपने बनवाई है वह तो खराब हो रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : तो जो मिट्टी भर जायेगी वह हटा दी जायेगी। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि यह मांग महज़ इसलिए की है कि भरतपुर की ओर कुछ फ्लड ज्यादा आए और उनकी मेन्टीनेन्स आदि में खर्चा हुआ है। आशा है कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे और इस मांग को पास करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी. के. चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

(विराम)

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my cut-motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक १८, सिंचन, नौचालन आदि स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

(विराम)

मांग संख्या ७०।

अनुपुरक अनुदान की मांग संख्या ७०
वैज्ञानिक विभाग

श्री रामकिशोर व्यास : मूव कर दूँ ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २ लाख ८५ हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री जगदीशप्रसाद माथुर.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जावे (पलाना खान की अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हमारे प्रान्त में औद्योगीकरण हो रहा है उसको देखते हुए आज जितनी भी शक्ति की आवश्यकता है उसके दो ही श्रोत हैं। एक तो पानी के ज़रिये हम बिजली निर्माण कर सकते हैं, दूसरे कोयले से शक्ति का उत्पादन करें। पानी की बिजली राजस्थान में हम नहीं लगा सकते हैं लेकिन जहां तक कोयले का संबंध है इसका कितना अधिक विकास किया जाये इसके लिए भारत सरकार की ओर से भिन्न भिन्न स्थानों पर खोज़ की जा रही है। राजस्थान में तो हमारी सरकार को खोज-कार्य आरम्भ करने के पहले ही एक कोयले की खान बहुत अच्छी दशा में मिली और जो सरकार को केवल काम करना शेष था वह यह था कि उस खान का किस प्रकार से विकास किया जाये और उसके अन्दर से कोयले को निकाल करके उसका उचित प्रयोग किया जाये। केवल इतना ही काम हमारी राज्य सरकार के जिम्मे आया था। उसको आरम्भ से किसी प्रकार की कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि जिस समय सभी रियासतों का विलीनीकरण हुआ था उस समय भूतपूर्व बीकानेर स्टेट ने एक योजना बनाई थी, उस योजना के अन्तर्गत काम भी चालू हो गया था और उस समय की भूतपूर्व बीकानेर स्टेट ने उस पर कुछ करोड़ रुपया भी लगाने का विचार किया था और उसके लिए कुछ मशीनें भी मंगाई और कुछ सामान भी मंगाया और उस समय उसका काम भी शुरु होने वाला था कि सारी रियासतों को मिलाकर एक संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ और संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो जाने के बाद में राज्य सरकार पर इसकी जिम्मेदारी आई और इसको पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ली। केन्द्रीय सरकार ने इसके विकास के लिए एक बड़ी धनराशि देनी भी तय की। अब यह प्रश्न आता था कि राजस्थान सरकार उसका विकास करेगी लेकिन आज इतने वर्ष हुए सब से पहले सन् १६५३ के अन्दर उस समय की एस्टीमेट्स कमेटी थी उसने ध्यान दिलाया था कि इस खान के अन्दर क्योंकि फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर नहीं है इसलिए जो प्रोडक्शन कोयले का पलाना खान का होना चाहिए वह नहीं हो सकता है क्योंकि यह माइन्स डिपार्टमेन्ट का नियम है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर है वह इतना कोयला निकाल सकता है और अगर सेकिण्ड क्लास माइन्स मैनेजर है तो वह इतना कोयला निकाल सकता है और इस खान के ऊपर चूंकि सेकिण्ड क्लास मैनेजर था वह इतना कोयला नहीं निकाल सकता था। इसलिए भारत सरकार की यह राय थी कि इस खान के ऊपर कोई फर्स्ट क्लास मैनेजर नियुक्त कर दिया जाये तो इस खान के कोयले का उपयोग हो सकता है। मगर हमारी सरकार ने इस प्रकार से इस पर कार्य किया कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कान में तेल डाल लिया हो इस प्रकार से इसकी उपेक्षा की गई। इसके अलावा बीकानेर में पावर हाउस स्थापित करते समय वहां के जो इन्जीनियर्स थे उन्होंने तय किया था कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जिससे हम बीकानेर के कोयले की खपत उसमें कर सकें। ऐसी ही मशीनें वह थीं। उस समय अगर हिसाब लगाया जाय तो बीकानेर का कोयला ११॥ रुपया प्रतिटन पड़ता था और जो बंगाल से कोयला आता था उसकी कीमत लगभग ३८॥ रुपया प्रति टन पड़ती थी। अब अगर सारा का सारा कोयला बीकानेर की खान का उपयोग में

(श्री जगदीप्रसाद माथुर)

लाया जाता तो उसमें कितना रुपया लगता और जो बंगाल का कोयला उपयोग होता है उसका कितना रुपया खर्च होता है; इसका अन्दाजा हम लगा सकते हैं। इस पावर हाउस के अन्दर ५० हजार टन कोयले की खपत है वह भी केवल इस खान से और बाकी का जो कोयला था वह बंगाल से मंगाना पड़ता था इसलिए सन् १९५३ में यह बात सरकार के नोटिस में आई थी तो मैं आपको बताऊं कि यह बात किस प्रकार से चलती है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। अभी जो दूसरी एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट १९५८-५९ की पेश हुई थी इसके अन्दर भी एस्टीमेट्स कमेटी ने फिर इसकी चर्चा की और इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि सन् १९५३ में जब कि इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि बंगाल से कोयला न मंगाकर बल्कि पलाना खान से लिया जाये और उसका ठीक ढंग से विकास किया जाये। इसके आंकड़े लगाये गये तो मालूम हुआ कि इससे प्रतिवर्ष ९ लाख रुपये का घाटा सरकार को होता है। क्योंकि बंगाल का कोयला इस्तेमाल किया जाता है उससे इतना नुकसान होता है। अब सन् १९५३ से आज तक जो घाटा हो रहा है उसका क्या होगा, आप ही इसका अन्दाजा लगाइये। दूसरे एस्टीमेट्स कमेटी ने यह रिपोर्ट दी थी कि इसके अन्दर अधिक उत्पादन किया जाये और इससे जो कोयला निकलेगा उसका उपयोग हम न केवल पावर हाउस के लिए ही बल्कि दूसरे साधनों में भी कर लेंगे। यह दूसरा घाटा है। इसके अलावा जो पावर हाउस की मशीनें हैं और जो उस पलाना के कोयले को सूट करती थीं उनके खराब होने का तीसरा घाटा और फिर कोयला निकालने में जो खान में मजदूर लगते और जो कोयला कहीं दूसरे स्थानों पर काम में आता वहां भी मजदूर लगते तो इस तरह से मजदूरी नहीं मिलने का चौथा घाटा। इस प्रकार से मिलाकर यह आंका गया था कि करोड़ों रुपयों का घाटा पलाना खान को ठीक ढंग से वर्क-आउट नहीं करने से राज्य सरकार को हो रहा है। लेकिन न मालूम क्या बात है। विद्युत विभाग तो इसके लिए माइन्स डिपार्टमेन्ट को दोषी ठहराता है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को इसके बाद में माइन्स डिपार्टमेन्ट ने लिखा कि पलाना खान के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर को भेजा जाये। इसके लिए फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने सेंक्शन नहीं की और वह इस बिना पर कि जो ग्रेड फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर की होती है वह ८००-१,५०० होती थी और इसके लिए फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने कहा कि हम इतनी पे वाला नहीं रख सकते हैं। इसलिए फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट, माइन्स डिपार्टमेन्ट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट, इन तीनों डिपार्टमेन्टों के घोटाले के कारण से हमारे यहां पर करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। अब इसकी जिम्मेदारी किस की है? एक वर्ष बीता, दो वर्ष बीते निरन्तर इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया। १९५८-५९ की जो एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके अन्दर भी फिर इस चीज का हवाला दिया गया है कि हमें बड़ा दुख है कि पलाना खान के ठीक ढंग से विकास करने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एस्टीमेट्स कमेटी इस प्रकार का दुख प्रकट करती है। ९ लाख रुपये का प्रतिवर्ष घाटा चल रहा है तो डिपार्टमेन्ट ने इसको तय क्यों नहीं किया?

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विद्युत विभाग ने अपना उत्तरदायित्व माइन्स विभाग पर डाला और माइन्स विभाग ने फाइनेन्स विभाग पर डाला। इसका अर्थ यह है कि जैसा कि कल सहकारी मंत्रीजी ने बताया था कि हमारी गवर्नमेन्ट मे बड़ी सहकारिता है। तो यह जो घोटाला सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उससे ऐसा लगता है कि वास्तव में गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट्स में आपस में कोर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। वरना एक डिपार्टमेन्ट सूचना देता है कि २५ हजार टन कोयले की जरूरत है इसलिये फलाना खान का विकास किया जाय तो यह क्या बात है कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाय? एस्टीमेट्स कमेटी ने आरोप लगाया है कि माइनिंग विभाग का जो डाइरेक्टर है वह इसके लिये दोषी है क्योंकि फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर की अपॉइन्टमेन्ट के लिये उसका क्या ग्रेड होना चाहिये यह उनसे पूछा गया था लेकिन वे ग्रेड इस कारण से नहीं दे सके कि शायद उनके ग्रेड से बढ़ कर मैनेजर का ग्रेड हो जाय। आखिर एक दूसरे के बीच में कम ज्यादा ग्रेड का सवाल होता है। मुझे खुशी है कि अब फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर की नियुक्ति हो गई है लेकिन मैं तो विशेष रूप से डाइरेक्टर को इसके लिये दोषी ठहराता हूँ। उसने यह नहीं देखा कि फलाना माइन्स ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। जब काम बहुत बिगड़ने लगा तब सेन्टर से इन्सपेक्टर आता है और कहता है कि इस माइन की हालत बहुत खराब है इसको बन्द करना चाहिये। यदि बन्द नहीं करते हैं तो यह खान टूट जायगी और मजदूर मर जायेंगे। पिछले चार पांच महीनों से इसमें प्रोडक्शन बन्द है। सदन में इस बात का आरोप सरकार पर लगाया था कि कई टैक्निकल डिपार्टमेन्टों के हैड्स टैक्निकल हैंड नहीं हैं। लेकिन माइन्स विभाग का हैड तो टैक्निकल हैड है। फिर उन्होंने यह क्यों नहीं देखा कि यह खान किस प्रकार से चल रही है। अचानक भारत सरकार के ऑफिसर को आना पड़ा। आज इसका उत्पादन तीन चार महीनों से बन्द है। अब कब दूसरी खान खुदेगी और कब उत्पादन चालू होगा? आज जब कि राज्य में पॉवर की सबसे अधिक आवश्यकता है। पॉवर पर ही हमारी योजना की सफलता असफलता निर्भर है। खाली भाखरा चंबल से तो बिजली कोटा और बीकानेर में ही आ सकती है। बाकी जिलों के लिये तो हमें शक्ति का निर्माण डीजल से या कोयले से ही करना है। इस समय शक्ति के उत्पादन के प्रति उपेक्षा की गई है। आज सरकार यह कह सकती है कि अब फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर की नियुक्ति करदी गई है इसलिये आगे से संतोषजनक ढंग से यह खान चलेगी। लेकिन मुझे यह निवेदन करना है कि विशेषज्ञों की एक कमेटी इन्वेस्टिगेशन करने के लिये बैठाई जाय जो यह तय करे कि इस प्रकार की उपेक्षा जो बरती गई है जिसमें लाखों रुपयों के घोटाले की बात जो एस्टिमेट्स कमेटी ने बताई है कि लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है वह किस कारण से हुआ। यदि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की गलती से हुआ है तो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के सम्बन्धित अधिकारियों को उचित दंड मिलना चाहिये और यदि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट की गलती से हुआ है तो उस डिपार्टमेन्ट के सम्बन्धित अधिकारियों को दंड मिलना चाहिये और यदि माइनिंग विभाग के हैड की गलती से हुआ है तो उसको उचित दंड देना चाहिये।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लेकिन ऐसी कमेटी अवश्य बैठानी चाहिये क्योंकि लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। यदि इसकी जांच नहीं की गई तो यह उचित बात नहीं होगी। एक तरफ भारत सरकार पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इस खान के विकास के लिये २ करोड़ रुपये सैंक्शन करती है, मुझे अभी मालूम हुआ है कि ४ करोड़ रुपये इस खान के विकास के लिये विशेष रूप से सैंक्शन किये गये हैं। लेकिन हमारे अधिकारियों की गलती के कारण जितने रिसोर्सेज़ पहले से हमारे यहां थे उनका उपयोग नहीं कर सके और उल्टा घाटा किया। और अभी जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार भी जब तक दूसरी शिफ्ट चालू नहीं हो जायगी तब तक इस योजना में इस विभाग के लिये जो रुपया सैंक्शन किया गया हैं उसका उपयोग नहीं हो पायेगा इसलिये हमें हर सूरत में घाटा ही होगा। तीनों डिपार्टमेन्ट आपस में मिल कर अच्छी तरह से इस समस्या को हल कर सकते थे चाहे डिपार्टमेन्टल हैड्स के आपस में नहीं बनती हो लेकिन जो जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी की बात सरकार की है वह शायद नीचे के डिपार्टमेन्ट्स पर लागू नहीं होती है। यदि यह लागू होती है तो इलेक्ट्रिकल या फाइनेन्स डिपार्टमेंट को यह बात केबिनेट के सामने रखनी चाहिये थी और कहना चाहिये था कि वास्तव में इतने लाख रुपयों का घाटा है इसलिये फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर की नियुक्ति करें। लेकिन केबिनेट में इस पर डिस्कशन नहीं हुआ इसलिये तीनों विभाग समान रूप से इसके लिये उत्तरदायी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी बिठाई जाय जो सारे घोटाले की जांच करे कि किस अधिकारी की लापरवाही से यह ६ लाख रुपयों का सालाना घाटा हुआ है। घाटे के बजाय इतना ही अधिक लाभ हो सकता था उसको वर्कआउट नहीं किया है लेकिन जो घाटा हुआ है उसके प्रति उपेक्षा और गैर जिम्मेदारी दिखाई गई है उसकी जांच करने के लिये कमेटी बैठाई जाय जो सम्पूर्ण जांच कर सके और बता सके कि किस अधिकारी की गलती से ऐसा हुआ है और उसको दण्ड दिया जा सके।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पलाना खान के बारे में कटौती प्रस्ताव रखा है मैं, उसका समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे पता है, पलाना खान में पहले जितना कोयला उपलब्ध था उससे कहीं ज्यादा कोयला अब वहां पर उपलब्ध हो सकता है और पलाना से कुछ दूरी पर एक बरसिंहसर गांव है जो वहां से ६ माइल दूर है उस तक कोयला पड़ता है। बरसिंहसर गांव और बासी गांव तक काफी कोयला है ऐसा विशेषज्ञों का मत है। लेकिन राजस्थान सरकार की कुछ उदासीनता की नीति है इसलिये आज हम देख रहे हैं कि इस खान में घाटा लग रहा है और बीकानेर का जो पावर हाउस है वह भी बाहर से कोयला मंगाता है। उधर खान को घाटा और इधर पावर हाउस को बाहर से कोयला मंगाना पड़ता है और काफी रकम चुकानी पड़ती है। इस खान के विषय में सरकार को जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया काफी पहले सावधान होना चाहिये था। कल, परसों मैंने पेपर में पढ़ा उसमें इस तरह के समाचार सरकार की तरफ़ से छपे थे। यह कहना चाहिये कि प्रोपेगन्डा हो रहा था कि २ हज़ार टन प्रतिमास उत्पादन था अब

(श्री गिरधारीलाल)

हमने चार हजार टन प्रतिमास उत्पादन बढ़ा लिया है। तो इस प्रकार का सरकार का प्रोपेगन्डा है जो असलियत में असत्य है। प्रोपेगन्डा छोड़ कर सही हालत में कितना उत्पादन है उसकी ओर ध्यान देना चाहिये था और जितना फायदा उत्पादन से उठा सकते थे उतना उठाना चाहिये था। लेकिन सरकार आज तक इस बारे में उदासीन रही है। मैंने पिछले साल भी अधिवेशन के समय मांग की थी कि एक इन्जीनियर की नियुक्ति की जाय जैसा कि आपने अब किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर की नियुक्ति की है वह एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और माँग करूंगा कि वहां पर आपको ब्रेकेटिंग प्लान्ट्स लगाने चाहिये। वहां पर जो कोयलों का उत्पादन होता है उसको बाहर निकाल कर रखते हैं उसमें काफी नुकसान होता है इसलिये इस भूरे कोयले के लिये ब्रेकेटिंग प्लान्ट नहीं लगायेंगे तब तक इसका उचित उपयोग नहीं ले सकेंगे। आज तक हिन्दुस्तान में सिर्फ दो ही जगह यह भूरा कोयला निकलता है एक तो बीकानेर के पास पलाना में और एक और दूसरी जगह है। जो राजस्थान में एक खान पलाने की है उसका उपयोग उचित तरीके से करना चाहिये। यदि आप वहां पर ब्रेकेटिंग प्लान्ट लगाते हैं तो उसका काफी उपयोग कर सकते हैं और जो घाटा होता है उसको पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार बीकानेर के रोशनी घर में बाहर से जो कोयला मंगाते हैं उसमें भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है वह पैसा भी बच सकता है। इसी तरह से आप जो मजदूरों की छँटनी कर रहे हैं वह भी बच सकती है। आप एक कुँआ खोद रहे हैं, पलाना मेरी कान्स्टिट्युएन्सी में है, वहां पर खान तक जो रेलवे लाइन आपने लगाई है उससे २॥ माइल दूर पर यह कुँआ है। कुँए तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। वहां पर जो कोयला निकाला जाता है वह ऊंटों के जरिये लाया जाता है। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि एक तरफ तो आप उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऊंटों पर कोयला लाने में लाखों रुपये खर्च होते हैं और इससे आप यह भी नहीं कर सकते कि जल्दी से जल्दी कोयला बाहर भेजा जा सके। एक कुँआ जो आपने खुदाया है उसमें ज्यादा प्रगति नहीं है इसलिये इस खान की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये। वहां पर काफी कोयला है ऐसा विशेषज्ञों का मत है। साथ ही आपको वहां पर ब्रेकेटिंग प्लान्ट लगाना चाहिये। ये ही शब्द मुझे कहने हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री—मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : माननीय उपाध्यक्ष, इस मांग के सिलसिले में जो कटौती का प्रस्ताव एक माननीय सदस्य ने रखा, उसमें उन्होंने यह बताया कि पलाना कोलेरी के बारे में गवर्नमेन्ट की तरफ से कम कोऑर्डिनेशन होने की वजह से इसके उत्पादन में कमी रही है और इस वजह से सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, उनकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस किसी विभाग या जिस किसी आदमी का इसमें हाथ रहा उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, पलाना कोलेरी के बारे में, वहां पर कितना कोल उपलब्ध है, इस बारे में विभाग को जानकारी है वह मैं जान-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कारी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। अब टोटल कोल वहां पर २० मिलियन टन्स के करीब है और अब ८.५ मिलियन टन्स कोल, साढ़े तीन स्क्वायर मील डिपोज़िट का पता लगाया है। इस प्रकार टोटल कोयले को निकालने में जो कि काफी मात्रा में उपलब्ध करने में कोयला निकालने के सबसे पहली दिक्कत, रही वह यह थी कि एक फर्स्ट क्लास मैनेजर की एब्सेन्स में हम लिमिटेड दायरे में कोयला निकाल सकते थे और सेकिंड क्लास मैनेजर जितना कोयला निकाल सकता था वह बराबर निकालता जा रहा है। पहले जिन शिफ्ट में काम चल रहा था वह दो शिफ्ट में काम हो रहा था अब दो नये शिफ्ट बनाने के सिलसिले में विभाग ने प्रयत्न किया है। फर्स्ट क्लास मैनेजर की तलाश करके उसे अच्छी तनख्वाह पर लाकर रखा है और हम चार शिफ्ट लगाना चाहते हैं, दो शिफ्ट और लगाना चाहते हैं। इस साल दो पर काम चल रहा था, अभी दो लाख का प्रोविज़न है और अब दो शिफ्ट लगाने पर ढाई लाख की और आवश्यकता है, इसलिए सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड रखी है।

चार करोड़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया, कटौती प्रस्ताव में, मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्दर पलाना कोलेरी के डवेलपमेन्ट के लिए ओपन शिफ्ट सिस्टम से माइनिंग का काम करने का इरादा है। इसकी टैक्निकल जांच का काम सर्वे पार्टी को सौंपा जाना चाहिए, वह गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का काम है उनको लिखा जा रहा है कि वह सर्वे जल्दी से जल्दी करवाये ताकि ओपन शिफ्ट बनाये जा सकें। उसमें समय लगेगा, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो रुपया प्रोवाइड किया है, वह प्लान के पहले खर्च किया जा सकता है या नहीं, यह मैं इस स्टेज़ पर नहीं कह सकता। लेकिन जो कोयला निकाला जा सकता है उसके लिए विभाग का काम जारी है, दो शिफ्ट का काम हाथ में है और दो के लिए हम प्रोविजन करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से इसमें कोई देर नहीं है जो प्रिलिमिनरी कार्यवाही होनी चाहिए वह हो चुकी है। अब पहले किसकी गलती रही है, इसके लिए मैं निवेदन करूं कि बहुत तलाश करने पर भी फर्स्ट क्लास मैनेजर नहीं मिला। इसमें न फाइनेन्स की गलती है, न विभाग की गलती है। जिस तेजी से काम चल सकता था, जितना सेकिंड क्लास मैनेजर काम कर सकता था उतना किया गया है इसलिए लॉस या गलती का प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं आशा करता हूँ वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेंगे क्योंकि सरकार स्वयं तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है।

श्री गिरधारीलाल : ब्रेकेटिंग प्लान्ट के बारे में आपका क्या विचार है ? ब्रेकेटिंग प्लान्ट के लिए मैंने सुझाव रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। आर्डर प्लीज़।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

Page No.64

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७० स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या ७४

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७४
ग्राम विकास
मुख्य शीर्षक ४० का

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ४० का ग्राम विकास के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८६,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७४ स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७४ स्वीकार की गई ।

(विराम)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७७ मुख्य शीर्षक ४७ विविध विभाग

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री-वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७७, मुख्य शीर्षक ४७–विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०७,८९,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I move thet "The supplementary demand no. LXXVII-Major Head 47-Miscellaneous Department be reduced by Rs. 100/-(to discuss the lack of control on petrol consumption, as well as maintenance and repairs of departmental vehicles." उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की जो कारें हैं, डिपार्टमेंटल कारें हैं, उनका काफी दुरुपयोग होता है और इसकी तरफ इस विधान सभा के अन्दर समय समय पर ध्यान आकर्षित किया गया है तथा विधान सभा की एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी का भी ध्यान आकर्षित हुआ था कि गवर्नमेंट–कारें अनाप शनाप इस्तेमाल होती हैं और उनमें काफी पेट्रोल वगैरह में खर्चा होता है । इसलिए एस्टीमेट्स कमेटी ने १९५३ में कहा था कि डिपार्टमेंटल कोर्स को अबॉलिश कर दिया जाय और एक पूल रख दिया जाय। इस पूल के अन्दर कार रखें, डिपार्टमेंट्स के हाथ में कार न रहें, सिवाय पुलिस और स्कूल्स के दूसरे किसी डिपार्टमेंट के पास कारें नहीं होनी चाहिए । इस बात को जब एस्टीमेट कमेटी ने १९५३ में कहा था, उस टाइम पेट्रोल एन्ड मेन्टीनेन्स चार्जेज़ पर खर्चा करीब ९ लाख का

(श्री पी. के. चौधरी)

था। अब १६५६ में इन पर खर्चा लगभग २२ लाख रुपये का हो गया है। अब कार के रेशो को देखें तो लगभग १ हज़ार ८० सरकारी कारें हैं, जिनमें से सिर्फ १५७ कारें पूल में हैं, बाकी सारी कारें डिपार्टमेंट के साथ अटैन्ड हैं और इनका काफी दुरुपयोग होता है। इसलिए यह जो अतिरिक्त खर्चे की डिमान्ड लाई गई है यह केवल पेट्रोल और मेन्टीनेन्स के खर्चे को मीट आउट करने के लिए है। आज से पांच साल पहले जो सिफारिश की गई थी, उस पर आज तक सरकार की तरफ से अमल नहीं किया गया है। यह बात नहीं है कि सिर्फ कमेटी की सिफारिश थी, इस बात को कमेटी के अन्दर चीफ सेक्रेटरी ने कबूल किया था कि इनका दुरुपयोग होता है...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : कौन सी गाड़ियों का दुरुपयोग होता है ? किन गाड़ियों का प्रश्न है ?

श्री पी० के० चौधरी : ए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सी गाड़ियों के दुरुपयोग का प्रश्न है ? इस डिमान्ड में दो हैड्स के सिलसिले में मांग की गई है, एक तो जो गैरेज के अन्दर गाड़ियां हैं और दूसरे...

श्री उपाध्यक्ष : The quorum is not complete.

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष: Yes.

श्री नाथूराम मिर्धा :दूसरे वहां पूल के अन्दर जो गाड़िया हैं, उनके ड्राइवर हैं, जिनको रेशनेलाइज़ किया है, उनके पेमेन्ट के सिलसिले में है, कुछ ड्राइवर्स के टी. ए., डी. ए. का प्रश्न है। उनके सिलसिले में सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड रखी है। बाकी डिपार्टमेंट्स की गाड़ियों से न तो इस मांग का सम्बन्ध है और न आपका कटौती का प्रस्ताव उस सिलसिले में होना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : इसमें सब कुछ आ जाता है।

"The supply of petrol and maintenance and repairs of departmental vehicles is to yield corresponding revenue also but as vote is obtained for the gress amouut, hence the demand."

श्री पी. के. चौधरी : इसके लिये भी आप बोर्ड डिमान्ड कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो ही आइटम्स हैं, जो मैंने आपको बताये हैं।

श्री पी. के. चौधरी : उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री पी. के. चौधरी : मुझे पता नहीं है माननीय उपाध्यक्ष, कि मन्त्री महोदय क्यों इतने जोश में आते हैं। बराबर ५ साल से इस खर्चे में कमी करने के लिये बातचीत चल रही है कि यह खर्चा ज्यादा है, इसको कम किया जाय परन्तु अभी तक इसको चैक करना तो दूर पेट्रोल, मेन्टीनेन्स का खर्चा बराबर बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस समय ६ लाख का इसका खर्चा था उस समय बात उठाई थी कि इस खर्चे को कम किया जाय पर वह खर्चा ६ लाख से बढ़ कर इस वक्त २३ लाख तक पहुँच गया है। पर सरकार की तरफ से कोई इफेक्टिव स्टैप नहीं लिया जाता है। जब सरकार से कहते हैं कि इस पर खर्चा क्यों बढ़ रहा है तो सरकार कहती है कि विकास के कामों में ज्यादा खर्चा होता है। विकास के कामों में खर्चा होता है, ४०

(श्री पी० के० चोधरी)

लाख रुपया की रबी कम्पेन की मांग है, पेट्रोल का सप्लीमेंट्री डिमान्ड में ४०, ५० हज़ार का आता है तो, इस तरह विकास का नाम दे कर खर्चा होता है और यह खर्चा किस तरह से होता है इसके बारे में मैंने सदन में बात रखी थी कि केकड़ी का बी. डी. ओ. छुट्टी में सरकारी गाड़ी ले कर अजमेर आता है और वहां पर एक्सीडेन्ट करता है और हम पूछते हैं तो कहते हैं कि छुट्टी से पहले ड्यूटी पर आया होगा, कोई निश्चित जवाब नहीं आता, इस तरह का वेग जवाब दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इसका दुरुपयोग होता है, उसका हम लोग कोई स्पाइंग नहीं करते हैं और न कोई स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ही हमारे पास है, कभी-कभी कोई घटना हम लोगों के ध्यान में आ जाती है, न मालूम इस तरह का कितना दुरुपयोग होता है। केकड़ी का बी. डी. ओ. सरकारी गाड़ी में छुट्टी ले कर अजमेर आता है और वहां घूमता है, सदन में जवाब दे दिया गया कि छुट्टी के पहले ड्यूटी पर आया होगा और फिर वहीं छुट्टी में रह गया होगा, ऐसे वेग जवाब दिये जाते हैं सरकार की तरफ से। एस्टीमेट्स कमेटी ने और पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी ने इस बात की टीका टिप्पणी की है कि पांच छ लाख रुपया इन्डिविज्युअल्स में इस तरह के मेन्टीनेन्स का इस विभाग का बकाया पड़ा हुआ है, जिनको कि प्राइवेट काम के लिये सरकारी गाडियां वगैरह दी गई हैं। केकड़ी का बी. डी. ओ. जिस तरह प्राइवेट काम से सरकारी गाड़ी में अजमेर आ जाता है इस तरह के औरों के काम हुए हैं और वे सरकारी गाड़ी ले गये हैं उन ऑफिसर्स से इस तरह का ६ लाख रुपया बकाया है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट के पैसे का इस तरह से राजस्थान में ही दुरुपयोग होता हो ऐसी बात नहीं है, यू. पी. में भी ऐसा होता है। वहां उनको तो एक बार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को सरकारी गाड़ियां देना बन्द करने का निर्णय लेने के लिये विचार करना पड़ा। They had to go back to their own decision.

आज पांच साल हुए, इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि यह खर्चा ज्यादा है, इसमें कमी की जानी चाहिये। उस समय जो रेशो था उससे कितना ज्यादा बढ़ गया है, ६ लाख से २३ लाख हो गया है। यू० पी० में किया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपने अपने पैसे से कार खरीदें, इस पर्पज के लिए उनको गवर्नमेंट लोन देती है, हमारे यहां भी लोन एड्वान्स करने का प्रोविज़न है, पर मैं कहता हूँ कि हमारे यहां यह कम्पल्सरी कर दिया जाय that every officer may purchase a Car.

मुझे ऐसा खयाल है....जो लोग आइ. ए. एस. बनते हैं, आइ. सी. एस, में तो even before independence, उनके लिये गवर्नमेंट कहती है कि They must have their own cors. उनको गवर्नमेंट कम्पल्सरी लोन देती थी। It was a prestige question that they must have a car. They must purchase a car as soon as they get appointment in the Cadre.

तो हमारे यहां भी ऐसा कानून कर देना चाहिये, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिये कि they must purchare a car. पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट फुल अमाउन्ट पे करे और वे लोग अपनी कार में जायं। अपनी कार से वे लोग ड्यूटी में जायेंगे तो उस कार

(श्री पी. के. चौधरी)

की हिफाजत भी करेंगे, कार को हिफाजत से यूज़ करेंगे। जीप में जयपुर से कोई अजमेर जाते हैं तो बांडी नदी का पुल आता है, जहां ६ महीने पानी रहता है, प्राइवेट आदमी की कार होती है तो, हमने यह नोट किया है कि रेनी सीज़न में वे लोग इस तरफ जाते ही नहीं हैं और बाकी जो लोग ले जाते हैं तो रेडियेटर को बन्द करके ले जाते हैं। पर गवर्नमेंट की कारें जाती हैं तो उनका रेडियेटर बैल्ट फैन चालू रख कर ले जाते हैं और इस तरह गवर्नमेंट कारों का मलीसियसली यूज़ किया जाता है, यह हमने वहां पर खड़े रह कर नोट किया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : रेडियेटर कैसे बन्द होता है ?

श्री पी. के. चौधरी : रेडियेटर बैल्ट को बन्द कर देते हैं ताकि इन्जिन में पानी नहीं घुसे। हमने वहां खड़े हो कर देखा है गवर्नमेंट कारें होती हैं उनको सीधे पानी में डाल देते हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियों का मलीसियसली यूज़ होता है। यह भी एक वजह है कि इनके मेन्टीनेन्स में चार्ज ज्यादा आता है। इसलिये आर. ए. एस. ऑफिसर्स के लिये यह कम्पल्सरी कर दें, They must purchase the Car. वे अपनी खुद की गाड़ी पर्चेज़ कर लें। पुलिस और स्कूलों को छोड़ कर बाकी सब जगह डिपार्टमेंटल कारें रखना बन्द कर दीजिये, इससे आपका काफी खर्चा बचेगा। The Government must advance money to them and later you can recover the money. इस लिये मैंने यह कट मोशन रखा है कि ५ साल पहले पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी ने इस दिशा में देखते हुए गवर्नमेंट को बताया था कि खर्चा ज्यादा है, इसमें कमी की जानी चाहिये पर तब से अब तक वह खर्चा निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह के मेन्टीनेन्स का ६ लाख रुपया इन्डिविज्युअल्स में बकाया पड़ा हुआ है। इस लिये मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी निर्णय ले ले कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अपने पैसे से कार खरीदें और उन गाड़ियों का फुल कॉस्ट गवर्नमेंट द्वारा लोन के रुप में एडवान्स किया जायगा मेरा सुझाव सिर्फ इतना ही है। इसके साथ-साथ इसका जो मिसयूज़ होता है, उसके लिये ज्यादा एग्ज़ाम्पल कोट करने की आवश्यकता नहीं। एक इन्स्टान्स तो मैंने यह दिया, दूसरे देखा जाय तो चम्बल में ऑफिसर्स पिकनिक पर जाते हैं तो डिपार्टमेंटल कार में जाते हैं और वहां एक्सीडेन्ट हुआ। तो इस तरह इसका सारा खर्चा पेट्रोल कन्ज़म्पशन का मेन्टीनेन्स का बढ़ जाता है। फर्जी लॉग बुक्स रहती हैं। जयपुर के कई ड्राइवरों ने बताया है कि ऑफीसर्स लोग जाते हैं तो उनके और ड्राइवरों के टी. ए. रूल्स में फर्क है। किसी टाइम बाहर जाते हैं और दूसरा ही टाइम जाने का लिखाते हैं और आते कभी हैं और लिखते कभी का हैं। लॉग बुक में सही नहीं बताते हैं फर्जी लॉग बुक रखी जाती हैं। प्राइवेट हिसाब रखते हैं डायरी में कि कहां कहां कब कब गये इस डायरी में और ऑफिसर के साथ लॉग बुक भरते हैं, उसमें हमेशा यह है कि दे डोन्ट टेली। आप किसी भी एक ड्राइवर को बुला कर, you call a driver at random just and you may ask him; पूछें कि तुम अपनी घर की प्राइवेट डायरी में जो हिसाब लिखते हो सो बताओ और जो डिपार्टमेंट में लॉग बुक में एन्ट्री है उनको भी देखें तो आपको मालूम होगा कि हमेशा, really whether

Page No.68

(श्री पी. के. चौधरी)

the cars were taken, कहीं उसका इस्तेमाल हुआ नहीं मिलेगा। इसकी कई मिसालें माननीय सदस्यों ने दी कि पार्टी में गये और कहते हैं कि मीटिंग में गये है। इसी तरह से चलता रहता है।

("शिकार में भी जाते हैं" की आवाज)

शिकार में भी जाते हैं, इस तरह मर्ज़ी आवे जहां पर जाते हैं। अगर खुद की घर की कारें हों तो मर्ज़ी आवें जहां वे जावें तो कोई एतराज़ की बात नहीं है। Why the public funds be spent for the pleasure trips of the officers or for the pleasure trips of their families. इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कमेटी की जो सिफारिश है उसको कार्यान्वित किया जावे और उनके कॉस्ट पर कारें खरीदी जावें। All the district officers should purchase cars and he should not be provided with a departmental car. अगर उनको ऑफिस के काम से कहीं जाना होगा तो कार पूल में पड़ी है, उसमें से ले जा सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : इसमें आपका एक और कटौती का प्रस्ताव है, क्या आप उसको मूव करना नहीं चाहते ?

श्री पी. के. चौधरी : इसको तो मैं खास मूव करना चाहता हूँ : "That the supplementary demand No. LXXVII Major Head-47-Miscellaneous Departments be reduced by Rs. 100/-(to discuss the mismanagement of the Government's grain Trading Scheme.)" उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह जो डिमान्ड है इसमें एक करोड़ रुपयों को राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम अलग रखा है।

A demand of Rs. 100,00 lakhs to cover the loss in the Grain Trading Scheme for the previous year. Trading accounts have been closed in consultation with the Accountant General and a loss of 1 crore is to be accounted for as a subsidy by Govt. by charge to Revenue head and the Trading account under head '85-a' is to be closed finally. इससे मालूम हो रहा है कि जो इससे सारा नुकसान हुआ है उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राइट ऑफ करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है और इसको राइट ऑफ करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मगर मैं यह चाहता हूँ कि सदन इसके बारे में गौर करे कि आज हम स्टेट ट्रेडिंग को फूड ग्रेन पॉलीसी में लागू करने जा रहे हैं और इसके लिये हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा है। Its policy accepted by the A. I. C. C. और इसके जरिये हम हमारी तीसरी प्लान की सफलता चाहते हैं हैं जो स्टेट ट्रेडिंग और फूड ग्रेन पर निर्भर करती है। जब हम ऐसा करने जा रहे हैं तो हमारे पिछले जो तजुर्बे हुए हैं, उसको साफ करना है, will start with a fresh slate. जब हम नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो हमें अपने पुराने तजुर्बे को भी तो ध्यान में रखना होता है ताकि आगे हम ऐसी गलती न करें इसके लिये हमें पिछले अनुभवों को देखना होगा।

२. ३५ म० प०

(श्री मनोहरकोठारी, सभापति, पदासीन)

(श्री पी. के. चौधरी)

पिछली दफे इस ट्रेडिंग में ३।। करोड़ रुपया हमने लगाया यानी सरकार ने लगाया इसमें से कितना रुपया राइट ऑफ किया गया और मैं समझता हूं कि एक करोड़ या १।। करोड़ से ज्यादा रिकवर नहीं हुआ होगा। हम इतनी बड़ी रकम को राइट ऑफ करने जा रहे हैं मगर क्योंकि हमें दुबारा स्टेट ट्रेडिंग बिज़नेस करना है और मच बिगर स्केल पर, यानी पहले जो था उससे टेन टाइम्स बिगर या यों कहिये कि १० टाइम्स ही क्या १०० टाइम्स बिगर स्केल पर करने जा रहे हैं और उस पर हमारी फूड पॉलिसी और प्लॉनिंग पॉलिसी डिपेन्ड करती है। इसलिये जो हमारा इस सम्बन्ध में पिछला अनुभव हुआ है उस पर ध्यान देना चाहिये। उसको हमको राइट ऑफ करने के साथ ही यह होगा कि जो गिल्टी लोग होंगे वे छूट जावेंगे। इसलिये जो गिल्टी पर्सन्स हैं उनको इसके साथ क्यों छोड़ा जा रहा है। मैं इस बात को जानता हूँ और मानता हूँ कि पैसे अब उनके पास नहीं रहे जिससे कि आप रिकवर कर सकते हैं। मगर मैं इतना चाहता हूँ that the people who were responsible for this heavy loss of the State, they must not be allowed to let go इसके लिये कम एक्शन लिया जावे। मैंने अपना कट मोशन इसीलिये प्रस्तुत किया है कि जो लोग इसके लिये रेस्पोन्सिबल थे, मुझे आज पता है कि बहुत से लोगों ने जो सिविल सप्लाइज़ से रिटायर हुए तो उन्होंने बड़े-बड़े बंगले बना लिये, पैलेस टाइप के। आप उनके सब के, सबों को एक दफा देखें और हिसाब लगावें कि उनकी तनख्वाह से क्या वे इतने अर्से में इतने बड़े बंगले और मकान बना सकते थे। जिस समय वे नौकरी में आये उससे पहले उनका what was their economic status. उनका बैंक बैलेन्स क्या था और अब उनका बैंक बैलेन्स क्या है? उनको क्या तनख्वाह मिलती थी? जो मकान और बंगले आदि उन्होंने बनाये क्या ५ या १० साल में जो तनख्वाह उनको मिलती थी उससे बनवा सकते थे? आप देखिये कि उनकी मेक्सिमम तनख्वाह कितनी हो सकती है और आज जो उन्होंने मकान आदि बनाये हैं उसकी क्या कॉस्ट है? आप देखेंगे कि सारी जिन्दगी भी इतनी तनख्वाह में काम करते हो जाए, मगर फिर भी बंगले नहीं बना सकते। दो-तीन लाख का मकान बना कर वे लोग आज बैठे हैं। एमाउन्ट तो आप भले ही राइट ऑफ करें लेकिन जो लोग इसके लिये जिम्मेवार थे उनके इकोनोमिक स्टेटस की इन्क्वायरी जरूर होनी चाहिये कि पहले उनका बैंक में कितना डिपोज़िट था और आज उनका बैंक बैलेन्स क्या है और पहले उनके पास कितनी इन्मूवेबल प्रोपर्टी थी और आज उनकी इम्मूवेबल प्रोपर्टी कितनी है। उसका हिसाब तो लगावें। आप इसके जवाब में कहेंगे कि उसका स्टेटमेंट हमारे पास आता है कि उनके पास कितना जेवरात आदि हैं। मगर मैं यह कहूँगा कि सारा हिसाब गलत है। आपको जो हिसाब स्टेटमेंट में मिलता है वह गलत मिलता है। आप मेरे साथ चलिये मैं आपको दो-चार मिसालें बताऊंगा जिनके मकान बने हैं उनकी तनख्वाह भी बताऊंगा and I will let you know what is the cost of the house. आप देखेंगे कि जो ईयरली स्टेटमेंट आपके पास आते हैं वे गलत हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग बनी हैं दो लाख या १।। लाख की उसको देख कर आप

Page No.70

(श्री पी. के. चौधरी)

कह सकते हैं कि इतनी तनख्वाह में ऐसा मकान बन सकता है या नहीं। इस अमॉउन्ट को आप जरूर राइट ऑफ करिये लेकिन इसके साथ-साथ उनकी इन्क्वायरी भी जरूर करावें। जो लोग इसके लिये जिम्मेवार हैं, इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। हमने एक मिसाल सदन में पेश की। मूलचन्द बारां में सप्लाई में क्लर्क थे। उन्होंने ० ७ लाख की गड़बड़ की। हिसाब नहीं दिया। उसको सस्पेन्ड कर दिया गया, he was suspended. बाद में पता नहीं क्या हुआ ? मगर कुछ समय निकला उसके बाद फिर उसको नौकरी में ले लिया और जब दुबारा प्रश्न पूछा गया और लाया गया तो फिर उसको सस्पेन्ड कर दिया गया। यह हाइड एन्ड सीक की पॉलिसी चल रही है। प्रश्न सदन में लाते हैं तो उसको सस्पेन्ड कर देते हैं और बाद में उसको फिर बहाल कर देते हैं। इस तरह से छोटे-छोटे कर्मचारियों ने हज़ारों और लाखों रुपयों की गड़बड़ की है। आज वे लोग मनमानी करते हैं। इसका कुछ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में इस ज़िक्र है। जब धान खरीदा जाता है तो बिना पूछे ही खरीद लिया जाता है और जब उनसे पूछा जाता है कि धान क्यों खरीदा गया तो उत्तर मिलता है कि यह सोचा था कि स्केअरसिटी होगी। मगर जब उस धान को सेल करने के लिये गये तो प्राइसेज़ डाउन हो गई। बाद में टेन्डर दिया गया जब का ७) के हिसाब से, मगर टेन्डर वाले ने लिये नहीं। उसके बाद भाव हो गया ५) रुपये का। इस तरह से मिस्मैनेजमेंट हुआ है। एक चीज़ को मंहगे भाव से खरीदते हैं और बाद में ५ या ६ रुपये में बेचते हैं। यह कोई १० : ५ सेर की बात तो है नहीं। यह तो हज़ारों मन का सवाल है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग पॉलिसी को एडोप्ट जब हम करने जा रहे हैं तो इस तरह से उसका जो पुराना इतिहास है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ताकि उस पुराने इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। जब हमें स्टेट ट्रेडिंग को लागू करना है तो हमें कॉमन इन्टेलिजेन्ट और बिजनेस टेक्टिक्स से काम करना चाहिये। यह नहीं कि हम पर्चेज़ करेंगे मार्केट में जब हाइएस्ट प्राइसेज़ हों और सेल करें जब कि लोयेस्ट प्राइसेज़ हों। मैं आपको कहता हूं कि हमको ये पी. एस. सीज़ के जरिये से इन्फोर्मेशन मिली है और उससे साफ ज़ाहिर होता है कि प्राइसेज़ गिरी नहीं, There was manupulation. ऑफिसर्स मिले हुए थे। जैसे से आपको बताऊं कि व्यापारी कोई जयपुर में रहता है, जब आपको बेचने की आवश्यकता हुई आपने बीकानेर को टेलीफोन से सूचना दी या कहला दिया, जब वहां से तार आने से पहले ही आपने जयपुर वाले व्यापारी को बेच दिया और कह दिया कि भाव गिर रहे थे इसलिए हमने बेच दिया। बीकानेर के व्यापारी को इत्तला नहीं होती है और जयपुर के व्यापारी को हो जाती है। इस तरह से लाखों मन का सौदा तय होता है और हुआ है। तो इस तरह से इस में मिसमैनेजमेंट हुआ है। आज आप एक करोड़ रुपया राइट ऑफ कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यह एक करोड़ रु० उन ऑफिसर्स को बख्शीस हुआ है, जो आलीशान मकान बना कर बैठे हैं। रुपया छूट देने के सिवाय कुछ नहीं। सरकार उस समय के रूल्स एन्ड रेग्युलेशन्स ही इस प्रकार के स्लैक रखे गये कि इस प्रकार की बेईमानी

(श्री पी. के. चौधरी)

करने वाले कोई अधिकारी पकड़ में नहीं आवें। सेक्रेटरी साहब से टेलीफोन कर लिया, जब उनको पूछते हैं तो कहते हैं कि पूछा होगा, मैं भूल गया होऊंगा। कागजों में कुछ लिखा नहीं, जबकि जबानी, लाखों और हजारों रुपयों का इस तरह से ट्रांजेक्शन हो गया। यह एक बड़ी सीरियस चीज़ है और इसीलिए कहता हूँ कि आप स्टेट ट्रेडिंग करने जा रहे हो, अगर यही हाल रहा तो यह फेल हो जायगा, it will be a set back आपका सारा प्लान फेल हो जायगा। इसलिए इससे सारे के सारे जो सम्बन्धित ऑफिसर्स हैं उनकी प्रोपर्टी की इन्क्वायरी हो कि सिविल सप्लाईज़ में आने से पहले उसकी कितनी प्रोपर्टी थी, मूवेबल एन्ड इम्मूवेबल, खुद ने कितनी बनायी, कहां-कहां उसका मकान है, वाइफ के नाम से कितना है, बहिन के नाम से कितना है, होल फेमिली की इन्क्वायरी हो। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : माननीय चैयरमेन महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मांग के सिलसिले में कटौती के दो प्रस्ताव रखे हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया कि हालांकि पहला उनका जो कटौती प्रस्ताव है वह यह जो मांग सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उसमें मोटर के सिलसिले में दो आइटम हैं, एक तो गेराज़ के ड्राइवर्स की रेशनेलाइज़ेशन ऑफ पे स्केल्स के कारण तनख्वाह बढ़ाना जिससे उनको ज्यादा देना पड़ेगा और दूसरा पूल के ड्राइवर्स की तनख्वाह का रेशनेलाइज़ेशन हुआ उसमें ज्यादा देना पड़े। इसके सम्बन्ध में उन्होंने यह भी कहा कि मोटरों का दुरुपयोग होता है, डिपार्टमेंट्स की जितनी गाड़ियां हैं उनका ठीक तरह से उपयोग नहीं होता है, इस कारण खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। ठीक आंकड़े तो मुझे नहीं मालूम है। ६ करोड़ के तीन गुना करीब यानी २२-२३ करोड़ के हो गया है, मैं उन माननीय सदस्य को और अन्य माननीय सदस्यों को उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के जिसके तीन साल पूरे होने जा रहे हैं, कई विभाग जो डवेलप्मेंट का, विकास का काम करते हैं उनमें गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, ड्राइवर्स की भी संख्या बढ़ी है और गाड़ियों और ड्राइवर्स की संख्या बढ़ने से खर्चा भी उस मद में लगातार बढ़ा है। डिपार्टमेंट्स की गाड़ियां, उनके पूल हैं, ज्यादा काम में आती हैं, दौरे ज्यादा करने पड़ते हैं और उन पर इस कारण से पेट्रोल और आइल का खर्चा बढ़ा है। अब रहा सवाल उपयोग और दुरुपयोग का? ये मामले जब आम तौर पर विभाग के या पी. ए. सी. के सामने एग्ज़ामिन होते हैं तो मोटर विभाग से और हर विभाग से आम तौर पर कुछ न कुछ सवालात किये जाते हैं। जो सुझाव पी. ए. सी. ने दिये हैं उनके अनुसार जो गाड़ी जहा भी जाती है, कौन किस वक्त गाड़ी पूल में से लेता है, लॉग बुक सिस्टम को हर गाड़ी के लिए जरूरी कर देने का हुक्म सरकार ने दे दिया जिससे उस बुक में हर प्रकार की एन्ट्री होती है। हर एक गाड़ी के पीछे लॉग बुक लगी हुई है। उनको जो अधिकारी काम में लेते हैं वे उस बुक में नोट करते है और ए. जी आफिस की जो ऑडिट पार्टी आती है समय समय पर जांच

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पड़ताल के सिलसिले में तो वह लॉग बुक का चेकिंग करते है। इसके विपरीत भी यदि दुरुपयोग का सवाल होता है तो जो केसेज़ सरकार के नोटिस में आते हैं उनको पूरी तरह से डील किया जाता है और एक्शन लिया जाता है लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी मैं कह देना चाहता हूं कि चूंकि खर्चा ज्यादा बढ़ गया है इसलिए चिन्ता हो जानी चाहिये, वह तो ठीक नहीं है। जहां जहां विकास के कार्य हो रहे हैं और हुए हैं वहां वहां गाड़ियों की आवश्यकता रही है और रहती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ही देकर बताऊंगा कि बी. डी. ओ. है, जब उसको ७०—८० गांव देख भाल के लिए देते हैं वह बिना गाड़ियों के तो देखभाल नहीं कर सकता, वह वहां पहुंच भी नहीं सकता। इसलिए उनको गाड़िया दी जाती हैं ताकि सब जगह वह पहुंच सकें। सरकार की ओर से यह बराबर जोर दिया जाता रहा है कि सरकारी गाड़ी का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नही होना चाहिये। एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि जितना तेजी से गांवों में जीपों से जाया जाय तो वह भी संभव नहीं है क्योंकि आखिर गांव वालों से मिलना, उनको समझाइश करना आदि काम उसके होते है और यदि उनका ठीक तरह से उपयोग न हो तो फिर दौरा किस काम का। मैं आपको मेरे ही डिपार्टमेंट की बात बताऊं कि एनीमल हस्बेन्डरी के लिए ६ गाड़ियां खरीदीं हैं। वे गांवों में जाती हैं, मवेशी को टीका लगाने के लिए पहले आवश्यकता नहीं थी। तो ६ गाड़ियां इस काम के लिए रखी गई हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आपका टिड्डी डिपार्टमेंट क्या करता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (जारी) : वे स्टेट की गाड़ियां नहीं हैं। वहां तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की हैं, उन्हीं का कन्ट्रोल है। हमारे जोन्स हैं, उनमें हमारी गाड़ियां चलती हैं लेकिन स्पेशियली लो कस्ट के लिए कोई गाड़ी नहीं है। एग्रीकल्चर की गाड़ियां, जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है कि टिड्डी दल ने धावा बोल दिया है तो उनको कन्ट्रोल किया जाता है, ऐसे वक्त पर तो जो कुछ किया जाय वह थोड़ा है, गाड़ियां तो क्या जरूरत पड़ जाय तो आदमियों को और अफसरों को भी दौड़ाया जा सकता है। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि लोकस्ट के लिए अलग से कोई गाड़ियां नहीं है। इसी तरह से पी. डब्ल्यु.डी. में गाड़ियां हैं। एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स के पास हैं। कुछ असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स को भी गाड़ियां देते हैं जो डिफिकल्ट इलाकों में रहते हैं, जिनको पहाड़ों और मुश्किल से पहुंच सकने वाले इलाकों में दौरा करना पड़ता है। एक एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर के अन्डर में ३०, ४० लाख का काम होता है। असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पास १५-२० लाख का होता है। उनको एस्टीमेट्स करने पड़ते हैं, काम पर पैसे चुकाने पड़ते हैं। राजस्थान बना उस समय एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पास एक लाख का काम था आज उसके पास १५-२० लाख का काम है। जिनके पास ६ लाख का काम था उन एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर्स के पास आज तीस चालीस लाख का काम होता है। उनको दौरे भी करने पड़ते हैं। काम की और क्षेत्र की दृष्टि से असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स, एग्जीक्युटिव इन्जीनियर्स, सुपरिन्टेडिंग इन्जीनियर्स के पास गाड़ियां रखनी पड़ती है। विभाग के अध्यक्ष के पास खुद की गाड़ी हैं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लेकिन जब सरकारी काम से जाते हैं तो अपनी गाड़ी को काम में नहीं लाना चाहते और सरकारी गाड़ी को काम में लाते हैं, उसके लिए लॉग बुक रहती है, उसमें एन्ट्री होती है। मैं मानता हूं कि खर्चा गाड़ियों का और ड्राइवर्स का बड़ा है। यदि विकास के कार्यों को पूरा करना है तो ड्राइवर्स और गाड़ियों का खर्चा भी बढ़ाना ही पड़ेगा, तेल और पेट्रोल का भी खर्चा बढ़ेगा।

रहा सवाल दुरुपयोग का, सो मैं निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था की जा सकती थी, की गई है। पहले लॉग बुक का सिस्टम नहीं था। अकाउन्ट्स का रिकॉन्सिलियेशन होने और पी. ए. सी. का अकाउन्ट्स को जांच किये जाने पर यह सवाल आया तो लॉग बुक का सिस्टम जरूर कर दिया और यह भी हुक्म सरकार की ओर से जारी किया किया गया है कि पूरा विवरण नोट किया जाय, एक एक इंच का दौरा लॉग बुक में रखा जावे। यदि कोई अधिकारी नहीं रखता है तो वह पकड़ा जा सकता है। यदि चौधरीजी को कोई चीज़ मालूम हो तो बता सकते हैं सरकार के सामने और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी, सज़ा दी जावेगी।

श्री पी. के. चौधरी : एट रैंडम जितने भी गवर्नमेंट के ड्राइवर्स हैं उन ड्राइवरों को बुला लीजिये और उनकी प्राइवेट डायरी का मुलाहिज़ा फरमाइये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्राइवेट डायरीज़ का पता तो पी० के० चौधरी साहब को ही होगा हमें तो इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। अगर उनके ध्यान में है तो कोई डायरी मुझे बता दें, मैं जरूर एक्शन लूंगा। मेरे को जहां तक मालूम है ऐसी प्राइवेट डायरियां होनी तो नहीं चाहिये। अगर आप बतायेंगे तो जरूर सख्ती के साथ एक्शन लूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : आपके खुद के ड्राइवर को ही आप पूछ कर देख लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो इस बात का ध्यान रखता ही हूं, आप ही किसी को पकड़ कर ला दें तो मैं एक्शन लूंगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): एम. एल. एज़. को, यह और पुलिस की ड्यूटीज़ दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें क्या बात है, जनता के प्रतिनिधि हैं। हम तो अपनी तरफ से पकड़ते हैं और सजा भी देते हैं और आपको अगर हमसे ज्यादा जानकारी हो और आप उससे जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो हम उसे सहर्ष लेने के लिये तैयार हैं।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव जो माननीय सदस्य ने रखा वह एक करोड़ रुपये के संबंध में है। इसके लिये यह कहा गया इसको तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा और आगे के लिये सबक लेने की बात भी कही गई और उसके साथ साथ यह भी कहा गया कि यह एक करोड़ रुपया पुराने अधिकारियों को बख्शीश के रूप में दिया जा रहा है जिन्होंने बड़े बड़े महल खड़े कर लिये हैं और जो आराम से बैठे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : सही बात है।

Page No.74

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो हमेशा सही बात कहने का दावा करते हैं, मैं भी तो सही कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये माननीय सदस्य से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब राजस्थान नहीं बना था अलग अलग रियासतें थी उनमें अलग अलग तरीके चलते थे। यह एक तरह से इमर्जेन्सी विभाग था उस समय वार टाइम था या पोस्टवार टाइम में अलग अलग रियासतों में वार की कन्डीशन की वजह से अनाज का राशनिंग कपड़े का राशनिंग हुआ था, खान्ड का राशनिंग हुआ था और भी कई प्रकार की दिक्कतों से देश के अलग अलग भागों को गुज़रना पड़ा था। उस समय इस विभाग का निर्माण हुआ था। इस विभाग के लिये भी अलग अलग रियासतों में अलग अलग प्रोसेस था, अलग अलग कानून था। लेकिन जब राजस्थान में उनका एकीकरण हुआ उस विभाग का भी एकीकरण किया गया। कुछ तरीके जो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरह के थे उनको एक करने की कोशिश की गई। उसके कारण कई हालतें सामने आई। पब्लिक अकॉउन्टस कमेटी के सामने भी यह मसला आया। पुराने अकॉउन्ट्स का पुराना रेकॉर्ड बहुतों का उपलब्ध नहीं हो रहा था बड़ी मुश्किल से अकॉउन्टेन्ट जनरल के विभाग ने पुराने कागज़ात को टटोल कर उनको ठीक करने का प्रयत्न किया। मुझे ठीक तरह से तो आंकड़े याद नहीं किन्तु ए० जी० के सामने उस समय करीब डेढ़ करोड़ रुपये के आंकड़े थे उनका रिकॉन्सीलिशन नहीं हो रहा था। तीन चार साल के प्रयत्नों के बाद करीब १ करोड़ ४० लाख रुपये का रिकन्सीलिशन हो गया है। अब केवल आठ दस लाख रुपया ऐसा जिसका रिकन्सीलिशन नहीं हो सका है। इसमें जो भी नुकसान हुआ है उसके लिये यह मान लेना कि सारे अफसरों ने ही बदमाशी की है यह बात नहीं है। इसके बहुत से कारण थे जैसा कि माननीय सदस्य ने माना है, जिस भाव में अनाज खरीदा जब बेचा गया तो रेट्स में फर्क हो गया उसके अलावा कुछ अनाज सुल गया, खराब हो गया, इस तरह से भी नुकसान हुआ है। बाकी सब हिसाब को एडजस्ट कर दिया गया है केवल आठ दस लाख का हिसाब है जिसको एड्जस्ट करना बाकी है। इसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं हुई है। सिविल सप्लाइज़ के अधिकारियों ने गफलत की हो तो वह बात भी जहां जहां ध्यान में आयी है उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। अभी भी कुछ केसेज़ ऐसे हैं और जो सर्विस में मौजूद हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है केसेज अब भी चल रहे हैं। लेकिन जो लोग रिटायर हो चुके जिनके ऊपर सर्विस रूल्स लागू नहीं है उनके खिलाफ एक्शन लेने का सवाल पैदा नहीं होता। आज भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ सिविल सप्लाइज के केसेज़ चलते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई केस माननीय सदस्य के ध्यान में है तो वह हमें जानकारी दें तो सरकार उसको किसी प्रकार भी दरगुजर करने वाली नहीं, कानून के मुताबिक जो भी कार्यवाही हो सकेगी की जायगी।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि जिन अधिकारियों ने सिविल सप्लाइज़ में काम किया उनकी हालत कुछ की कुछ हो गई। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं ने स्वीकार किया सरकार का इस प्रकार का कानून है कि हर एक अधिकारी को जब वह सर्विस में दाखिल होता है

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनको अपनी मिल्कियत का ब्योरा देना पड़ता है। इसके अलावा सरकार भी जब कभी महसूस करती है इस बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। अगर इसके अलावा भी अगर माननीय सदस्य किसी विशेष अधिकारी के बारे कोई सूचना रखते हों अगर वह हमें देते हैं तो हम उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचायेंगे।

अब आगे के लिये सबक लेने की बात कही गई उसके लिये मेरा निवेदन हैं अब तो स्टेट ट्रेडिंग करने का इरादा रखती है। उसके अलावा जनलेखा समिति और विधान सभा आदि का निर्माण भी हो चुका है वैसी हालत में पहले अधिक सुचारु व्यवस्था की चीज हो रही है फिर भी इन बातों का पूरा ध्यान रखा जायगा, किसी प्रकार भी स्टेट ट्रेडिंग में नुकसान न हो इसके उपरान्त भी व्यापार तो व्यापार है, उसी तरीके से होगा ये तो आगे की बातें हैं आगे देखा जायगा। इस बारे में जो कुछ बातें कही गई उनका सूक्ष्म रूप से मैंने आपके सामने उत्तर रखा मैं आशा करता हूँ कि जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है वे वापस लेंगे और सदन इस मांग को पास करेगा।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my cut motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cut motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है, 'कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७७ मुख्य शीर्षक ४७—विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०७,८६,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७८ मुख्य शीर्षक ५० नागरिक निर्माण कार्य।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं, 'कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४४,६४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।"

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

Page No.76

(श्री सभापति)

महोदय को १,४४,६४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्य ६३

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६३ वन

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) ; सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक १०—वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,०४,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ,

श्री पी० के० चौधरी।

३ म० प०

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं इसमें कट मोशन मूव करता हूँ।

"That the supplementary demand N0- LXIII, Major Head 10. Forest. be reduced to Rs. 1/- (to discuss the additional expenditure on establishment and increase in the rate of D. A. and other works)."

सभापति महोदय, इसमें जो डिमाण्ड है That is a demand for Rs. 704, 000/- required in connection with defraying additional expenditure on establishment, increase in the rate of dearness allowance and other works and contingent charges mainly owing to increase in the plan expenditure of Rs. 4. 35 lakhs.

सभापति महोदय, राजस्थान का लगभग १० पर्सेन्ट एरिया फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर में है, लगभग १५ हज़ार, एकड़ ऑफ लैंड है। फोरेस्ट सरकार का इन्कम प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेन्ट होता है। पर यहां पिछले दो सालों का बजट देखते हैं तो पता लगता है कि उसकी इन्कम होती है वह सारी की सारी खर्च भी हो जाती है। कोई थोड़ा सा बचता है। ५७–५८ में ७० लाख की आमदनी बताई गई और ६१ लाख खर्च हो गया। ५८–५९ में ७१ लाख की आमदनी बताई गई और ६० लाख खर्चा हो गया तो आय और व्यय में यह जो निकट का सम्पर्क हम देखते हैं, यह बड़े ताज्जुब की बात है।

इसका कारण क्या है? इस विषय में हमको सोचना चाहिये। या तो इसमें आमदनी कम होती होंगी या खर्चा ज्यादा होता होगा, there must be some thing, one thing or the other. या तो खर्चा ज्यादा हम कर रहे हैं या खर्चा बराबर कर रहे हैं। जितना मेन्टीनेन्स करना चाहिये, करें; डवेलपमेन्ट के लिये भी करें पर उसका प्रोफिट जितना आना चाहिये वह नहीं आ रहा है। Some how or the other the income is leaking some where. आमदनी कहीं न कहीं लीक होती होगी और आप जानते हैं सभापति महोदय, कि फोरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कई बार इस सदन में कई माननीय सदस्यों

Page No.77

(श्री पी. के. चौधरी)

ने ज़िक्र किया है । आज से नहीं, कई बरसों से ज़िक्र चला आ रहा है; पर अब तक इस विभाग का कोई इम्प्रूवमेन्ट नज़र नहीं आता।

पिछली दफा हमने एक सवाल यहां पर उठाया था कोटरा और छारोल, राज उदयपुर के फोरेस्ट के नीलाम का । इस ओक्शन में एक, पर्टीक्युलर क्लॉज़ होता है, उसमें १४ नम्बर का रूल है, जिसमें साफ है कि कोई आदमी अगर बिड़ से ज्यादा ऑफर देता है बिड़ क्लॉज़ होने के बाद भी एक दिन बाद तो उस सेल को रीओपन कर देना चाहिये और ज्यादा पैसे से देना चाहिये । कोटरा छापर का एक बार १३ कूपों का बिड आया १ लाख का, दूसरे ने अर्ज़ी दी रूल १४ के अन्डर में । पर उसे स्वीकार नहीं किया गया । इस बात की जब मालूम पड़ी तो हिम्मतनगर, अहमदाबाद, गुजरात और राजस्थान के व्यापारियों ने १४ अक्टूबर को बिड होती है और १५।१६ को जाकर उन्होंने फिर से बिड दिया और कहा कि हम ज्यादा पैसा देते हैं और डिपोज़िट का कैश भी जमा कराते हैं । तो सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने वह बिड मन्जूर नहीं किया। उन्होंने, कहा जाता है यह कहा कि हम बार बार ओपन नहीं कर सकते ।

एक तरफ रेवेन्यू की बात करते हैं, आमदनी की बात करते हैं पर दूसरी तरफ ऐसी मिसालों से पता लगता है कि आमदनी कैसे घटती है । वहां के डी० एफ० ओ० ने इस बारे में यहां कन्ज़र्वेटर को एक लैटर लिखा । उसका पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूं । यह १६।१०।५८ का नम्बर १५०३६ कन्ट्राक्ट का लैटर है । इसमें लिखते हैं, वे कन्ज़र्वेटर साहब को :

"अपोजिट पार्टी के कुछ लोगों ने दूसरे दिन १५।१०।५८ को अधिक बोली का प्रार्थनापत्र दिया । खान मुहम्मद भूरा जो आदमी इमदाद हुसेन का है, (जानकारी के लिये कह देना चाहता हूँ कि यह वही पानरवा वाला इमदाद हुसैन है) उसकी पार्टी का आदमी भी था । इस बारे में आपसे परामर्श किया गया और आपने मुझे ट्रंक कॉल पर बात करने पर कहा उसके अनुसार उनकी बोली के प्रार्थनापत्रों पर कोई कार्यवाही न की जाकर यह फाइल की गई है" ।

यह बात जब होती है तो ऑक्शन सेल की बोली क्लोज़ होने के बाद भी कन्ट्राक्ट डीड में दस्तखत होने से पहले कोई भी आदमी आकर हायर ऑफर देता है तो रिओपन हो सकता है और इस तरह रीओपन होते हैं । पर इस केस में कन्ज़र्वेटर साहब कहते हैं कि फाइल कर दो । इस पर सारे लोगों ने चीफ कन्ज़र्वेटर को और मन्त्री महोदय को—सबको दरख्वास्तें दीं । इसका मैंने ज़िक्र भी इस सदन में किया था । इसके सम्बन्ध में मैंने शोर्ट नोटिस क्वेश्चन भी पूछा था । माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि विचार करेंगे और कहा कि ऐसी अर्जी आई हो तो फैसला देंगे । लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है आज तक उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है । यह पिछले बजट सैशन के वक्त भी उठाया गया था, जहां तक मेरा ख्याल है । अब साल भर होने आया पर कोई एक्शन नहीं लिया गया जो ऑक्शन कर दिया वह कर दिया । इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो रेश्यो

(श्री पी. के. चौधरी)

है कॉस्ट एक्सपेन्डीचर का वह काफी है और जो मुनाफा होना चाहिये वह इस तरह से होता नहीं। तो इसमें मैं मानता हूं कि मैने. जमेंट में खामी है।

हम देखते हैं कि कई जगह मैलाफाइडी भी हो सकती है। हम नहीं कहते कि सारे एरर ऑफ जजमेन्ट से होते हैं। यह मानने के लिये मैं तैयार नहीं। यह एक जगह दो जगह हो सकता है। पर जब हम परसिस्टेन्टली यह देखते हैं तो कैसे कह सकते हैं। एक आदमी को वे ही कूप पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस साल से लीज़ एक्सटेन्ड पर दिये जाते हैं। इसका एक सवाल नैनवा फोरेस्ट के लिये भी था। इसकी लीज १५ साल से एक ही आदमी को एक्सटेन्ड हो रही है। यह फोरेस्ट ३७००) में नीलाम किया गया। उस कन्ट्राक्टर ने इस फोरेस्ट के एक हिस्से को कानून के लिये खिलाफ दूसरे को १॥ लाख में सबलैट कर दिया बाकी में खुद कमाता है। कम से कम तीन लाख की उसको आमदनी होती है। पर उसको ठेका देते हैं ३॥ हज़ार में। इसे एक तरह से मुफ्त ही कह सकते है।

इसी तरह से पानरवा का केस इस सदन में कई बार चला। उस पर सदन में काफी बहस हुई। २१ साल से पानरवा के जंगल का ठेका एक आदमी को १८ हज़ार सालाना के हिसाब से दिया जाता रहा है। इसमें चीफ सेक्रेटरी का भी नोट है! इसमें इमदाद हुसेन का पार्टी है उसने एक चैक सरकार के पास जमा कर रक्खा है कि वह पानरवा का ठेका जो अब्वासअली को दिया गया है १८ हजार में और जिसके लिये दूसरे की कॉउन्टर ऑफर १॥ लाख की है और जिसका १।४ एडवान्स भी जमा कर रक्खा है। आज नई ऑफर उसकी आई है। इसके बाद ५७ में जब सदन में जिक्र हुआ तो ५७ के अक्टूबर में पानरवा के ठेकेदार का कब्ज़ा सरकार ने ले लिया था। उसके बाद में वही ठेकेदार जाता है डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में और स्टे ऑडर या इंजिक्शन ऑर्डर लाता है। इंजिक्शन के लिये हमें इमदाद हुसेन एण्ड पार्टी ने जानकारी दी है कि सरकारी वकील ने वहां पर अच्छी तरह से पैरवी नहीं की। फिर इमदाद हुसेन ने ऑफर दी २ लाख रुपये की। जहां कि पहले उसी का ऑफर १॥ लाख रुपये का था उसको उसने बढ़ाकर २ लाख का कर दिया और जो २ लाख रुपये के लिये ५० हज़ार रुपये का अर्नेस्ट मनी होता था वह भी उसने डिपोज़िट करा दिया है। पंजाब नेशनल बैंक का चैक नं० BND-798678 dated 6. 2. 1959; यानी उसने पहिले वाली ऑफर जो १॥ लाख की थी उसको बढ़ाकर २ लाख रुपये दे दी है। उसके बाद में ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने जो कटमोशन मूव किया है उसके अन्दर पानरवा के सम्बन्ध में कोई ज़िक्र नहीं है। केवल आप अपने कटमोशन तक ही सीमित रहें।

श्री पी० के० चौधरी : इस पर आप गौर फर्मायेंगे। Other works, and contingent charges were mainly owing to increase in the plan expenditure. सवाल यह है कि इससे ज्यादा........

श्री नाथूराम मिर्धा : प्लान एक्सपेन्डीचर में पानरवा और नानवा कहां आ गया?

श्री पी० के० चौधरी : यह इसलिए आता है कि आपका जो एक्सपेन्डीचर और रिसीट हैं...

श्री नाथूराम मिर्धा : इनके बारे में समय आने पर बता दूंगा और मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता दूंगा। पर इस कटौती के प्रस्ताव से सम्बन्ध यह नहीं रखता है। आगे बजट आ रहा है उस समय आप और भी कहेंगे और मैं भी जवाब दूंगा। उस समय तक इसको आप पोस्टपोन कर दें क्योंकि यह कटमोशन से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री पी० के० चौधरी : ठीक है। उस समय तो जो फॉरेस्ट की डिमाण्ड होगी उसको सबसे पीछे रखेंगे और गुलेटिन ले आयेंगे। इसलिए मैंने यह रखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर भी इससे सम्बन्ध नहीं रखता, इसलिए आप समाप्त कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : अभी कर देता हूं।

फॉरेस्ट का जो बजट है उसको देखते हैं तो हमारा जितना एक्सपेंडीचर हो रहा है उस प्रपोर्शन से इनकम नहीं हो रही है और वह इसलिए नहीं हो रही हैं कि हमारा लीज़ कॉन्ट्रेक्ट वगैरह का तरीका है वह गलत तरीका है। हाइएस्ट बिडर को नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर आप ओपिन सेल भी नहीं करते हैं और अगर ओपिन सेल भी करेंगे तो उसमें भी गड़बड़ी करेंगे तो हमारी जो इनकम और रिसीट है वह जिस प्रपोर्शन में होनी चाहिए उस प्रपोर्शन में नहीं है। हमारी जो फॉरेस्ट वैल्थ है और जो इनकम उससे होनी चाहिए वह नहीं मिलती है, तो फिर यह काम कैसे चलेगा? बस इतना ही मुझे इसके अन्दर निवेदन करना है।

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मन्त्री) : माननीय चैयरमैन महोदय, जंगलात की मांग के सिलसिले में कटौती प्रस्ताव फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसके सम्बन्ध में जैसा अभी मैंने निवेदन किया और आपने भी ओबज़र्व फरमाया कि वह सीधा इस मांग से सम्बन्ध नहीं रखता था। फिर भी जो कुछ उन्होंने कहा उसका उत्तर मैं दूंगा और उसके उत्तर में चन्द शब्द आपके जरिये माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए रखना चाहूंगा। जंगलात की यह मांग तो इस सिलसिले में थी कि हमारे राजस्थान के जंगलात, जैसा उन्होंने बताया कि हमारे जंगलात ११ फी सदी एरिया में सीमित हैं। मैंने आगे भी निवेदन किया था कि ५ पर्सेन्ट जंगल हैं जिनको कि हम ठीक प्रकार के जंगल कह सकते हैं बाकी जितना भी एरिया है उसमें बहुत अच्छी किस्म का जंगल नहीं है और उसमें भी पिछले पांच—सात सालों में जो यह पीरियड गुजरा है उस समय में बहुत से जंगलात के एरिया जागीरदारों के कब्जे में थे बहुत से राजाओं के कब्जे में थे और उनमें भी कई जगहों पर मर्सीलेसली दरख्तों को काटा गया और कटवाया गया। अब वह तरीके समाप्त हुए और वह एरिया करीब—करीब सारे हमारे पास में आये तो ६ पर्सेन्ट जंगल हो गए और वह बहुत ही डेन्यूटेड और खराब हालत में हैं उसका री-जेनरेशन होकर जब तक उसकी स्थिति ठीक न बन जाये हमारे राजस्थान की जो फ्युअल वूड यानी फायर वूड की मांग है और मैं यह बता चुका हूं कि राजस्थान के जंगल बहुत वैल्युएबल किस्म की लकड़ी नहीं रखते हैं। हां, जरूर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां कुछ कीमती और वैल्युएबल फॉरेस्ट हैं और वह डूंगर-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पुर, बांसवाड़ा आदि स्थानों पर हैं। इसके अलावा और भी कुछ दूसरी प्रकार की लकड़ियां हैं जो हल्की किस्म की कही जा सकती हैं। वह लकड़ी और भी जंगलों में हैं लेकिन वह बहुत ही थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान के जंगल फायर वूड के जंगल ही माने जाते हैं। अब फायर वूड की जो डिमांड है वह इतनी बड़ी तादाद में है कि जिसकी जानकारी के लिए मैं एक नोट सदन में थोड़े ही दिनों बाद भेजने वाला हूं कि हमारे यहां पर फायर वूड की डिमान्ड कितनी है। उस फायर वूड की डिमान्ड के लिए अगर इन्हीं जंगलों पर निर्भर करेंगे तो यह जंगल इतनी तादाद में कट जायेंगे कि आने वाले पन्द्रह, बीस वर्षों में हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना तक मुश्किल हो जायेगा। तो जंगलों के बारे में जो हमारी योजना है वह यह है कि हम जंगलों पर कम प्रेशर डालना चाहते हैं और ज्यादा लकड़ी उगाना चाहते हैं जिससे जो हमारा मूलधन लकड़ियों का है वह ज्यों का त्यों बना रहे। उसके लिए अलग-अलग तरीके हैं। जब फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात पर बहस की कि हमारी आमदनी तो कम है और खर्चा हम ज़्यादा कर कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि वह जंगलों के बारे में कम जानकारी रखते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार से जंगलों को प्रिज़र्व किया जाना चाहिए, क्या स्कीम्स वन विभाग उन जंगलों को प्रिज़र्व करने के लिए रख रहा है, उनको इस बात की जानकारी कम है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। हमारे राजस्थान के जंगलों को अच्छा बनाने के लिए जो स्कीम्स पंचवर्षीय योजना में अपनाई हैं उसके अन्दर हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कॉमर्शियल प्लान्टेशन की स्कीम है और कुछ वर्किंग प्लान की भी स्कीम वगैरह बनाई हैं। इसके अलावा जो जो कॉमर्शियल प्लान्टेशन है और जो वर्किंग प्लान हमारे बनाने के हैं उनके अनुसार हमें काम करना है। इसके लिए आज तक बुनियादी तौर से जो बेसिक डेटा मालूम होना चाहिए वह भी हमें मालूम नहीं है। वर्किंग प्लान अब बनाये जा रहे हैं और दो-तीन तो वर्किंग प्लान अब समाप्त होने को हैं और अब चार-छ वर्किंग प्लान्स् अलग-अलग इलाकों के लिए बनाये हैं। इससे मालूम होगा कि हमारे पास में कितनी लकड़ी है और वह कितने सालों में कटनी चाहिए, उसके कितने कूप्स बनने चाहिए और उसको आगे किस प्रकार से कटवाया जाना चाहिये यह आगे के प्लान से मालूम होगा। कॉमर्शियल प्लान्टेशन भी चला है और ऑर्डीनेरी प्लान्टेशन भी चला है, दोनों ही तरह के चालू हैं। इन स्कीमों की वजह से हम ज्यादा काम कर पाये और ज्यादा खर्च कर पाये। इसलिए यह सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट की जरूरत आई। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह नीति है कि जो फारेस्ट की आमदनी हो वह यही कॉन्सटेन्ट रहे। हमने पिछले दो तीन साल से जो पॉलिसी रखी है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लगातार जो कटने वाला रकबा है उसको घटाया जा रहा है। पहले जो रकबा कटता था वह अब हम कम इलाके में करवाते हैं, इस चीज़ की चिन्ता किये बगैर कि आमदनी कम होती है या ज्यादा होती है। यह कोशिश हो रही है कि कम रकबे से इतने पर इतनी आमदनी मिलती रहे इसका ध्यान रखा है। जंगल की जो खराब हालत है उसको ध्यान में रखते

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हुए आगे आने वाले जमाने में उसका पूरा उपयोग मिले यह लांग रेंज स्कीम है। कई वर्षों में जंगल बनते हैं, इस वजह से आज इस बात का कंसीडरेशन नहीं रहता कि खर्चा कितना करते हैं ? ऐसा राजस्थान में ही नहीं होता बल्कि हिन्दुस्तान की दूसरी कई स्टेट्स में भी होता है। पंजाब के बारे में मैं आपको बतादूँ कि वहां पर आमदनी साल में ४०-५० लाख की है और खर्चा ६० लाख का करते हैं। इस प्रकार की और भी कई स्टेट्स हैं। आमदनी और खर्च के कंसीडरेशन से सरकार को सोचना नहीं है और न सोचना चाहिये। यह मैंने पहला पॉइन्ट जो उन्होंने रेज़ किया था उसके बारे में कहा।

फिर स्पेशल पॉइन्ट को लेकर भाडोल के बारे में उन्होंने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार लोग बड़े चालाक होते हैं, वे सदस्यों से मिलते रहते हैं और उनको गलत सूचना देते हैं जिनकी वजह से ख्वामख्वाह यहां पर ऐसी बातें करते है...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : गलत सूचना नहीं है। आपके डी० एफ० ओ० का लेटर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उस लेटर के बारे में बताता हूँ। उन्होंने भाडोल के बारे में पूछा था। मुझे याद पड़ता है मेमोरी से कि मैंने कहा था कि जिन लोगों की आप बात करते हैं उन लोगों ने एक रिंग बना लिया था (और वे लोग, कूप्स की बोली लगा रहे थे। उस वक्त जो वाजिब तौर से रकम आनी चाहिये थी वह नहीं आ सकी क्योंकि रिंग बना लेने से बहुत कम पर बोलियें खत्म करवाली। इस पर दूसरे लोगों ने दर्ख्वास्तें दी कि इन लोगों ने रिंग बनाकर खत्म करवा-लिया है और बहुत कम बोली आई है इस-लिये दुबारा नीलाम करना चाहिये। सी० सी० एफ० के पास मामला आया, तब दुबारा नीलाम करने की डेट फिक्स की गई। उस वक्त सारे लोग आये और जितने रिंग बनाने वाले थे और जिनके प्रति हमदर्दी चौधरी साहब को है, जब काफी ऊँची बोली लगी तो उन लोगों के हाथ में नहीं आई और दूसरे लोगों के हाथ में आ गई। तब रिंग बनाने वाले लोगों ने शिकायत की और मांग की कि दूसरी बार नीलाम और होना चाहिये और भी ज्यादा बोलियें आयेंगी। वे लोग इस तरह से दुबारा नीलाम की दुहाई देते हैं क्योंकि कूप्स उनके हाथ नहीं लगे। बार बार ऑक्शन करते रहें, यह कोई तरीका नहीं है। एक दफा हाथ नहीं लगा तो फिर कहते हैं कि नीलाम दुबारा करो...

श्री पी० के० चौधरी : दुबारा नीलाम करने से पैसा ज्यादा मिलता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब उनको सस्ता मिल जाता है तब तो मामला ठीक है और जब उनका रिंग नाकामयाब हुआ तो चौधरी साहब के जरिये शिकायत कराते हैं। मैंने इसकी जांच और पड़ताल कराली है। फिर भी यदि उनको संतोष नहीं है तो बार बार कहते रहें मुझे इस पर एतराज़ नहीं है लेकिन जो तथ्य है वह मैंने सामने रख दिया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): एक क्लेरि-फिकेशन और करलूं ऑन बिहाल्फ ऑफ दि ऑनरेबल मेम्बर। शायद इन ड्यू प्रोसेस रिंग होती रही होगी लेकिन चौधरी साहब के

(श्री श्रीमानसिंह)

जरिये उन्होंने कहलाया यह बात शायद ठीक नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे इनके पास पहुँचे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आपके रूल नं० १४ में प्रोविज़न रीओपन करने का है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोविज़न है लेकिन जब यह समझें कि बोनाफाइड काम में लाया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : जब किसी को ठेका नहीं देना होता है तो आप रिंग की बात करेंगे। पानरवा में आपको २ लाख रुपये देते हैं, आप उनको क्यों नहीं देते ? वहां कौनसा रिंग है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये मैं यह बात कहता हूँ कि जब उनके हाथ से निकल गया तो फिर शिकायत करते हैं। दुबारा नीलाम की बात जो करते हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह हमारे लिये ओब्लिगेटरी नहीं है कि बार बार नीलाम करें। जब हम कन्विन्स्ड हो गये, कूप का पूरा नक्शा हमारे सामने रहता है, उसमें से कितनी लकड़ी निकलेगी, कितने मन लकड़ी होगी यह भी हमारे सामने रहता है। इन सबको देख कर जब हम समझ लेते हैं कि बोली रीज़नेबल आ गई है, आगे नहीं बढ़ेगी, वाजिब प्राइस आ गई है तो फिर दुबारा गौर करने की जरूत नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी: दुबारा ऑक्शन से ज्यादा पैसा आता हो तो क्यों नहीं बार-बार नीलाम किया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ज्यादा पैसा आने की कौन गारन्टी लेता है ? ज्यादा पैसा जमा कराकर फिर करवाइये।

श्री पी० के० चौधरी : इमदादहुसेन गारन्टी देता है ज्यादा पैसे की, वह ओफर देता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर वह देना चाहता है तो कानून के अनुसार दे। नेनपुरा जंगल की बात कही। शिकायत मेरे सामने आई थी। वह साढ़े तीन हजार रुपयों का ठेका है। इमदादहुसेन या कौन आदमी है जो चौधरी साहब के खास तौर से नजदीक है। वह शिकायत कराने के पीछे था। वह फायल मैंने मंगाकर देखी। सब कुछ देख लिया गया है कि इतना माल निकलेगा। मैंने जांच करने का ऑर्डर दिया है। रिपोर्ट मेरे सामने आयेगी तभी जिक्र कर सकूंगा।

तीसरी बात पानरवा के बारे में खास करके कई बार कह चुके हैं। इसका प्रोपेगन्डा अखबारों में भी चलता है। इमदादहुसेन इसके पीछे भी है। वे चाहते हैं कि यह उनको ही मिले। यह जागीरदारों के जमाने से चल रहा है। टाइम टाइम पर वे रिन्यूवल कराते रहे ठाकुर साहब से। एक दफा राजस्थान सरकार ने भी रिन्युवल कर दिया, दूसरी बार भी कर दिया। जब यह बात मेरे नोटिस में आई तो मैंने पज़ेशन नहीं दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया और आज इसका पजेशन सरकार के पास है। अभी फाइनल फैसला करना है। वे कहते हैं कि मुझे मिलना चाहिये और इम-

Page No.83

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दाद हुसैन कहते हैं कि १८,००० रु. में क्यों दें मुझे दे दिया जाय, मैं २ लाख रुपये देता हूं। मैं यह मानता हूँ जंगल बहुत बड़ा है, ५०० स्क्वायर माइल है। १८,००० रु० में देना वाजिब नहीं है; इसमें से काफी लकड़ी निकल सकती है। वे जो कहते हैं कि २ लाख रुपये दे देंगे, इमदादहुसैनजी अगर उसके पीछे पड़े तो साल भर में ७, ८ लाख रुपयों की लकड़ी निकाल सकते है क्योंकि दूसरा आदमी अपने हिसाब से ही निकाल सकता है ज्यादा से ज्यादा साल में ५०,००० की निकाल ले। अब वे २ लाख रुपयों की ऑफर भेजते हैं, टाइम टाइम पर रोज भेजते हैं। ६ महीने की मियाद निकल गई। हम उनको नहीं देना चाहते हैं इसलिये कि डेढ़, दो लाख के बदले में ८ लाख रुपये की लकड़ी काट कर ले जावें तो उनको देने में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसके बारे में हमने यह तय किया है कि वर्किंग प्लान्स बनें, कूप बनें, टाइम टाइम पर नीलाम किया जाय, जैसे दूसरों को करते हैं।

दूसरा पोइन्ट यह उठाया कि सेशन कोर्ट में दावा किया है उस आदमी ने कि मेरा वाजिब लोज़ है, गवर्नमेंट पर दावा किया है अदालत में। हाई कोर्ट में हमने भी अपील कर दी है और हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है। सरकार उसकी पेरोकारी करेगी। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यह न तो इमदाद-अली को मिलने वाला है और न दूसरों को। जंगल सरकार के पास है। वर्किंग प्लान्स और कूप्स बनेंगे, इस तरह का यह पानरवा केस है। रोज रोज इसको लाने से अर्थ नहीं निकलता जो पोजीशन इसकी है वह मैंने समझा दी।

श्री पी.के. चौधरी : आप एक्शन नहीं लेते लेकिन आपने खुद ने नोट लिखा है कि दे दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : नोट बता दें या मैं जो कुछ कह रहा हूं वह बात है। नोट आपने कैसे देख लिया ? नोट तो मैंने लिखा है और सेक्रेटेरियेट में सिर्फ दो तीन आद-मियों ने देखा है, फिर आपने कैसे देख लिया ? मैंने नोट लिखा है लेकिन नोट बड़ा या मैं बड़ा ? नोट तो पड़ा रह जायगा फाइल में लेकिन यहां जो कहता हूं वह लिखा हुआ होगा।

श्री पी. के. चौधरी : यह आप अपनी ओपिनीयन बता रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर मैं जो कहता हूँ वही होगा। माननीय सभापति,महो-दय, जो पॉइन्ट उन्होंने उठाये, उनके बारे में काफी विस्तार से कह चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आयन्दा इस बात की चटनी नहीं बनायेंगे, इस बात को यहां समझ कर खत्म करेंगे और अपने कटौती के प्रस्ताव को विथड्रॉ करने की कृपा करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : I may be permitted to withdraw my cut motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

Page No.84

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my cut motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है, कि 'अनुपूरक अनुदान मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक १०—वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,०४,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ८२

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८२-ब प्रयोजन नयी योजना के सम्बन्ध में पूंजी की लागत इत्यादि ।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८२, मुख्य शीर्षक ८० का—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत एवं मुख्य शीर्षक-सिंचन नौचालन, तट बंधन तथा जल विकास निर्माण कार्य (वाणिज्य का) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६१,६७,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।'

(विराम)

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । प्रश्न यह है कि 'अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८२, मुख्य शीर्षक ८० का—बहुत प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, एवं मुख्य शीर्षक ६८—सिंचन नौचालन, तट बंधन तथा जल विकास निर्माण कार्य (वाणिज्य) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६१, ६७,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय' ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

शेष मांगों पर मुख मंध

मांग संख्या ८३—जन स्वास्थ्य सुधार

Now rest of the demands may be taken as moved.

(विराम)

प्रश्न यह हैं कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८३, मुख्य शीर्षक ७०—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,६५,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६१—भू-राजस्व

प्रश्न यह है कि 'अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक ७—भू राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १८,००,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।'

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६२–स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ६–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २५,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६४–वाहनों पर कर

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक १२,वाहनों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४०,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६६–सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,८१,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६७–न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६८–कारागृह इत्यादि

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक २८-कारागृह तथा बन्दी बस्तियां के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८२,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६६–पुलिस

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,६३,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री सभापति)

मांग संख्या ७१–शिक्षा

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७१, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,३२,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७२–चिकित्सा

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७२, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७३–कृषि

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७३, मुख्य शीर्षक ४०-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७५–पशुचिकित्सा

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ४१-पशुचिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,५६,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७६–उद्योग तथा रसद

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७६, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग तथा रसद के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७७–अर्द्ध वार्षिकी भत्ते एवं निवृत्ति वेतन इत्यादि।

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७९, मुख्य शीर्षक ५५-अर्द्ध वार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन, ५५ का साधारण राजस्वों से अर्थ सम्बन्धित निवृत्ति वेतनों का संराशिदान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,५६,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ८१–सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८१, मुख्य शीर्षक ६३ ख-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार-सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २७,५७,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ८४–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८४, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४०,०२,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

मांग संख्या ८५–निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८५, मुख्य शीर्षक ८३-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, १६,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ८६–सरकारी व्यापार, योजनाओं पर पूंजी की लागत ।

प्रश्न यह है कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक ८५ का–सरकारी व्यापार, योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,५५,००० रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५९

(पुरःस्थापन, विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन (सं० २) बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि बिल

(श्री सभापति)

को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सभापति......

श्री नाथूराम मिर्धा : पुरःस्थापित करने की आज्ञा मांगी है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं कम से कम यह जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स देने की प्रथा है, उसके खिलाफ या विरोध में तो नहीं हूँ, पर मैं एक दुविधा में था और अब तक हूँ कि वह यह है कि इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट को इस स्टेज पर लाने के लिये दो कन्क्लूज़न पर आयें । एक तो यह कि जो शायद ब्युरोक्रेसी है, उसने यह एक्स्पेन्डीचर इन्कर कर लिया या करेगी । जो अगर कर लिया है तो यह समय नहीं था सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के लिये जब कि चार रोज़ बाद ही सदन बजट पर डिस्कशन करने जा रहा है । जो सदन को राइट ग्रान्ट को क्रिटिसाइज़ करने का है वह इससे रोक लिया गया है, इससे ग्रान्ट्स को क्रिटिसाइज़ करने के सदन के राइट्स को डिफीट नहीं तो मिनिमाइज़ जरूर कर दिया गया है । अभी अगर सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स पर बोला जाय तो फिर बजट के लिये तैयारी की जाय । इस समय इसको क्रिटिसाइज़ करें तो अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी कहा जा सकता है कि बजट पर ये रीजन्स ला सकते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स दिये जा सकते हैं ।

एक दो महीने पहले यह ग्रान्ट्स रखी जाती तो ज्यादा अच्छी तरह से सदन सुझाव दे सकता था ।तो जो पर्पज़ था लेजिस्लेचर्स का इस मन्थ में इस सप्लीमेन्ट्र ग्रान्ट को इन्ट्रोड्यूस करने से उस पर्पज़ को मिनिमाइज़ किया गया है ।

दूसरा यह है कि जो एक्स्पेन्डीचर इन्कर करने जा रही है गवर्नमेंट ३१ मार्च तक तो १५, २० लाख की मन्जूरी सरकार ने ली, उसका नतीजा क्या होगा ? एक महीने के अन्दर गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करावे यह गवर्नमेंट को और स्पेन्डिंग स्प्रिअर में इन्डल्ज़ करेगा । एक महीने में पन्द्रह, बीस लाख गवर्नमेंट खर्चा करने जा रही है तो वह वैस्ट होगा । बजट को ६, ७ महीने हो गये थे तो उस समय ही ऑफिसर्स को यह सब वर्क आउट कर लेना चाहिये, गवर्नमेंट का एक्स्पेन्डीचर, फिनेन्स का क्लीयर पिक्चर गवर्नमेंट के सामने आ जाना चाहिये । पर उनके सामने क्लीयर पिक्चर था नहीं फिनेन्स मिनिस्टर ने इसलिये यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट रखी है ।

हम यह चाहते हैं कि वेस्टफुल एक्स्पेन्डीचर हो उसको चैक किया जाय, इकोनॉमी हो । फरवरी में वित्त मंत्री सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मंजूर करवाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक महीने में १० लाख रु० गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी ? बजट लेप्स नहीं हो जाय इस डर से गवर्नमेंट की नीति रहेगी कि ३१ मार्च तक खर्चा कर दे, लेप्स

(श्री सभापति)

होगा तो अगले बजट में मिलेगा, यह इसका क्लीयर इन्डीकेशन है। मशीनरी को आप बाध्य करते हैं कि किसी भी तरह से हो इस पैसे को खर्च कराएं। इससे जो भी पर्पज डवेलपमेंट का या नॉन-डवेलपमेंट का है उसको अचीव नहीं कर सकते।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बजट से सप्लीमेंटरी ग्रान्टस को अलग रखना चाहिये ताकि जो सुझाव हम आपको दे सकते हैं वे सुझाव दे सकें। माननीय सदस्यों को यह दुविधा न रहे कि अभी सुझाव देंगे तो एक तारीख से बजट आ रहा है उस समय क्या सुझाव देंगे। तो इस तरह से लेजिस्लेचर्स के राइट को मिनिमाइज़ किया है सप्लीमेंटरी ग्रान्टस को इस महीने में रख कर। मेरा निवेदन है कि एक टाइम नियत कर ले गवर्नमेंट इसके लिये इसको बजट से कोइन्साइड नहीं करेगी तो अच्छा रहेगा।

यही वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि सदन के राइट्स को रोकने के लिये यह जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट रखी है यह ठीक नहीं है, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी इससे यह रहेगा कि २४ तारीख को सप्लीमेंटरी ग्रान्टस दिये, उनको जल्दी से जल्दी खर्च करें नहीं तो कहीं लेप्स नहीं हो जाय। इसलिये वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स को बजट से कोइन्साइड न करें।

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इस अवसर पर जब कि बजट आ रहा है सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स पेश करने पर दो आपत्तियां की हैं। एक तो यह कि उनको समय कम मिलता है क्योंकि बजट आगे आ जाता है इस लिये उनकी विचार करने की, नियन्त्रण करने की शक्ति कम हो जाती है।

दूसरी यह कि रुपया लेप्स होने का डर है। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके जरिये बताना चाहता हूं कि आज भी इस पर साढे चार बजे मुलबन्द लगने वाला था तो यह नहीं कहा जा सकता था कि उनको समय नहीं दिया। तो यह समझना कि उनको समय कम मिला है, यह वाजिब बात नहीं है।

बजट नजदीक आ जाने से उनकी नियन्त्रण करने की शक्ति कहां कम हो जाती है ? यह समझ में नहीं आया कि उनकी यह चिन्ता कि रुपया लेप्स नहीं हो जाय, सही है। पर जो रुपया अब तक खर्च कर दिया वह तो हो ही गया। अब एक डेढ महीने में खर्च करना है वह अनुमान से रखा है। पिछले खर्च के आधार पर ये आंकड़े रखे गये हैं तो उनमें भी बहुत सा लेप्स होने का अन्देशा या डर नहीं है। रही यह बात कि सरकारी अधिकारी मन माने ढंग से खर्च करेंगे तो जब कि १० महीने तक ठीक ढंग से खर्च किया है तो दो महीनों में ठीक ढंग से खर्च नहीं करेंगे यह कैसे मान लें ? उनकी चिन्ता सही है कि माननीय सदस्यों का बजट पर नियन्त्रण रहे, फालतू खर्चा न हो, चिन्ता वाजिब है पर चिन्ता करना उपयुक्त नहीं। ऐसी सूरत मे मैं प्रार्थना करता हूं कि जो प्रस्ताव विचारार्थ पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन सं० २ बिल, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

विराम

सदन कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ३.४० म. प. दिनांक २५ फरवरी १९५६ म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, २४ फरवरी, ५६)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ६००

कोटपुतली तहसील में विकास की धनराशि का दुरुपयोग।

हिन्डौन-धौलेटा सड़क के लिये काश्तकारों की जमीन अवाप्त।

कालन्द्री उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के अध्यापक।

गर्ल्स हाई स्कूल, सिरोही में अध्यापिकाओं की कमी।

मंदिर श्री सीतारामजी, ग्राम रूपपुरा, उनियारा की सेवापूजा एवं भोग का प्रश्न।

बीकानेर तहसील में प्राथमिक पाठशालाएं।

औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की नीति।

पेन्शन के मामलों का शीघ्र निपटारा।

प्राइमरी स्कूलों का मिडिल स्कूलों में परिवर्तन।

पिण्डवाड़ा, आबू सड़क एवं शिवगंज़ तहसील को ट्राइबल क्षेत्र घोषित करना।

लालसोट व चाकसू तहसीलों की पाठशालाएं।

भाखरा ज़ॉन में खुद काश्त करने वाले भोमिये।

संस्कृत के अध्यापकों का वेतन।

जागीरदारों को खुद-काश्त की भूमि।

राजस्थान में चमड़े का आयात व निर्यात।

सोजत सब-डिविजन में जागीरदारों को मुआवजा।

पाली जिले के निर्माण कार्य।

तहसील लालसोट को सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलाना।

सीकर हाई स्कूल में टाइप की व्यवस्था।

धौलपुर में गल्ले का वितरण।

भरतपुर में रविदासपुर नामक बस्ती।

गिलागलिया एवं बरहाना पट्टियों के निवासियों के प्रार्थना-पत्र।

फागी व दूदू में हाई स्कूल।

ग्राम देवली, तहसील खारची में गोचर भूमि।

स्तम्भ

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय की वृद्धि ६५५

श्री निरंजननाथ आचार्य, सभापति, प्रवर समिति, के प्रस्ताव पर राजस्थान टिनेन्सी (छटा संशोधन) विधेयक, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय

को २५ अप्रैल, १६५६ तक बढ़ा दिया गया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १६५८–५६ (द्वितीय खण्ड) की प्रस्तुति ६५५

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १६५८–५६ (द्वितीय खण्ड) को प्रस्तुत किया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान ६५६

१. मांग संख्या ८०, मुख्य शीर्षक ५७—विविध : उपरोक्त मांग श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर एक कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् कटौती-प्रस्ताव वापस ले लिया गया तथा मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

२. मांग संख्या ६५ मुख्य शीर्षक १७—सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक व्यय) आदि : यह मांग श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर श्री पी. के. चौधरी ने अपना कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् वापिस ले लिया गया। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

३. मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग : उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई। श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने अपना कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

४. मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक ४०—का-ग्राम विकास : उपरोक्त मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।
५. मांग संख्या ७७, मुख्य शीर्षक ४७—विविध विभाग : यह मांग श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, ने प्रस्तावित की जिस पर दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। कृषि मंत्री के उत्तर के पश्चात् कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।
६. मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य : उपरोक्त मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

७. मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक १०—वन : उपरोक्त मांग श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री वन विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई। श्री पी. के. चौधरी ने अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि उन्होंने मंत्री, वन विभाग के

स्कम्भ

उत्तर के पश्चात् वापिस ले लिया तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

तदुपरान्त निम्नांकित मांगें भी सदन द्वारा स्वीकार की गई :

क्र.सं.	मां.सं.	स्कम्भ	मुख्य शीर्षक
१	८२	६८	सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) आदि
२	८३	७०	जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत
३	६१	७	भू-राजस्व
४	६२	६	स्टाम्प्स
५	६४	१२	वाहनों पर कर
६	६६	२५	सामान्य प्रशासन
७	६७	२७	न्याय प्रशासन
८	६८	२८	कारागृह तथा बन्दी बस्तियां
६	६६	२६	पुलिस
१०	७१	३७	शिक्षा
११	७२	३८	चिकित्सा
१२	७३	४०	कृषि
१३	७५	४१	पशु चिकित्सा
१४	७६	४३	उद्योग तथा रसद
१५	७६	५५	अर्द्ध वार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन आदि
१६	८१	६३	ख—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य
१७	८४	८१	राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा
१८	८५	८३	निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान
१६	८६	८५-क	सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५६

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५६ को सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किया। विधेयक विचारार्थ लिया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

बुधवार, दिनांक २५ फरवरी, ५६ का कार्य-विवरण

१. वापिस लिए गये विधेयक : राजस्थान होल्डिंग्स (कंसोलिडेशन

Page No.94

स्तम्भ

एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रगमेन्टेशन) (द्वितीय एवं तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५८

२. राजस्थान होल्डिंग्स कंसोलिडेशन एन्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रगमेन्टेशन संशोधन विधेयक, १६५६ का पुरःस्थापन)

स्तम्भ

३. विचारार्थ लिए गये विधेयक:

(१) राजस्थान लैंड एक्वीजिशन (संशोधन) विधेयक, १६५६

(२) नाथ द्वारा मंदिर विधेयक, १६५६

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६२ का उत्तर देखिये)

Government aid for 32 works as per details given below involving a sum of Rs. 37,830/- only was sanctioned for Kotputli Tehsil during the financial year 1957-58.

	Details of Work.	No. of Works.	Amount sanctioned
1.	School building.	13	Rs. 17,130/-
2.	Repair to Drinking Water Wells.	12	Rs. 9,100/-
3.	Repairs to tanks and Johras.	4	Rs. 9,700/-
4.	Others-Khuras, Parks etc.	3	Rs. 1,900/-
	Total :—	32	Rs. 37,830/-

Fifteen cases of alleged mishandling of Government aid by the sponsoring agencies were cited by the complainant in his application to the Chief Minister, Rajasthan, Jaipur on the 2nd June, 1958. This above application was, there fore, sent to the Collector, Jaipur for enquiry and report into the matter in June, 1958.

Accordingly, Additional District Magistrate II, Jaipur held an enquiry on the spot when the complainant was also present. According to the report of the Additional District Magistrate no work was completed till the date of his inspection. The Sub-Divisonal Officer, Kotputli was, therefore, entrusted to see that the works were completed shortly after rains. The latest position as revealed by the Sub-Divisional Officer, Kotputli shows that 24 works with Government aid of Rs. 23,902/- has been completed. In six cases Government grant of Rs. 4,650/- has been refunded and in respect of two cases recovery is being made involving the Government grant of Rs. 9,150/-. Further, a sum of Rs. 128/- was also refunded for one work viz.-Johra Doodawas, as the work was completed with a lesser amount than it was anticipated.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७१ का उत्तर देखिए)

GOVERNMENT OF RAJASTHANT

FINANCE (INSPECTION) DEPARTMEN

No. F. 3 (V/70) PLO/57/335. Dated Jaipur, the 21st January, 1958.

All Heads of Departments.

Sub :—Disposal of pension cases.

A recent review of the pending pension cases has revealed :—

(1) that there are still 32 cases of the pre-merger period which have not been finally settled.

(2) that there are about 300 cases of the post-merger period from the year 1949-50 to 1954-55which are still outstanding.

(3) that over 1,500 cases for the year 1955-56 and since (including about 300 cases of advance retirements) are also outstanding.

(4) that in over 400 cases where final pension reports have been issued by the Accountant General, sanctions have not so far been accorded by the sanctioning authorities, and

(5) that about 1,000 pension cases out of the above outstanding are yet in the process of making.

The large outstandings and the presence of even pre-merger cases in the outstanding lists go to show that the position is still far from satisfactory, and inspite of repeated instructions, the progress in this direction is wholly inadequate. It is clear that the attention necessary for the discharge of this important item of work has not been paid allround.

It is needless to emphasise the plight of poor pensioners who, without any means of livelihood on retirement, have to knock about from door to door for settlement of their pension cases. This state of affairs has to stop at all costs and all-out concerted effort on the part of everybody is essential for positive results. No body can be allowed to deal with the pension cases in an indifferent and routine fashion. Government will take serious notice of continued neglect in the handling of this matter, and officers in the Department or office responsible for lack of progress will have to be taken to task.

परिशिष्ट

In order to have a systematic control over the timely disposal of all work relating to pension cases, the following instructions and procedure should be followed with immediate effect :—

(1) It has been decided to deal with all pension cases on a "priority" basis. For this purpose, a special label "PENSION PRIORITY" in grey colour has been introduced and should be used allround with instruction that action on such cases must be taken on a "Priority" basis and that no delay in the disposal of such cases will be tolerated.

(2) The arrangements in all the departments for disposal of pension cases should be re-modelled as follows :—

(a) Among the existing staff, the work of Establishment Section should be re-distributed in each department/office to provide for a separate cell to deal with pension cases. It should be placed in the charge of an experienced hand equipped with knowledge of rules, regulations and pension procedure. The working of this branch should be divided into 3 distinct groups :—

(i) clearance of old pension cases up-to the year 1956-57;

(ii) dealing with current and advance retirements (persons due to retire within one year); and

(iii) maintenance of statistics and submission of regular returns.

All this work should be one charge, but proper and distinct responsibility should be fixed. All cases falling in category (i) should be cleared within a period of three months. Till the arrear is cleared off, the staff so assigned should not be disturbed, nor loaded with other work. Such members of the staff as do really good work in clearance of old pension cases, should be given commendation in the form of appreciation entries in their service records and those not taking proper interest, should be given warnings, which should be recorded in their character rolls. The working of the pension cell in each department or office must frequently be reviewed by the Secretary in the department or the head of the office. Inspection notes may or may not be written, but it should be the responsibility of the Secretary or the head of the office to see that the work progresses rapidly. Reports showing progress of disposal of these cases should be sent to the Accounts Officer (Inspections), Finance Department, every quarter as prescribed in F. D. Circular No. F. 3 (V/71) PLO/57, dated 9-11-57.

(b) The staff selected for the pension cell should be really efficient and trained. An accounts clerk who has passed the prescribed examintion, should, wherever available, be detailed for this work, Where a department finds their staff deficient in this respect, arrangements should be made for making suitable replacement or for giving them proper training in pension work in consultation with the Principal, Accounts Training School.

(c) To improve the overall position in this respect even for the future, special shart-term lectures showing the correct method of preparation and pursuance of pension cases (with practical illustrations and with reference to rules and orders) will be arranged by the Principal, Accounts Training School and departmental officers can avail themselves of this facility of getting their staff the benefit of this short term course.

(d) The staff at item (a) above should be kept in close touch, and should be interchangeable, with the Accounts staff which visits the office of the Accountant General every month for purpose of reconciliation. All problems with the A. G.'s Office should be resolved every month during these visits instead of exchanging an unending correspondence. Whenever there are genuine difficulties, this staff should also contact the Accounts Officer (Inspections) in the Finance Department and take his assistance and guidance in resolving the problems. The Accounts Officer (Inspections) has been authorised on behalf of the Government (i. e. all department) to settle minor discrepancies on the spot under his own signatures.

(e) Whenever it is not possible for the Heads of Departments to attend to the minor details of the pension cases themselves they should nominate a senior officer under them who is dealing with establishment matters, to be in-charge of pension work. He should :—

(i) hold direct charge of pension (establishment) branch. He must regularly and constantly inspect and stir-up the work of this cell;

(ii) examine the progress and disposal of pension cases with a view to seeing that unnecessary references are avoided and information collected by personal contact;

(iii) in cases where records are not available or other information is wanting, a recourse should without delay be taken to the adoption of the alternative methods permissible under the rules, e. g., obtaining collateral evidence or indemnity bonds etc. Minor discrepancies should be ordered to be set right on the basis of certificates and small periods of service not affecting pension should be ignored;

(iv) personally contact the Accounts Officer (Inspections) for advice in cases of genuine difficulties beyond departmental control or request him to include his office in the programme of the inspection party for resolving diffculties,

(v) in all outside inspections, carry outstanding pension cases of the particular subordinate office or district to get on the spot completion, to save avoidable correspondence,

(vi) watch regular progress of these cases and take action against those who unduly delay supply of information and record or otherwise hamper progress;

(vii) submit monthly progress reports to the heads of departments.

(3) The Heads of Departments should keep a constant personal watch over the disposal of these cases and frequently review the working of the Pension Cell. They should :—

(i) get and review monthly progress reports on all outstanding cases and in cases where references can be cut out, resort to alternative methods;

(ii) encourage pensioners to meet them and explain their difficulties, solution of which should be sought at their level;

(iii) in all inspections, connected cases should be carried, for an on the spot settlement as far as possible;

(iv) cases in which difficulties are felt in settlement of audit objections or querries should be brought to Headquarters during their visits and discussed personally with the Deputy Accountant General (Pensions) with a view to cut short correspondence and arrive at a finality.

(4) A number of cases are stuck-up for want of completion of minor formalities and inaction at various stages causing extreme hardship to the retired personnel. These instructions should, therefore be enforced in practice with all earnestness, as no lexity in this direction can be tolerated by Government.

K. N. SUBRAMANIAN,
Chief Secretary to Government.

Copy to :—

1. All Secretaries to Government.
2. All Private Secretaries to Ministers & Deputy Ministers.
3. All Sections of the Secretariat.
4. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
5. All Accounts Officers (by name).
6. All Treasury Officers.

Copy also to :--

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Jaipur.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.

K. N. BHARGAVA,
Addl. Finance Secretary.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १८० का उत्तर देखिये)

तहसील सोजत

क. सं.	नाम जागीरदार	नाम जागीर
१.	श्री हरीसिंह	रेपडावास
२.	,, श्रीलाल	केलवाद
३.	,, सज्जनसिंह	बगडी
४.	,, अमरसिंह	खोखरा
५.	,, किशनदत्त केवलिया	धनेरी
६.	,, भोपालसिंह	बोयल
७.	,, पाबूसिंह	सारंगवास
८.	,, बहादुरसिंह	सान्डिया
९.	,, अजीतसिंह	मानिया
१०.	,, सुखदेवसिंह	,,
११.	,, हलदरसिंह	,,
१२.	,, गोरधनसिंह	,,
१३.	,, उदेयसिंह	,,
१४.	,, श्रीलालदवे	मसाना
१५.	,, मकमलाल	बगड़ी

तहसील खारची

१.	श्री सोहनसिंह	रामसिंहजी का गुड़ा
२.	श्री छेलसिंह	,,
३.	श्री रतनसिंह	,,
४.	श्री बृजराजसिंह	सत्ररोड
५.	श्री दुल्हेराज	धुनधला

१	२	३
६.	श्री दलपतराज	धुनधला
७.	श्री रामराज	”
८.	श्री बेरीसालसिंह	आंगदोश
९.	श्री शात्रपालसिंह	”
१०.	श्री मोहनसिंह	”

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT SANCTIONED AND EXPENDITURE INCURRED IN DISTRICT PALI DURING 1957-58 AND 1958-59.

S. No.	Name of work.	Total sanctioned cost.	Total Expenditure upto end of 1957-58.	Anticipated Expenditure during 1958-59.	Remarks.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Constg. Litigent Shed Pali & Cycle shed as per demand of Pali Collector.	9,500/-	...	9,500/-	Completed.
2.	Providing W. C. & Bath in Pali & two suits in Dak-Bungalow Sojat.	2,000/-	...	2,000/-	There is no bath room without W. C. at Pali Dak-Bungalow— Work at Sojat to be done.
3.	Provdg. W. C. & Bath in Dak-Bungalow Pali.	1,000/-	...	1,000/-	All bath rooms are filled with sanitary fittings.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Electric fittings in Collector's office at Pali.	5,000/-	...	5,000/-	Work completed. Final payment to be made after getting connection.
5.	Constg. Chowkidar's qr. at Dak-Bungalow Pali.	2,500/-	...	2,500/-	Completed.
6.	Raising of compound wall of Dak-Bungalow at Marwar Junction.	2,000/-	...	2,000/-	Barbed wire to be fixed only rest would be finished.
7.	Constg. of B. Class Police Line at Pali (Resedential Block).	8,50,000/-	18,200/-	6,00,000/-	Work in progress.
8.	Completion of Hall of High School Takhatgarh.	26,500/-	11,100/-	15,400/-	R. S. Joists required.
9.	Technical block of Govt. High School at Sojat.	80,000/-	60,600/-	19,400/-	All work completed except glasses which will be completed soon.
10.	Urinal & Latrine in Govt. High School at Takhatgarh.	5,000/-	...	5,000/-	Work finished, final bill to be paid.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	Renewal of defects in the newly constructed portion of the building meant for Govt. Multipurpose Higher Secondary School Sojat City.	4,700/-	...	4,800/-	Completed.
12.	Constg. of Hospital at Pali.	64,000/-	91,600/-	2,400/-	Completed.
13.	Constg. of Female Hospital building at Takhatgarh.	30,000/- 38,800/-	...	20,000/-	Work in progress.
14.	Constg. of Tehsil Seed Store at Sadri.	10,000/-	700/-	9,600/-	Work completed.
15.	Constg. of Bullock & Implement Shed at Sumerpur.	4,000/-	...	2,000/-	Site not yet given by Agriculture Department.
16.	Construction of Labours qr. at Sumerpur.	10,000/-	...	5,000/-	-do-
17.	Constg. of Farm Seed Store on Farm at Sumerpur.	10,000/-	...	5,000/-	-do-
18.	Constg. of Office Community Project residence Sumerpur.	8,000/-	...	4,000/-	-do- (by the Department Concerned).

1.	2.	3.	4.	5.	6.
19.	Constg. of office residence Community Project at Pali.	8,000/-	...	4,000/-	Site not decided.
20.	Constg. Bullock & Implement Shed at Pali.	4,000/-	...	2,000/-	-do-
21.	Constg. Labour quarter at Pali.	10,000/-	...	5,000/-	-do-
22.	Constg. Shed Store Pali.	10,000/-	...	2,000/-	-do-
23.	Constg. Tehsil Seed Store at Sojat.	10,000/-	200/-	10,000/-	Work completed. Only some defects to be removed.
24.	Constg. -do- Jaitaran.	10,000/-	6,200/-	3,800/-	-do-
25.	Constg. Seed Store Rani.	10,000/-	5,400/-	4,600/-	-do-
26.	-do- Marwar Junction.	10,000/-	...	10,000/-	-do-
27.	-do- Bali.	10,000/-	9,000/-	1,000/-	Completed.
28.	Constg. of Seed Store at Sandra.	10,000/-	4,100/-	5,900/-	-do-
29.	„ Office Community Project residence Pali.	7,333/-	...	5,000/-	-do-

1.		2.	3.	4.	5.	6.
30.	,,	Farm seed Store Pali.	13,333/-	...	10,000/-	Site not yet decided by Agr. Deptt.
31.	,,	Labour quarter Pali.	8,666/-	...	5,000/-	Site not yet decided.
32.	,,	Bullock & Implement Shed Pali.	7,000/-	...	5,000/-	-do-
33.	,,	Sheering Shed at Jadan.	7,000/-	...	7,000/-	Completed.
34.	,,	Community Shearing Shed Bali.	7,000/-	...	7,000/-	Work nearing completion.
35.	,,	Industrial Workshop at Sojat.	16,800/-	...	16,800/-	Work completed. Some defects remains to be rectified.
36.	,,	Industrial Housing Scheme at Pali.	13,83,000/-	5,01,800/-	1,00,000/-	All work completed except road work which will be consolidated now Sanitary fittings and lightening to be done. Remaining quarters not being constructed for want of revised administrative sanction.
37.	,,	Wall to demarcate the Bali Sowar line in Sub-Jail Lock-up in fort at Bali and opening of new entrance for the Sowars.	1,880/-	...	1,900/-	Completed.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
38.	„ Compound wall at Collector bungalow Pali.	9,300/-	...	9,300/-	Work in progress.
39.	Elec. Installation in the office of Asstt. Engr. Pali in Yellow House, Pali.	1,000/-	...	1,000/-	Work to be done.
40.	Provdg. Eectric in S. P.'s Bungalow at Pali.	1,000/-	...	1,000/-	Completed payment to be done on getting connection.
41.	Provdg. Electricity in Distt. and Session Judge Bungalow in Pali.	1,000/-	...	1,000/-	Work to be done.
42.	Provdg. W. C. in the office of Asstt. Egr., Pali.	1,000/-	...	1,000/-	Work to be done.
43.	Sanitary fitting in the bungalow occupied by Session Judge, Pali.	2,000/-	...	2,000/-	Completed.
44.	Sanitary fitting at Collector Bung. at Pali.	2,900/-	...	2,900/-	Work on hand.
45.	Constg of office building including information at Bali.	7,000/-	...	7,000/-	Work to be done.
46.	Extension office qr. 6 Nos. Bali.	20,000/-	...	15,000/-	-do- Type designs to be fixed.

1.	2.		3.	4.	5.	6.
47.	Constag. of Extension office qr. N 10 Nos. Desuris.		40,000/-	19,300/-	10,000/-	-do-
48.	Constg. of B. D. O. qr. Desuri.		7,000/-	6,800/-	...	-do-
49.	-do-	Approach Road Desuri.	20,000/-	11,700/-	3,000/-	Completed.
50.	-do-	office Bldg. including information Centre Garrage at Sojat.	25,000/-	18,000/-	5,000/-	-do-
51.	-do-	office Bldg. including accommodation for 2 garrage & 1 room for information Centre at Sojat.	25,000/-	...	20,000/-	Work to be done.
52.	Extension officer qr. 11 Nos. Sojat.		40,000/-	4,000/-	20,000/-	-do-
53.	Constg. B. D. O. Qr. Sojat.		7,000/-	...	7,000/-	-do-
54.	-do-	Class IV Servants qr. Sojat.	6,000/-	...	5,000/-	-do-
55.	-do-	office building including accommodation 2 garrage & 1 room for information centre at Kharchi.	25,000/-	16,000/-	6,000/-	-do-
56.	Extension officers Qr. 11 No. Kharchi.		40,000/-	2,000/-	20,000/-	-do-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
57.	Constg. of B. D. O. Qr. Kharchi.	7,000/-	...	4,500/-	--do--
58.	-do- Class IV Servants Qr. 3 Kharchi.	6,000/-	...	5,000/-	--do--
59.	-do- of office Bldg. including accommodation and Information Centre at Sumerpur.	7,000/-	...	7,000/-	--do--
60.	Constg. Extension officer Q. 6 Nos. Sumerpur.	20,000/-	...	15,000/-	-do-
61.	M. R. from Sumerpur to Ahore via Takhatgarh.	6,45,600/-	5,24,400/-	70,000/-	Material collected consolidater to be done.
62.	G. R. Bife-rcating Jodhpur Pali to Ahore.	3,02,590/-	2,86,200/-	22,600/-	Completed. Final payment to be done.
63.	Approach Road from Main Road to Sumerpur Town.	55,000/-	44,600/-	9,600/-	Land not handed over yet by Acquisition Officer.
64.	Improving Sukri River crossing in mile 122-123 on Ajmer Sirohi Road.	1,90,000/-	...	...	Estimate under Tech. sanction.
65.	Const. Causeway Jawai River mile 147/4 Ajmer Sirohi Road.	1,76,150/-	...	...	Estimate under sanction.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
66.	Constg. kot Dewair Road.	92,000/-	...	22,000/-	Tender under sanction.
67.	Widening Rd. from 10 to 12 mile in Black Topping Pali Sumerpur Road.	5,86,000/-	5,94,000/-	15,000/-	Completed.
68.	Metalled Rd. Gogunda to Sadri.	3,20,000/-	...	10,000/-	Tender & estimate under sanction.
69.	Widening & B. T. Pali Sumerpur Road.	60,000/-	72,500/-	10,000/-	Completed Final payment to be made.
70.	B. T. of Jodhpur Nimbaj Rd. via Bilara and Jaitaran.	3,36,000/-	2,87,400/-	1,20,000/-	Completed -do-
71.	M. R. Takhatgrh to Sanderao.	2,25,000/-	16,000/-	1,00,000/-	Work in progress.
72.	Mettalled Road Kenpura to Desuri via Rani.	8,40,000/-	...	30,000/-	Sanctioned Tenders received & work to be completed.
73.	Gravel Rd. Pali to Bhadrajan via Bhanwari.	2,60,000/-	...	40,000/-	Work in progress.
74.	G. R. Sadri to Pindwara via Amlia.	3,30,000/-	...	...	Survey & Estimate to be given.
75.	M. R. Sojat Rd. to Phulad Rly. Station.	3,96,000/-	300/-	...	Survey & estimate in hand.
76.	M. R. Jojawar to Kamlighat.	1,60,000/-	...	...	Survey to be done.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
77.	Constn. of Rd. from Somesar to Busi including C. D. Works.	85,000/-	...	40,000/-	Earth work for bank nearing completion materials to be collected.
78.	A. R. to Link Hemawas to Raipur village with Pali Beawar Road.	2,43,000/-	...	7,300/-	Work in hand for Hemawas & estimate for Raipur submitted.
79.	C. D. Works Bar Bilara Road.	16,000/-	3,300/-	16,000/-	Completed final payment to be made.
80.	C. D. Works on Jodhpur Pali Road.	25,000/-	...	...	Estimate to be submitted.
81.	C. D. Works on Pali Sirohi Road.	50,000/-	...	40,000/-	Four causeways on Pali Sumerpur road completed-Only defects to be removed by contractor.
82.	Construction of Judicial court At Pali (Racks etc.)	4,900/-	...	4,900/-	Completed.
83.	Constn. of Distt. & Session Court Pali.	74,000/-	73,600/-	2,600/-	Completed.
84.	Constg. New Second Class Lockup at Sojat.	60,000/-	39,800/-	16,000/-	Roof masonry work completed Iron work in hand.
85.	Constg. Police Lines at Pali.	1,85,000/-	5,500/-	1,50,000/-	Work in hand.

STATEMENT SHOWING THE BUDGET SANCTIONED AND UTILISED WORKS APPROVED COMPLETED AND UNDER PROGRESS UNDER DIFFERENT SCHEMES OF THE YEAR 1957-58 DISTRICT PALI.

S. No.	Name of Scheme	Amount Sanctioned.	Amount utilised.	Amount at Balance.	Works approved.	No. of works completed	No. of works incomplete.	
1.	Local Development Works	52,000/-	51,000/-	Unspent fund Rs. 1000/- deposited into Treasury.	64	50	13	1 work not executed.
2.	Development of village Tank under G. M. F. Scheme.	25,000/-	25,000/-	...	17	17	...	
3.	Grant-in-aid to Panchayats.	40,700/-	40,700/-	...	27	22	5	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	STATEMENT UNDER DIFFERENT SCHEMES OF THE YEAR 1958-59 DISTRICT PALI.					
1.	Local Development Works.	52,400/-	36,900/-	15,500/-	38	18	20
2.	Development of village Tanks under G. M. F. Scheme.	40,000/-	35,000/-	5,000/-	17	10	7
3.	Grant-in-aid to Panchayats.	40,700/-	This amount has been allotted to this District a few days before so it will be disbursed amongst the Tehsildars and sanctioned in the meeting of the District Development Committee, Pali.				
4.	Rural Water Supply Scheme.	44,000/-	38,000/-	6,000/-	21	20	11
		25,000/-	This amount will be distributed and sanctioned in the next meeting of the District Development Committee, as it has been allotted to this district a few days before.				

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २४ फरवरी, १९५४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
९१५	अन्तिम से ७	जय	जांय
९३८	२	फैल	फेल
९४१	१२	की मथचन्द डागा	श्री मूलचन्द डागा
९४३	अन्तिम से ७	Governmet	Government
९६८	१५	पब्लि	पब्लिक
,,	अन्तिम से ४	blockmlitt hat	bla ckmail that
९८२	अन्तिम	निर्णा	निर्णय
९८६	अन्तिम से १३	श्री मलचन्द	श्री मूलचन्द डागा
१००९	अन्तिम से ७	कितका	कितना
१०३१	अन्तिम ११	Coes	Cars
१०४७	१२	बई मानी	बेईमानी
,,	अन्तिम से १०	वानून	कानून
१०४८	अन्तिम से ४	प्रश्य	प्रश्न
१०४९	अन्तिम से ५	प्रश्ग	प्रश्न
१०७५	१	क्रिटि इज़	क्रिटिसाइज़